यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के सॉल्व्ड पेपर्स

सामान्य अध्ययन

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I

प्रश्न: 1. ऋग्वैदिक से उत्तर-वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिये।

उत्तर: ऋग्वैदिक (1500-1000 ईसा पूर्व) से उत्तर-वैदिक (1000-500 ईसा पूर्व) काल की अवधि में खानाबदोश जीवन शैली से लेकर स्थायी कृषि समाज के रूप में बदलाव देखा गया, जिससे सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ आजीविका में व्यापक परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मुख्य भाग		
पहलू	**ऋग्वैदिक काल**	**उत्तर-वैदिक काल**
वर्ण व्यवस्था	लचीली, व्यवसाय आधारित, जनजातीय एवं समतावादी समाज।	कठोर, पदानुक्रमित, चार अलग-अलग वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
महिलाओं की स्थिति	महिलाएँ अनुष्ठानों में भाग लेती थीं।	सती प्रथा और बाल विवाह का उदय हुआ।
पितृसत्ता	पितृसत्ता का लचीला होना, जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता (जैसे- स्वयंवर)।	महिलाएँ घरेलू कार्यों तक ही सीमित थीं।
वैदिक शिक्षा	महिलाओं और पुरुष दोनों को ही वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था।	उच्च जातियों तक ही सीमित।
धन का प्रतीक	धन का प्रमुख प्रतीक मवेशी थे (जैसे- गविष्ठी)।	भूमि स्वामित्व और कृषि उत्पादकता धन के मुख्य प्रतीक बन गए।
कृषि का विस्तार	ग्रामीण और अर्द्ध खानाबदोश अर्थव्यवस्था।	अर्थव्यवस्था का आधार कृषि बन गई। विस्तृत कृषि (शतपथ ब्राह्मण)
व्यापार और वाणिज्य	व्यापार सीमित (मुख्यत: वस्तु-विनिमय आधारित) था।	व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, सिक्कों (निष्क) का प्रचलन तथा श्रेणियों (गिल्ड) का उदय।
शिल्प और व्यवसाय	शिल्पकला सरल थी। व्यवसाय वंशानुगत नहीं थे।	विशिष्ट शिल्पों का उदय, वंशानुगत व्यवसाय।

निष्कर्ष: ऋग्वेद के खानाबदोश, समतावादी समाज से उत्तर-वैदिक काल में उदित कठोर जातिगत संरचना एवं कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से गंगा घाटी में शहरीकरण (उदाहरण के लिये, महाजनपद) को बढ़ावा मिला।

प्रश्न: 2. दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में काँची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर: पल्लवों ने तीसरी से 9वीं शताब्दी ई. तक शासन किया और वे सातवाहनों के सामंत थे। पल्लव राजा दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला और साहित्य के महान संरक्षक थे।

कला में पल्लवों का योगदान

- **मंदिर वास्तुकला:** पल्लवों ने चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों की शुरुआत की और वास्तुकला की द्रविड़ शैली की शुरुआत की, जो गुफा मंदिरों से लेकर अखंड रथों और अंतत: संरचनात्मक मंदिरों तक विकसित हुई, जिनका विकास चार चरणों में हुआ।
  - महेंद्रवर्मन प्रथम ने चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों की शुरुआत की।
  - मामल्लपुरम में अखंड रथ और मंडप, जिसका श्रेय नरसिंहवर्मन प्रथम को दिया जाता है, जैसे- पंचपांडव रथ।
  - राजसिम्हा ने नरम बलुआ पत्थर से निर्मित संरचनात्मक मंदिरों की शुरुआत की। उदाहरण के लिये, काँची में कैलाशनाथ मंदिर। बाद के पल्लवों द्वारा निर्मित संरचनात्मक मंदिर। उदाहरण के लिये, वैकुंडपेरुमल मंदिर।
- **मूर्तिकला:** पल्लवों ने मामल्लपुरम में ओपन आर्ट गैलरी और गंगा अवतरण जैसी मूर्तिकला को काफी उन्नत किया। सित्तनवसाल की गुफाओं में उत्कीर्णित चित्रकारी उन्हीं की थी।

साहित्य में पल्लवों का योगदान

- पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम ने संस्कृत साहित्य के संरक्षक के रूप में 'मत्तविलासप्रहसन' नाटक की रचना की।
- नयनार और अलवारों के योगदान से तमिल साहित्य का विकास हुआ।
- पेरुन्देवनार ने नंदीवर्मन द्वितीय के अधीन महाभारत का तमिल में 'भारतवेणवा' के रूप में अनुवाद किया।

निष्कर्ष: काँची के पल्लवों ने स्थापत्य, मूर्तिकला और साहित्य में अपने योगदान के माध्यम से एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थापित की। मंदिर स्थापत्य में उनके नवाचारों और साहित्य के संरक्षण ने न केवल दक्षिण भारतीय कला को प्रभावित किया, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास पर भी एक स्थायी प्रभाव डाला।

स्रोत: तमिल बोर्ड, उपिंदर सिंह

प्रश्न: 3. वे कौन-सी घटनाएँ थीं जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ? इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की दिशा में किया गया व्यापक विरोध प्रदर्शन था, जो संवैधानिक सुधारों की पूर्व की मांगों से एक बदलाव का संकेत था।

आंदोलन हेतु उत्तरदायी घटनाएँ

- **द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहमति के बिना भागीदारी:** ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से परामर्श किये बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार के रूप में घोषित कर दिया।
- **क्रिप्स मिशन की विफलता (1942):** इसके प्रस्तावों में स्वायत्तता के बारे में अस्पष्ट दृष्टिकोण के साथ केवल डोमिनियन स्टेटस देना निर्धारित किया गया था।
- **असंतोष को बढ़ावा:** युद्ध के दौरान भारत को अत्यधिक मुद्रास्फीति एवं खाद्यान्न की कमी के साथ भुखमरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **जन-आंदोलन की प्रेरणा:** असहयोग आंदोलन (1920) और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) जैसे पूर्व के आंदोलनों से व्यापक जन-आंदोलन का मज़बूत आधार तैयार हुआ।
- **तत्काल स्वतंत्रता का आह्वान:** महात्मा गांधी की "करो या मरो" की घोषणा से इस आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत हुई।

आंदोलन के परिणाम

- **व्यापक भागीदारी:** इसमें छात्रों, महिलाओं, श्रमिकों एवं कृषकों सहित समाज के सभी वर्गों ने भागीदारी की।
- **भूमिगत गतिविधियाँ:** इस दौरान जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अपनाया।
- **औपनिवेशिक शासन का कमज़ोर होना:** इस आंदोलन से ब्रिटिश प्रभाव में कमी के साथ भारतीयों द्वारा औपनिवेशिक शासन को अस्वीकार करने के संकल्प पर प्रकाश पड़ा।
  - इस दौरान स्थानीय लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा करने के साथ समानांतर सरकारें (जैसा कि बलिया और तामलुक में हुआ) गठित की।

निष्कर्ष: भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के ताबूत में अंतिम कील था क्योंकि इससे न केवल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को बल मिला बल्कि इसका प्रभाव वर्ष 1946 की कैबिनेट मिशन योजना पर भी देखा गया, जिससे अंततः वर्ष 1947 की भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रश्न: 4. समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि क्या है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है?

उत्तर: समुद्र सतह का तापमान समुद्र की सबसे ऊपरी परत के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। समुद्र सतह के तापमान में वृद्धि मुख्य रूप से मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण होती है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का बहुत बड़ा योगदान है। यह मौसम के पैटर्न को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण पर प्रभाव

- **ऊर्जा स्रोत:** समुद्र सतह का बढ़ता तापमान आवश्यक ऊष्मा और नमी प्रदान करता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण और प्रबलता के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **संवहन:** उच्च समुद्र तल तापमान संवहन प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विकास होता है।
- **आवश्यक तापमान सीमा:** यदि समुद्र सतह तापमान 26°C सीमा से नीचे है, तो चक्रवात विकास के लिये उपलब्ध ऊर्जा अपर्याप्त होती है।
- **तीव्रता:** गर्म समुद्र-तटीय पवनें न केवल चक्रवातों के निर्माण को आरंभ करती हैं, बल्कि मौजूदा तूफानों की तीव्रता में भी योगदान देती हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी वायु गति और विनाशकारी क्षमता बढ़ जाती है।
- **आवृत्ति:** वैश्विक तापमान में वृद्धि से समुद्री सतह का तापमान बढ़ने से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ सकती है।
- **मार्ग में परिवर्तन:** जैसे-जैसे वैश्विक स्तर पर समुद्री सतह तापमान में वृद्धि हो रही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नए क्षेत्रों में बन सकते हैं या अपना मार्ग बदल सकते हैं, जिससे पूर्व में अप्रभावित रहे क्षेत्र भी प्रभावित हो सकते हैं।

निष्कर्ष: समुद्री सतह के बढ़ते तापमान से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना विकसित करना आवश्यक है। साथ ही, संधारणीय प्रथाओं के माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार करने से चरम मौसम की घटनाओं के प्रति क्षेत्र की सुभेद्यता कम होगी।

प्रश्न: 5. छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिये।

उत्तर: प्रवासन, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेहतर रोज़गार के अवसरों और रहने की स्थिति की तलाश में स्थानांतरण की प्रक्रिया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में कुल आंतरिक प्रवास में ग्रामीण से शहरी प्रवास का भाग 18.9% है।

बड़े शहरों की ओर प्रवासियों को आकर्षित करने वाले कारक

- **बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ:** बड़े शहर परिवहन, आवास और उपयोगिताओं समेत बेहतर बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं, जिससे वे प्रवासियों के लिये अधिक आकर्षक बन जाते हैं।

- **शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल:** शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर बेहतर शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ होती हैं, जो बेहतर सेवाओं तथा जीवन की गुणवत्ता की तलाश करने वाले परिवारों को आकर्षित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, बिहार और झारखंड के लोग बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा के अवसरों की खोज में दिल्ली तथा कोलकाता जैसे राज्यों में प्रवास करते हैं।
- **आर्थिक अवसर:** छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर बेहतर कार्य के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे- उच्च वेतन तथा विविध रोज़गार क्षेत्र आदि।
  - भारत में प्रवासन सर्वेक्षण (2020-21) से ज्ञात होता है कि लगभग 22% आंतरिक प्रवासी आर्थिक कारणों से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से क्रमशः महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल चले गए।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक सुविधाएँ:** शहरों में सांस्कृतिक, मनोरंजक और सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से समग्र जीवन अनुभव में वृद्धि होती है, जिससे शहरी क्षेत्र अधिक आकर्षक बनते हैं।

निष्कर्ष: प्रवासन में प्रभाव का क्षेत्र उन भौगोलिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, जो प्रवासियों को विशिष्ट गंतव्यों तक पहुँचाते हैं। इन क्षेत्रों को पहचानने से नीति-निर्माताओं को प्रवासन संबंधी चुनौतियों से निपटने और अधिक संतुलित क्षेत्रीय रणनीति बनाने में सहायता मिलती है।

प्रश्न: 6. 'बादल फटने' की परिघटना क्या है? व्याख्या कीजिये।

उत्तर: 'बादल फटने' की परिघटना तीव्र वर्षण की स्थिति है, जो 20-30 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में 100 मिमी./घंटा से अधिक होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के कारण यह परिघटना चर्चा में है।

बादल फटने का तंत्र

'बादल फटने' की परिघटना तब होती है जब गर्म, आर्द्र वायु विभिन्न कारकों के कारण आरोहण होता है:

- **पर्वतीय उन्नयन:** आर्द्र वायु को पर्वतों या पहाड़ियों के सहारे ऊपर की ओर उठाती है, जिससे वह शीघ्र ही ठंडी हो जाती है और संघनित होकर भारी वर्षा में परिवर्तित हो जाती है।
- **संवहनीय प्रक्रियाएँ:** सतह के पास की गर्म वायु का तापमान के अंतर के कारण आरोहण होता है और कपासी वर्षा मेघ निर्मित करती है।
  - यदि अधिक ऊँचाई पर वायु तीव्र रूप से ठंडी हो जाए तो वह नमी को रोक सकती है, जिससे अचानक भारी वर्षा हो सकती है।
  - यदि वायु तीव्र रूप से ठंडी हो जाए तो अधिक ऊँचाई पर आर्द्रता निर्मित होती है, जिसके परिणामस्वरूप अचानक तीव्र वर्षण होता है।

जब इन बादलों में आर्द्रता बहुत अधिक हो जाती है, तो कम समय के लिये तीव्र वर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके साथ प्रायः गड़गड़ाहट और बिजली भी चमकती है।

प्रभाव

- **आकस्मिक बाढ़:** अचानक जल प्रवाह से नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, जिससे समुदाय में संकट उत्पन्न होता है।
- **भूस्खलन:** पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षण से भूस्खलन होता है।
- **बुनियादी ढाँचे की क्षति:** सड़कें, पुल और इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
- **जीवन की हानि:** बादल फटने से, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, मृत्यु हो सकती है।

निष्कर्ष: भारत में बादल फटने की घटनाओं में विशेषकर हिमालय और तटीय शहरों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इन आपदाओं को कम करने के लिये बेहतर मौसम निगरानी और जलवायु अनुकूलन योजनाओं की तत्काल आवश्यकता है।

प्रश्न: 7. जनसांख्यिकीय शीत (डेमोग्राफिक विंटर) की अवधारणा क्या है? क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है? विस्तार से बताइये।

उत्तर: "जनसांख्यिकीय शीत" शब्द से तात्पर्य जन्म दर में उल्लेखनीय कमी, साथ-ही-साथ वृद्ध होती आबादी और घटती हुई कामकाजी आयु वाली आबादी से है। यह प्रवृत्ति विभिन्न देशों में देखने को मिलती है।

जनसांख्यिकीय शीत के कारण

- **न्यून प्रजनन दर:** वर्ष 1960 से वर्ष 2021के बीच वैश्विक प्रजनन दर, प्रति महिला लगभग 5 बच्चों से घटकर लगभग 2.3 हो गई है।
  - विभिन्न विकसित देशों की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे चली गई है।
  - जापान (1.26), दक्षिण कोरिया (0.78) और इटली (1.24) जैसे देशों में प्रजनन दर विश्व में सबसे कम है।
- **वृद्ध होती जनसंख्या:** यह वर्ष 2020 तक वैश्विक जनसंख्या का लगभग 9% थी, जो 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की होगा, जिसका वर्ष 2050 तक लगभग 16% तक बढ़ने का अनुमान है।
  - यूरोप में 20% से अधिक जनसंख्या पहले से ही 65 वर्ष से अधिक आयु की है।
- **परिवर्तित पारिवारिक संरचना:** सामाजिक बदलाव, जिसमें विवाह और बच्चे पैदा करने में विलंब तथा एकल-व्यक्ति परिवारों में वृद्धि शामिल है, जन्म दर में कमी लाने में योगदान करते हैं।
- **आर्थिक दबाव:** उच्च जीवन-यापन लागत, आवास की कीमतें और रोज़गार की असुरक्षा परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने से हतोत्साहित करती हैं।

निष्कर्ष: विकसित क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय शीत के लिये आर्थिक विकास और सामाजिक प्रणालियों को बनाए रखने के लिये पारिवारिक समर्थन, कार्यबल भागीदारी तथा बढ़े हुए आव्रजन पर व्यापक नीतियों की आवश्यकता है।

प्रश्न: 8. लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तीकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिये। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर: सामाजिक न्याय और संधारणीय विकास की प्राप्ति के लिये लैंगिक मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022 में भारत की रैंकिंग 108 (198 देशों में से) है, अतः हमारे लिये आगे की राह बहुत लंबी है।

अंतर		
अवधारणा	**परिभाषा**	**केंद्र**
लैंगिक समानता	सभी व्यक्तियों के अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर समान हैं।	संसाधनों और उपचार तक समान पहुँच।
लैंगिक निष्पक्षता	विभिन्न लैंगिक आवश्यकताओं और चुनौतियों को स्वीकार करता है।	समान परिणामों के लिये निष्पक्ष व्यवहार और अनुरूप अवसर।
महिला सशक्तीकरण	विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास।	आत्मविश्वास और संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन पर नियंत्रण।

कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक आधार

- **समानता:** लिंग-विशिष्ट कार्यक्रम संसाधनों के वितरण और सामाजिक विकास में समानता सुनिश्चित करते हैं।
- **अनुकूलित समाधान:** लैंगिक भेदभाव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की पारिकल्पना को सुनिश्चित करता है ताकि समाधान 'सभी के लिये एक जैसा' न हो, बल्कि विशिष्ट समूहों को ध्यान में रखकर हो।
- **न्यून अपव्यय/धन का केंद्रित वितरण:** लिंग-विशिष्ट कार्यक्रम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धन का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाए, जिनके लिये उसकी आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना:** विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार विशेष रूप से महिलाओं पर निवेश करने से समाज में अधिक योगदान मिला है।

निष्कर्ष: समानता, निष्पक्षता और महिला सशक्तीकरण की ये तीन अवधारणाएँ समावेशी कार्यक्रम की पारिकल्पना में आधारभूत हैं। कार्यक्रम की परिकल्पना में लिंग संबंधी चिंताओं को शामिल करने से न केवल निष्पक्षता सुनिश्चित होती है बल्कि पहलों की प्रभावशीलता और संधारणीयता में भी वृद्धि होती है।

प्रश्न: 9. समान सामाजिक-आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर-जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर-धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है। विवेचना कीजिये।

उत्तर: भारत में अंतर-जातीय विवाहों में कुछ वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक समानता वाली जातियों में, जबकि विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के कारण अंतर-धार्मिक विवाह अपेक्षाकृत दुर्लभ बने हुए हैं।

सामाजिक-आर्थिक समानता वाली जातियों में अंतर-जातीय विवाहों में वृद्धि के कारण

- **शहरीकरण और शिक्षा:** शहरी संस्कृति के उदय और बेहतर शिक्षा के कारण अंतर-जातीय विवाहों की सामाजिक स्वीकृति बढ़ गई है तथा युवा लोग जाति की अपेक्षा अनुकूलता को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  - वर्ष 2023 में, कर्नाटक में सभी अंतर-जातीय विवाहों में से 17.8% विवाह बंगलुरु में हुए।
- **कानूनी सहायता और सरकारी उपाय:**
  - हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत निजता के क्षेत्र में आता है।
  - केंद्र सरकार की डॉ. अंबेडकर सामाजिक एकीकरण योजना और राजस्थान की अंतर-जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएँ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके अंतर-जातीय विवाह को बढ़ावा देती हैं।

अंतर-धार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध

- **कम सामाजिक स्वीकृति:** भारत के लिये सामाजिक दृष्टिकोण अनुसंधान (SARI) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अंतर-जातीय विवाहों की तुलना में अंतर-धार्मिक विवाहों का अधिक विरोध होता है।
- **बलपूर्वक धर्म परिवर्तन:** उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हुए हैं, जो ऐसे विवाहों में कानूनी बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।
- **विशेष विवाह अधिनियम की कमियाँ:** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने SMA, 1954 के तहत एक अंतर-धार्मिक जोड़े को संरक्षण देने के विरुद्ध निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच विवाह को अवैध मानता है।

निष्कर्ष: भारत में अंतर-जातीय विवाह के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर-धार्मिक विवाहों को अभी भी कारकों की जटिलता के कारण बहुत-सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो अधिक स्वीकृति और सहिष्णुता की आवश्यकता को दर्शाता है।

प्रश्न: 10. विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा?

उत्तर: सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच बहु-हितधारक सहभागिता वाला एक सहयोगात्मक मॉडल भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिये सहयोगात्मक मॉडल

सरकारी और निजी क्षेत्र

- **वित्तपोषण, तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचार:** सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग वित्तपोषण और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है, जिससे विकास प्रयासों में दक्षता बढ़ती है, उदाहरण के लिये, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (PPP), डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन।
- **नियामक निरीक्षण:** यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ कानूनी मानकों का अनुपालन करें और विभिन्न चुनौतियों का समाधान करके सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करें।

गैर-सरकारी संगठन और सरकार

- **जमीनी स्तर पर सहभागिता:** गैर-सरकारी संगठनों के साथ सरकार की सहभागिता जमीनी स्तर की चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने को सुनिश्चित करती है, उदाहरण के लिये, भारत में स्वरोज़गार महिला संघ (SEWA) व्यावसायिक प्रशिक्षण और माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है।
- **जागरूकता और वकालत:** एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपुल (DNP+) जैसे, गैर-सरकारी संगठन।

निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से सामाजिक विकास में योगदान करते हुए, इंफोसिस ने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिये अक्षय पात्र के साथ सहयोग किया है।

निष्कर्ष: सामूहिक प्रभाव के लिये सहयोग, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिये विविध मॉडलों का उपयोग करता है, साथ ही विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे यह देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हो जाता है।

प्रश्न: 11. "हालाँकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं हैं लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व के साथ याद किया जाता है।" टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: चोलों (8-12वीं शताब्दी ईस्वी) को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है। यह शासन पाँच शताब्दियों से भी अधिक समय तक चला, जहाँ चोल कला ने द्रविड़ मंदिर कला की पराकाष्ठा देखी, जिसके परिणामस्वरूप सबसे परिष्कृत इमारतों का निर्माण हुआ।

चोलकालीन मंदिरों की विशिष्टता

मंदिरों की ऊँची चारदीवारी तथा ऊँचा प्रवेशद्वार (गोपुरम), गोलाकार और वर्गाकार गर्भगृह, चरणबद्ध पिरामिड संरचना (विमान), अष्टकोणीय आकार में शीर्ष शिखर, मंदिरों की दीवारों पर जटिल मूर्तियाँ और शिलालेख, मंदिर परिसर के अंदर एक जल कुंड की उपस्थिति, अर्द्धमंडप, जैसे- स्तंभयुक्त मंडप।

मंदिर विकास में चोलों का योगदान

- बृहदेश्वर मंदिर जैसी अधिक विस्तृत संरचनाएँ।
- चोल काल में मंदिर बनाने के लिये ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था।
- गोपुरम नक्काशी और मूर्तियों की शृंखला के साथ अधिक उत्कृष्ट तथा सुव्यवस्थित संरचनाओं के रूप में विकसित हुए।
- चोलों ने मंदिर वास्तुकला में परिपक्वता और भव्यता लाकर विस्तृत पिरामिडनुमा मंजिलें बनवाईं। उदाहरणार्थ, तंजावुर का शिव मंदिर।
- मंदिरों के शीर्ष पर सुंदर शिखर होते हैं जिन पर विस्तृत नक्काशी की जाती है। उदाहरणार्थ- गंगईकोण्डचोलपुरम मंदिर।
- पल्लवों द्वारा शुरू किये गए मंडप के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, चोलकालीन मंदिरों की एक अनूठी विशेषता बन गए।
- मंदिरों को कलात्मक पत्थर के खंभों से सजाया गया था, जिनमें लंबी शाखाएँ और पॉलिश की गई विशेषताएँ थीं। उदाहरण: ऐरावतेश्वर मंदिर में पहियेदार रथ की नक्काशी।

चोलकालीन मूर्तिकला

- चोलकालीन काँस्य मूर्तियाँ, जो अपनी असाधारण मूर्तिकला के लिये जानी जाती हैं, लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थीं। उदाहरण के लिये, तांडव मुद्रा में नटराज की मूर्ति।
- उत्तर चोलकाल में मूर्तिकला में भूदेवी (पृथ्वी देवी) को भगवान विष्णु की छोटी पत्नी के रूप में प्रदर्शित किया गया है।
- चोलकालीन मंदिर मूर्तियों में आकर्षक अलंकरण, सुंदर सजावट देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर।
- पार्वती चित्रण की स्वतंत्र मूर्तियों में उन्हें सुंदर त्रिभंगा मुद्रा में दर्शाया गया है।

निष्कर्ष: चोल राजवंश के संरक्षण, भव्य मंदिरों, वास्तुशिल्प नवाचारों और मूर्तिकला कला को समर्थन के कारण यूनेस्को ने उनके मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है।

प्रश्न: 12. यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्वयुद्ध मूलतः शक्ति-संतुलन को बनाए रखने के लिये लड़ा गया था?

उत्तर: प्रथम विश्व युद्ध (WWI), जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक चला, मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिये युद्ध हुआ था, यह दृष्टिकोण केवल आंशिक रूप से उन जटिल परिस्थितियों की व्याख्या करता है जिनके कारण संघर्ष हुआ।

एक कारण के रूप में शक्ति संतुलन

- **यूरोपीय गठबंधन:** एक दूसरे की शक्ति को संतुलित करने का लक्ष्य।
- **ट्रिपल एंटेंटे:** इसमें फ्राँस, रूस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
- **त्रिपक्षीय गठबंधन:** इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी और इटली शामिल थे जो यूरोप में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे।

बदलती शक्ति गतिशीलता

- **जर्मनी का उदय:** जर्मनी के तीव्र औद्योगीकरण और सैन्य विस्तार को अन्य शक्तियों द्वारा खतरे के रूप में देखा गया।
  - युद्ध के बाद, विजेता ने जर्मनों को आर्थिक और प्रादेशिक दोनों रूप से कमज़ोर कर दिया तथा अपने कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी फ्राँस को मज़बूत कर दिया।
- **साम्राज्यों का पतन:** ओटोमन और ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्यों के कमज़ोर होने के कारण शक्ति शून्यता एवं अस्थिरता का निर्माण हुआ।

अन्य कारक

- **प्रतिस्पर्द्धी साम्राज्यवाद:** प्रथम विश्व युद्ध से पहले, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से अपने कच्चे माल के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बने हुए थे।
  - बाज़ार (अफ्रीका) के लिये बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा और बड़े साम्राज्यों की इच्छा के कारण टकराव में वृद्धि हुई, जिसने विश्व को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की।
- **राष्ट्र की ताकत के रूप में सैन्य लामबंदी:** वर्ष 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में अपनी नौ-सेनाओं में काफी वृद्धि की।
  - सैन्यवाद में इस वृद्धि ने राष्ट्र की ताकत के रूप में जन-आंदोलन के विचार को बढ़ावा दिया, जिससे देश युद्ध की ओर अग्रसर हुए। उदाहरण: रूसी सीमा की ओर जर्मन जन-आंदोलन ने रूस को जर्मनी के खिलाफ भड़का दिया।
- **राष्ट्रवाद:** यूरोप भर में राष्ट्रवादी भावनाओं (राष्ट्र के आधार के रूप में नस्ल/नृजातीयता) के उदय ने तनाव और क्षेत्रीय विवादों को बढ़ावा

दिया। उदाहरण: बोस्निया और हर्जेगोविना में रहने वाले स्लाविक लोग ऑस्ट्रिया-हंगरी का हिस्सा नहीं बना रहना चाहते थे।

निष्कर्ष: प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने में शक्ति संतुलन का संरक्षण एक महत्त्वपूर्ण कारक था, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं था। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, आर्थिक प्रतिद्वंद्विता और घरेलू दबावों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रश्न: 13. भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिये इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी?

उत्तर: 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति, तीव्र औद्योगिकीकरण का दौर था, जिसके कारण कारखाने, मशीनीकृत उत्पादन और भाप इंजन का विकास हुआ, जिससे वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। ब्रिटिश उपनिवेश इन वस्तुओं के लिये बाज़ार और संसाधन भंडार दोनों के रूप में काम करते थे, जिनमें कपास, नील तथा अन्य संसाधन शामिल थे।

औद्योगिक क्रांति और हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग में गिरावट

- **हस्त निर्मित बनाम मशीन निर्मित उत्पाद:** बड़े पैमाने पर उत्पादित मशीन निर्मित उत्पादों के सब्सिडीयुक्त प्रवाह से हस्तनिर्मित और महँगे भारतीय सामान बाज़ार से बाहर हो गए।
- **भेदभावपूर्ण नीतियाँ:** ब्रिटिश ने अहस्तक्षेप की नीति लागू की, जिसके तहत इंग्लैंड को निर्यात किये जाने वाले भारतीय सामानों पर उच्च शुल्क लगाया गया, जबकि सस्ते ब्रिटिश सामानों को न्यूनतम शुल्क के साथ भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई।
- **बेरोज़गारी और कृषि की ओर रुझान:** स्थानीय बाज़ारों के पतन से कलाकारों की आजीविका प्रभावित हुई और उनमें से कई ने धनी और शक्तिशाली लोगों का संरक्षण खो दिया।
  - बेरोज़गार कार्यबल को जीवित रहने के लिये अपना काम छोड़कर कृषि या अन्य निचले स्तर के कार्य करने के लिये मजबूर होना पड़ा।
- **शोषणकारी खेती:** बड़े पैमाने पर भूमि वाले लोगों को नकदी फसल के रूप में विशिष्ट फसलों की खेती करने के लिये मजबूर किया जाता था, जो ब्रिटिश उद्योगों के लिये आवश्यक थीं। उदाहरण के लिये, नील की खेती।
- **नवप्रवर्तन में अंतत: गिरावट:** सस्ते मशीन-निर्मित उत्पादों के प्रचलन से हस्तनिर्मित वस्तुओं की मांग कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और गुणवत्ता में कमी आई, क्योंकि कारीगर नवप्रवर्तन करने में असमर्थ थे।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

- **धन की निकासी:** दादाभाई नौरोज़ी के सिद्धांत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार ब्रिटिश शोषण ने भारत के धन की निकासी की, जिससे औद्योगिक वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न हुई।
- **स्वदेशी आंदोलन:** महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश औद्योगीकरण भारतीयों की आजीविका की कीमत पर आया था और उन्होंने भारतीयों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया।
- **जवाहरलाल नेहरू:** अपनी पुस्तक 'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश नीतियों ने भारत को औद्योगिकीकरण से वंचित कर दिया, तथा इसे विनिर्माण केंद्र से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता में बदल दिया।

निष्कर्ष: औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय समाज को जो संरचनात्मक क्षति हुई, वह आज भी बनी हुई है। हालाँकि, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत जैसे देश के लिये कुटीर उद्योग की ताकत को समझा और इसलिये अनुच्छेद 43 में स्पष्ट रूप से देश को उन्हें स्थापित करने के लिये प्रेरित किया।

प्रश्न: 14. गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है?

उत्तर: गंगा घाटी, अपनी उपजाऊ जलोढ़ मृदा और प्रचुर जल आपूर्ति के साथ सहस्राब्दियों से सघन आबादी का समर्थन करने के साथ-साथ सभ्यताओं तथा संस्कृतियों को बढ़ावा देती रही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार इस क्षेत्र में भूजल स्तर प्रतिवर्ष 0.5 से 1 मीटर की खतरनाक दर से घट रहा है।

भूजल स्तर में गिरावट के कारण

- **तीव्र शहरीकरण:** मांग में वृद्धि के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। बोरवेल की अनियमित ड्रिलिंग इसका एक प्रमुख कारण है।
- **अति-सिंचाई:** यह बहुतायत लोगों की समस्या है, इससे मृदा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है।
- **अपर्याप्त वर्षा जल संचयन:** मानसून के दौरान भूजल की आपूर्ति होने के स्थान पर वर्षा जल नष्ट हो जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा:** अनियमित वर्षा पैटर्न, लंबे समय तक शुष्कता और तापमान वृद्धि के कारण वाष्पीकरण में वृद्धि भूजल पुनर्भरण में बाधा डालती है।

संकट के बीच खाद्य सुरक्षा

- **फसल उत्पादन में कमी:** भूजल की उपलब्धता कम होने से किसानों को सिंचाई के लिये जल की कमी का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान।
  - इससे चावल और गेहूँ जैसी अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों की उपज कम हो सकती है, जो भारत में मुख्य खाद्यान्न हैं।
- **वर्षा पर निर्भरता में वृद्धि:** जैसे-जैसे भूजल स्तर गिरता जाएगा, किसानों की अप्रत्याशित मानसून पर निर्भरता बढ़ती जाएगी।
  - इससे कृषि क्षेत्र शुष्क और अनियमित वर्षा के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य उत्पादन अस्थिर हो गया है।
- **उत्पादन की उच्च लागत:** किसानों को अधिक गहरे कुएँ खोदने पड़ सकते हैं या जल निष्कर्षण की अधिक महँगी विधियों में निवेश करना पड़ सकता है, जिससे कृषि की लागत बढ़ सकती है।
  - इससे भोजन महँगा हो जाएगा और उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे उसके सामर्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।
- **आजीविका का नुकसान:** भूजल स्तर में गिरावट छोटे और सीमांत किसानों को कृषि छोड़ने के लिये विवश कर सकती है, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आएगी तथा ग्रामीण आजीविका को खतरा होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा और अधिक प्रभावित होगी।

भूजल में आई कमी को न्यूनतम करना

- ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना।
- भूजल स्तर की पुन:आपूर्ति के लिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू करना।
- चावल और गन्ना जैसी अधिक जल की खपत वाली फसलों से दूरी बनाना।
- निर्माण हेतु जल कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को प्रोत्साहित करना।
- किसानों को जल-कुशल प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों को अपनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के साथ-साथ नमामि गंगे जैसे नदी पुनर्जीवन कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन से भूजल पुनर्भरण में सहायता मिल सकती है।

निष्कर्ष: गंगा घाटी में घटते भूजल स्तर से भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरा है। देश की दीर्घकालिक खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिये सतत् भूजल प्रबंधन और कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

प्रश्न: 15. ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस क्या हैं? ये कैसे सक्रिय होते हैं?

उत्तर: ऑरोरा चमकदार और रंगीन प्रकाश है। इन्हें केवल रात्रि में ही देखा जा सकता है तथा ये आमतौर पर निचले ध्रुवीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। ऑरोरा मुख्य रूप से पूरे वर्ष उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध के ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं, लेकिन कभी-कभी वे निचले अक्षांशों तक भी विस्तृत होते हैं।

ऑरोरा के प्रकार

- **ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस (दक्षिणी प्रकाश):** दक्षिणी गोलार्द्ध में विशेष रूप से अंटार्कटिक सर्कल के आस-पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भागों जैसे देशों में दिखाई देता है।
- **ऑरोरा बोरियालिस (उत्तरी प्रकाश):** आर्कटिक सर्कल के पास देखा जाता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल के साथ सौर कणों के संपर्क के कारण होता है। यह नॉर्वे,स्वीडन,फिनलैंड,आइसलैंड, कनाडा और अलास्का जैसे देशों में हरे, लाल और बैंगनी रंग की प्रकाश दिखाता है।

ऑरोरा उत्पन्न होने के कारण

- **सौर पवनें:** सूर्य द्वारा उत्पन्न सौर पवन कणों की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंत:क्रिया से ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है।
- **कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejection- CME):** CME कोरोनल प्लाज़्मा के विशाल बुलबुले होते हैं जो तीव्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से घिरे होते हैं और कई घंटों के दौरान सूर्य से बाहर निकलते हैं। ये पृथ्वी पर पहुँचने वाले आवेशित कणों की संख्या बढ़ाकर ऑरोरल गतिविधि को बढ़ा सकते हैं।
- **मैग्नेटोस्फीयर में अशांति:** यह ऑरोरा को प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सौर पवनें, जिसमें सूर्य से प्राप्त आवेशित कण होते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संपर्क करती है,तब यह मैग्नेटोस्फीयर में हलचल उत्पन्न करती है।
- **वायुमंडलीय अंत: क्रिया:** आवेशित कण, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर निर्देशित होते हैं। जब ये कण ऊपरी वायुमंडल में गैसों से टकराते हैं और साथ ही इन गैसों को उत्प्रेरित करते हैं,जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश का उत्सर्जन होता है।

निष्कर्ष: पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा सौर गतिविधि गतिशील रूप से परस्पर क्रिया करते हैं,जैसा कि ऑरोरा द्वारा प्रदर्शित होता है,जो जटिल अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का परिणाम है। इसका सबसे हालिया प्रकटीकरण, ऑरोरा बोरियालिस,लद्दाख के हनले गाँव के समीप देखा गया था।

प्रश्न: 16. ट्विस्टर क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के आस-पास के क्षेत्रों में अधिकांश ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं?

उत्तर: ट्विस्टर एक गंभीर चक्रवात है जिसमें घुमावदार, कीप के आकार के मेघ होते हैं। इसमें पवन का एक घूमावदार स्तंभ निर्मित होता है, जो भू-पृष्ठ को कपासी वर्षी मेघ या कतिपय कपासी मेघ से जोड़ता है। ये वैश्विक स्तर पर हो सकते हैं लेकिन मेक्सिको की खाड़ी क्षेत्र में ये अधिक सामान्य हैं।

मेक्सिको की खाड़ी में ट्विस्टर की होने वाली घटनाओं के लिये ज़िम्मेदार कारक

- **उष्ण, आर्द्र पवन:** मेक्सिको की खाड़ी उष्ण, आर्द्र पवन प्रदान करती है जो ऊपर उठती है, जिससे चक्रवर्तीय परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं।
- **शीत, शुष्क पवन:** रॉकी पर्वत या कनाडा से शीत, शुष्क पवन दक्षिण की ओर बढ़ती है, जो उष्ण, आर्द्र पवनों से टकराती है और वायुमंडलीय अस्थिरता उत्पन्न करती है।
- **तीक्ष्ण पवनें:** विभिन्न ऊँचाइयों पर पवन की गति और दिशा में बदलाव के कारण तीव्र पवनें उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षैतिज घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है, जो ट्विस्टर के निर्माण के लिये आवश्यक है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:** ग्रेट प्लेन और मिसिसिपी नदी घाटी का समतल भूभाग तीव्रता के साथ गर्म होता है, जिससे ट्विस्टर के लिये आदर्श परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं।
- **उष्णकटिबंधीय चक्रवात और हरिकेन:** खाड़ी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और हरिकेन से ग्रस्त है, जिससे भूस्खलन के बाद ट्विस्टर उत्पन्न होने की संभावना होती है।

निष्कर्ष: इस प्रकार ट्विस्टर, पवन के घूर्णित स्तंभों से निर्मित होने वाले भीषण चक्रवात हैं। मेक्सिको की खाड़ी के क्षेत्र में ऊष्ण, आर्द्र पवन और शीत, शुष्क पवनों के टकराव के साथ-साथ अनुकूल भूगोल तथा मौसमी पैटर्न के कारण प्राय: ट्विस्टर आते हैं।

प्रश्न: 17. क्षेत्रीय असमानता क्या है? यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है?

उत्तर: क्षेत्रीय असमानता का तात्पर्य किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संसाधनों, विकास, बुनियादी ढाँचे और अवसरों के असमान वितरण से है। विविधता का तात्पर्य किसी आबादी या क्षेत्र में मौजूद सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं की विविधता से है।

क्षेत्रीय असमानता और विविधता के बीच मुख्य अंतर		
पहलू	**क्षेत्रीय असमानता**	**क्षेत्रीय विविधता**
केंद्र	आर्थिक एवं विकासात्मक असमानताएँ (आय, शिक्षा, बुनियादी ढाँचा)	सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक विविधताएँ
कारण	औपनिवेशिक विरासत, संसाधन वितरण, नीतिगत पूर्वाग्रह।	समुदायों का प्राकृतिक विकास, प्रवासन, व्यापार
प्रभाव	सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ (गरीबी, बेरोज़गारी, सेवाओं की कमी) उत्पन्न होती हैं।	रचनात्मकता, सामाजिक सामंजस्य और नवाचार को बढ़ाता है।

भारत में क्षेत्रीय असमानता की गंभीरता

- **आर्थिक असंतुलन:** भारत के पाँच सबसे विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब राज्यों की तुलना में लगभग 338% अधिक है।
- **शैक्षिक असमानता:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केरल की साक्षरता दर 96.2% है, जबकि बिहार की साक्षरता दर केवल 61.8% है।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:** ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति एक लाख लोगों पर केवल 0.36 के अनुपात में अस्पताल हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर प्रति एक लाख लोगों पर अस्पताल 3.6 के अनुपात में है।
- **परिवहन और कनेक्टिविटी:** विकसित क्षेत्रों में बेहतर परिवहन नेटवर्क और कनेक्टिविटी होती है, जिससे व्यापार तथा गतिशीलता में सुविधा होती है।
- **डिजिटल डिवाइड:** एनएसएसओ के आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारतीय परिवारों में से केवल 24% के पास इंटरनेट तक पहुँच है, जबकि शहरों में यह पहुँच 66% है।
- **प्रवासन पर विषम प्रभाव:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र और दिल्ली अंतर्राज्यीय प्रवासियों को प्राप्त करने वाले शीर्ष राज्य थे, जबकि उत्तर प्रदेश तथा बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासियों के मुख्य स्रोत थे।

निष्कर्ष: सरकार ने भारत में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये कई पहल लागू की हैं, जिनमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी क्षेत्र आर्थिक प्रगति और अवसरों से लाभान्वित हो सकें, यह आवश्यक है कि संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिये इन असमानताओं को दूर किया जाए।

प्रश्न: 18. समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद, अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाहियों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: सकारात्मक कार्रवाई से तात्पर्य नीतियों और प्रथाओं के एक समूह से है जिसका उद्देश्य शिक्षा, रोज़गार तथा राजनीति समेत विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व एवं अवसरों में वृद्धि करना है।

भारत में सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीतियाँ

- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** अनुच्छेद 330, 332 और 243D क्रमश: संसद, राज्य विधानसभाओं और पंचायतों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटें आरक्षित करते हैं।
- **शिक्षा एवं रोज़गार के अवसर:** अनुच्छेद 15(4) और 16(4) वंचित समूहों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनुमति देते हैं।
  - शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये निशुल्क, अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे वंचित वर्गों के लिये बाधाएँ कम होती हैं।

समग्र विकास

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) कमज़ोर आबादी के लिये सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
  - प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिये किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।
- कौशल भारत मिशन वंचित पृष्ठभूमि के युवाओं की रोज़गार क्षमता को बढ़ाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **अभिजात वर्ग का कब्ज़ा:** आरक्षित श्रेणियों में धनी व्यक्तियों का प्रभुत्व वंचित वर्गों के लिये लाभ को सीमित करता है।
- **जाति आधारित राजनीति:** आरक्षण के राजनीतिकरण के प्रति संघर्ष एक प्रमुख कारण बन सकता है और कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **भ्रष्टाचार:** कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार लाभ को इच्छित प्राप्तकर्त्ताओं से दूर ले जाते हैं।
- **जागरूकता:** आरक्षण लाभों के बारे में जानकारी का अभाव इसके लाभों का कम उपयोग करने की ओर ले जाता है।
- **सामाजिक कलंक:** निरंतर पूर्वाग्रह वंचित समुदायों के एकीकरण में बाधा डालते हैं।
- **प्रतिरोध:** आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण से योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रतिकूल प्रतिक्रिया और सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है।

संभावित सुधार

- आरक्षण मानदंडों का पालन न करने पर दंड के प्रावधान को लागू करना।
- आर्थिक रूप से वंचित लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये आय संबंधी मानदंड लागू करना।
- राज्य 15% कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।
- समावेशन और भेदभाव पर जागरूकता अभियान चलाना।
- समान प्रदायगी हेतु सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति पर विचार करना।
- सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीतियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और विकलांगों को शामिल करना।

निष्कर्ष: सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीति भारत में एक सुदृढ़ और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता समाज के अति वंचित वर्गों के वास्तविक उत्थान की क्षमता पर निर्भर करती है।

प्रश्न: 19. वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल, युवा, अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है?

उत्तर: वैश्वीकरण से तात्पर्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और वर्गों एवं सूचनाओं के आवागमन के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती निर्भरता से है। इन साझेदारियों ने आधुनिक दैनिक जीवन को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार दिया है।

वैश्वीकरण और कुशल युवा महिलाओं का शहरी प्रवास

- **आर्थिक अवसर:** स्वास्थ्य सेवा, खुदरा और आईटी जैसे उद्योग कुशल, अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, जो सतत् विकास लक्ष्य 5 और 8 का समर्थन करते हैं।
- **शैक्षिक आकांक्षाएँ:** वैश्विक संपर्क और शिक्षा तक पहुँच छोटे शहरों की महिलाओं को शहरी अवसरों का लाभ उठाने, विश्वविद्यालय में नामांकन बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करने के लिये सशक्त बनाती है।
- **सामाजिक गतिशीलता:** प्रवासन, युवा महिलाओं को सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने और अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाता है, जो सतत् विकास लक्ष्य 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के साथ संरेखित है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर प्रभाव

- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** शहरी आईटी और बीपीओ जैसी नौकरियाँ महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने का मौका मिलता है। हालाँकि शहरी परिवेश में उन्हें उत्पीड़न और हिंसा का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि समर्थन प्रणाली अपर्याप्त होती है।
  - महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती अपराध दर (NCRB डाटा 2014-2022) सशक्तीकरण के साथ-साथ बेहतर सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देती है।
- **पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं पर दबाव:** प्रवासन, परिवारों को संयुक्त से एकल संरचनाओं में हस्तांतरित करता है, जिससे महिलाओं को साथी के चयन और विवाह के समय में अधिक स्वायत्तता मिलती है, जो अक्सर पारंपरिक पारिवारिक अपेक्षाओं के साथ मतभेद उत्पन्न करता है।
- **सांस्कृतिक परिवर्तन:** महिलाएँ शहरी जीवन शैली और पारंपरिक मूल्यों के बीच तालमेल बिठाती हैं, शहरी कार्यस्थलों में सफलता के माध्यम से लैंगिक भूमिकाओं को पुन: परिभाषित करती हैं। ये व्यक्तिगत आकांक्षाओं को वित्तीय ज़िम्मेदारियों के साथ संतुलित करती हैं, जिससे परस्पर निर्भर पारिवारिक गतिशीलता का निर्माण होता है।

निष्कर्ष: आर्थिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिये शहरी प्रवास आवश्यक है। हालाँकि महिलाओं को इन अवसरों से पूर्ण रूप से लाभ मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिये नकारात्मक प्रभावों को संबोधित किया जाना आवश्यक है।

प्रश्न: 20. इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है।

उत्तर: भारत की सांस्कृतिक विविधता, जिसमें विभिन्न भाषाएँ, धर्म और परंपराएँ सामाजिक-आर्थिक कारकों से जुड़ी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ समुदायों को आय, शिक्षा और सामाजिक स्थिति में लगातार अलाभ का सामना करना पड़ रहा है।

सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतताओं के बीच सहसंबंध

- **ऐतिहासिक स्तरीकरण:** जाति व्यवस्था ने दलितों और आदिवासियों को व्यवस्थित रूप से सीमांतता पर धकेल दिया है, उन्हें शिक्षा, नौकरियों और सामाजिक गतिशीलता से वंचित रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) में अन्य की तुलना में गरीबी दर काफी अधिक है। इसी तरह, सच्चर समिति (वर्ष 2006) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुसलमान शैक्षिक और आर्थिक अभाव से पीड़ित हैं, उनकी साक्षरता दर कम है और सरकारी नौकरियों तक उनकी पहुँच भी कम है।
- **क्षेत्रीय एवं जातीय विषमताएँ:** मध्य भारत में जनजातीय समुदाय और पूर्वोत्तर में जातीय समूह खनन, बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण अल्पविकास और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिये, नर्मदा बाँध के कारण अधिक पैमाने पर विस्थापन ने आदिवासी आबादी को असंगत रूप से प्रभावित किया।
- **भाषाई सीमांतता:** अ-हिंदी भाषी राज्य, विशेषकर दक्षिण के राज्य, प्राय: केंद्र सरकार के हिंदी पर ध्यान केंद्रित करने पर चिंता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि इससे संसाधनों के वितरण में असमानता पैदा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा होती है।
- **लैंगिक और अंत:विषयकता:** दलित महिलाओं की तरह सीमांत स्थिति पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें जाति और लैंगिक-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

विपक्ष में तर्क

- **आर्थिक संरचनाएँ:** वैश्वीकरण, नवउदारवादी नीतियाँ और कृषि संकट जैसी आर्थिक शक्तियाँ भी गरीबी की स्थिति में वृद्धि करती हैं, जिससे सीमांतता की स्थिति पर रहने वाले और गैर-सीमांतता की स्थिति में रहने वाले दोनों समुदाय प्रभावित होते हैं।
- **नीति और शासन विफलताएँ:** मनरेगा जैसी योजनाओं का खराब क्रियान्वयन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी के कारण वंचित समूह और अधिक सीमांतता की स्थिति में पहुँच गए हैं, जिससे यह बात उजागर हुई है कि सांस्कृतिक पहचान से परे शासन एक प्रमुख कारक है।

निष्कर्ष: सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक सीमांतता पर होने के बीच एक महत्त्वपूर्ण संबंध है, लेकिन व्यापक आर्थिक कारक और शासन संबंधी मुद्दे भी इसमें योगदान करते हैं। भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिये सांस्कृतिक और संरचनात्मक असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है।

■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II

प्रश्न: 1. विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए, एवं "एक राष्ट्र-एक चुनाव" के विशिष्ट संदर्भ में, चुनावी सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये।

उत्तर: "एक राष्ट्र-एक चुनाव (ONOE)" शासन में सुधार लाने और बार-बार होने वाले चुनावों के कारण उत्पन्न होने वाले व्यवधानों को कम करने के लिये संपूर्ण देश में एक साथ चुनाव कराने की पहल का समर्थन करता है।

ONOE को निम्नलिखित द्वारा समर्थन प्राप्त था

- चुनाव आयोग ने अपनी प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (1983) में विभिन्न कारणों को व्यक्त करते हुए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था:
  - सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों के आधिकारिक व्यय में कमी आएगी।
  - बार-बार होने वाले चुनाव कार्यों को कम करके प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर बोझ कम किया गया जा सकता है।
  - अल्पकालिक राजनीतिक एजेंडा से उत्पन्न होने वाले शासन संबंधी मुद्दों का शमन जा सकेगा।
- विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में इस विचार का समर्थन करते हुए प्रत्येक पाँच वर्ष में एक चुनाव की सिफारिश की।
- वर्ष 2015 में संसदीय स्थायी समिति ने "दीर्घकालिक सुशासन" का हवाला देते हुए ONOE का समर्थन किया था।

ONOE के विरुद्ध उठाई गई चिंताएँ

- लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय तथा राज्य विशेष के मुद्दों की अनदेखी सकती है।
- राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को संघवाद को कमज़ोर करने वाले क्षेत्रीय दलों पर महत्त्वपूर्ण लाभ होगा।
- इसके लिये संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यविधि नियमों में भी बड़े संशोधन की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष: "ONOE" विभिन्न लाभ प्रदान करता है, इसके कार्यान्वयन के लिये संवैधानिक संशोधनों और प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। कोविंद पैनल रिपोर्ट (2023) द्वारा सुझाए गए चरणबद्ध दृष्टिकोण से एक व्यावहारिक समाधान मिलता है, लेकिन इसकी सफलता आम सहमति और सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

प्रश्न: 2. लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिये तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिये। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं?

उत्तर: लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत गठित वैधानिक मंच हैं, जो वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के एक भाग के रूप में कार्य करती हैं।

- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा स्थापित मध्यस्थता अधिकरण न्यायालयों के बाहर विवादों का समाधान करते हैं।

लोक अदालतों और मध्यस्थता अधिकरणों के मध्य अंतर

लोक अदालत

- **विवाद समाधान की प्रकृति:** आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **बाध्यकारी प्रकृति:** निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होते हैं, साथ ही उन्हें सिविल न्यायालय का दर्जा प्राप्त होता है, जहाँ अपील नहीं की जा सकती।
- **मामलों का हस्तांतरण:** मामलों को न्यायालयों द्वारा या पक्षकारों के आवेदन पर संदर्भित किया जा सकता है।

मध्यस्थता अधिकरण

- **विवाद समाधान की प्रकृति:** कानूनी निर्णय के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बाध्यकारी निर्णय दिया जाता है।
- **बाध्यकारी प्रकृति:** निर्णय, जिन्हें मध्यस्थ आदेश के रूप में जाना जाता है, बाध्यकारी और लागू करने योग्य होते हैं, जिन्हें सीमित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है।
- **मामलों का हस्तांतरण:** पक्षकार अनुबंध के तहत मध्यस्थता के लिये सहमत होते हैं या जब पक्षकार ऐसा करने में असफल होते हैं तो संस्थाएँ मध्यस्थों की नियुक्ति करती हैं।

विवादों के प्रकार

- **लोक अदालत:** इसके क्षेत्राधिकार में सिविल और आपराधिक दोनों मामलें शामिल हैं। गैर-समझौता योग्य अपराधों पर इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
- **मध्यस्थता अधिकरण:** इसके क्षेत्राधिकार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों सहित दीवानी मामलें भी शामिल हैं, हालाँकि इन्हें आपराधिक मामलों से संबंधित अधिकार भी प्राप्त हैं।

निष्कर्ष: लोक अदालतें सिविल और समझौता योग्य आपराधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि मध्यस्थता अधिकरण का क्षेत्राधिकार वाणिज्यिक विवादों जैसे सिविल मामलों तक सीमित है। दोनों ही समय पर न्याय प्रदान कर न्यायिक भार को कम कर सकते हैं। हालाँकि उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये बेहतर संस्थागत समर्थन और संसाधनों की आवश्यकता है।

प्रश्न: 3. "कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिये पर चली गई है।" स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: भारत में कैबिनेट प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व पर ज़ोर दिया गया है और प्रधानमंत्री को "सभी में प्रथम" माना गया है। हालाँकि संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किये जाने के बावजूद इस बदलाव ने कतिपय रूप से संसदीय सर्वोच्चता को हाशिये पर डाल दिया है।

- **कार्यपालिका में शक्ति का संकेंद्रण:** कैबिनेट प्रधानमंत्री और प्रमुख मंत्रियों के हाथों में शक्ति को केंद्रीकृत करती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना की 2023 की असहमति ने संसद की मंजूरी के बिना विमुद्रीकरण की अवैधता को उजागर किया।

- **संसदीय संवीक्षा में कमी:** कैबिनेट अक्सर विधायी एजेंडे को नियंत्रित करती है, जिससे संसदीय निगरानी कम हो जाती है, जैसा कि वर्ष 2020 के कृषि कानूनों की उचित परिचर्चा के अभाव की समालोचना के रूप में देखा गया है।
- **अध्यादेश:** कैबिनेट अध्यादेशों के माध्यम से विधायी निरीक्षण को दरकिनार कर सकता है, जैसे कि दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण पर 2023 का अध्यादेश, जिसे शुरू में बिना परिचर्चा के लागू किया गया था।
- **संसदीय समिति की सीमाएँ:** समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, जिससे कैबिनेट उन्हें नज़रअंदाज कर सकती है। 16वीं लोकसभा में केवल 25% विधेयक समितियों को भेजे गए, जबकि 15वीं में यह संख्या 71% थी।

निष्कर्ष: कैबिनेट प्रणाली ने सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है, संसदीय सर्वोच्चता संवैधानिक रूप से संरक्षित है, जिसमें संसद के पास अविश्वास प्रस्ताव (अनुच्छेद 75) जैसी आवश्यक शक्तियाँ हैं। वर्ष 2021 में कृषि कानूनों को निरस्त करने से ज्ञात होता है कि संसद कार्यकारी शक्ति की प्रभावी रूप से जाँच कर सकती है, जो शासन और निगरानी के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर करती है।

प्रश्न: 4. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्त्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है?

उत्तर: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसका कार्य संघ और राज्य सरकारों के खातों की लेखापरीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक एवं कानूनी रूप से उपयोग किया जाए।

व्यय की वैधता सुनिश्चित करने में कैग की भूमिका

- इसमें यह परीक्षण शामिल है कि वित्तीय हस्तांतरण कानून, नियमों और विनियमों के अनुरूप है या नहीं।
- कैग यह सुनिश्चित करता है कि कोष का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिये किया जाए तथा उसका दुरुपयोग न हो।
- कैग केंद्र और राज्य सरकारों के खातों को प्रामाणित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे वित्तीय स्थिति का सही तथा निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं। वित्तीय विवरणों की वैधता और सटीकता बनाए रखने के लिये यह प्रमाणन महत्त्वपूर्ण है।

औचित्य सुनिश्चित करने में कैग की भूमिका

- कैग सरकारी व्यय की विवेकशीलता, ईमानदारी और औचित्य का आकलन करने के लिये ऑडिट करता है।
  - **व्यय का औचित्य:** क्या व्यय का उद्देश्य सार्वजनिक हित में है या यह अधिक है।
  - **दक्षता:** क्या आवंटित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया है या क्या कोई फिजूलखर्ची हुई है।
  - **सार्वजनिक हित:** क्या व्यय व्यापक सामाजिक लक्ष्यों, निष्पक्षता और समानता के अनुरूप है।
- राष्ट्रमंडल खेलों और कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में कैग की लेखापरीक्षा के दौरान महत्त्वपूर्ण विसंगतियाँ तथा घाटा पाया गया, जिससे वाद, चर्चा एवं कानूनी कार्रवाई आरंभ हुई।

निष्कर्ष

कैग सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करता है, जिससे सरकार की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने तथा संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में जनता का विश्वास बनाने में सहायता मिलती है।

प्रश्न: 5. स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिये और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय करने के फायदे तथा नुकसान को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: भारतीय संविधान 73 वें और 74 वें संशोधन (1992) के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की स्थापना करता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पंचायतों तथा शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, जिनमें ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला पंचायतों के साथ-साथ नगर निगम और नगर पालिकाएँ भी शामिल हैं।

- **ग्यारहवीं अनुसूची:** पंचायत को शक्तियां, प्राधिकार व ज़िम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।
- **बारहवीं अनुसूची:** नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व ज़िम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।

सुशासन में स्थानीय निकायों की भूमिका

- स्थानीय निकाय, जैसे कि बलवंत राय मेहता (1957) और अशोक मेहता (1977) जैसी समितियों द्वारा अनुशंसित किया गया है, विकास परियोजनाओं की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं एवं विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देते हैं ।
- वे स्थानीय 'सार्वजनिक उपयोगिताओं' के रूप में कार्य करते हुए, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिये 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से आवंटित वित्तीय संसाधनों से भी लाभान्वित होते हैं।
- स्थानीय निकाय आरक्षित सीटों के साथ वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं तथा ग्रामसभाओं और वार्ड समितियों के माध्यम से भागीदारी लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं।

ग्रामीण स्थानीय निकायों का शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय

फायदे	नुकसान
शहरी क्षेत्रों में समेकित विकास को बढ़ावा देता है।	शहरी प्राथमिकताओं के पक्ष में ग्रामीण मुद्दों को नज़रअंदाज किया जा सकता है। शहरी आबादी के अधिक होने पर ग्रामीण प्रतिनिधित्व को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
शहरीकरण के कारण समाप्त हो रहे ग्रामीण-शहरी विभाजन पर नियंत्रण को बढ़ाता है।	ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक विशेषताएँ शासन को जटिल बना सकती हैं।
एकीकृत प्रणाली में बड़ी इकाइयाँ बड़ी विकास परियोजनाएँ आरंभ कर सकती हैं।	ग्रामीणों को चिंता है कि शहरी स्थानीय निकायों के साथ विलय से करों में वृद्धि होगी तथा मनरेगा लाभ में कमी आएगी, जैसा कि तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शनों में देखा गया है।

निष्कर्ष: स्थानीय निकायों के विलय से कार्यकुशलता में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे स्थानीय पहचान समाप्त होने का खतरा है। संतुलित प्रशासन के लिये निर्णय लेने में सभी हितधारकों को शामिल करना महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न: 6. कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चौरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है, टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: सार्वजनिक चौरिटेबल ट्रस्ट (PCT) गैर-लाभकारी संस्थाएँ हैं, जिनकी स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 के तहत जनहित में कार्य करने तथा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, निर्धनता उन्मूलन, आपदा राहत और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने हेतु की गई है।

PCT, निम्नलिखित मुद्दों से भारत के विकास को अधिक समावेशी बना सकते हैं:

- **शासन में अंतराल की आपूर्ति:** PCT सामाजिक मुद्दों को संबोधित करके शासकीय प्रयासों को पूरक बनाते हैं, जैसे टाटा ट्रस्ट और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा में कार्य करते हैं।
- **सुभेद्य समुदायों को सशक्त बनाना:** PCT आजीविका में सुधार हेतु सुभेद्य समुदायों के साथ कार्य करते हैं, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन मातृ स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के क्षेत्र में कार्य करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी जैसे PCT जैवविविधता और वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- **समर्थन और जागरूकता:** अखिल भारतीय नेताजी सामाजिक कल्याण आंदोलन जैसे PCT लैंगिक समानता और मानव अधिकारों पर नीतिगत बदलावों का समर्थन करते हैं।
- **आपदा राहत:** PCT, आपदा के समय त्वरित राहत प्रदान करते हैं, जैसे अखिल भारतीय डॉक्टर अब्दुल कलाम कल्याण ट्रस्ट त्वरित एवं प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने के लिये राहत प्रदान करता है।

निष्कर्ष: सीमित फंडिंग, नौकरशाही संबंधी बाधाएँ और दानदाताओं पर निर्भरता चौरिटेबल ट्रस्टों के प्रभाव को बाधित कर सकती है। विनियमन और पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ-साथ शासकीय सहयोग को बढ़ाने से समावेशी विकास को बढ़ावा देने तथा सुभेद्य समुदायों को सशक्त बनाने में उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।

प्रश्न: 7. निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तर: मानव पूंजी से तात्पर्य व्यक्तियों के कौशल और ज्ञान से है जो उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। निर्धनता और कुपोषण खराब शिक्षा परिणाम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ तथा सीमित अवसरों का कारण बनकर मानव पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो अंतर-पीढ़ीगत निर्धनता और कम होती आर्थिक क्षमता के चक्र में योगदान करते हैं।

विषाक्त चक्र को तोड़ने के लिये कदम

- **क्षमता विकास दृष्टिकोण:** बेहतर आजीविका के लिये व्यक्तियों और समुदायों के कौशल (व्यावसायिक) और ज्ञान में वृद्धि करना।
  - स्थानीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदायों को शामिल करके प्रभावी शासन और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिये, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना।
- **उपभोग दृष्टिकोण:** प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण और सब्सिडी के माध्यम से कम आय वाले परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना। उदाहरण: पीएम-किसान, पीएम गरीब कल्याण योजना।
- **अंतर-पीढ़ीगत निर्धनता उन्मूलन दृष्टिकोण:** लोगों को उनके नियमित व्यवसायों के अतिरिक्त कौशल सीखने और उनकी क्षमता विकसित करने में सहायता करना, जिससे उन्हें अपनी आय में वृद्धि करने तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों से सुरक्षा करने में सहायता मिल सके। उदाहरण: स्वयं सहायता समूह (SHG)।
- **शैक्षणिक एवं जागरूकता:** अति-उपभोक्तावाद से प्रेरित फास्ट फूड के स्थान पर स्वस्थ, पौष्टिक खाद्य संसाधनों के प्रति जागरूकता एवं पहुँच को बढ़ावा देना, सेहतमंद आहार विकल्पों को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक है।

निष्कर्ष: निर्धनता और कुपोषण के विषाक्त चक्र को तोड़ना निर्धनता तथा भूख से संबंधित एसडीजी-2 एवं 3 को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वस्थ व्यक्तियों को सुनिश्चित करने से प्रभावी मानव पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः दीर्घकालिक राष्ट्रीय समृद्धि को बढ़ावा देगा।

प्रश्न: 8. प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिये।

उत्तर: प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें शासकीय संस्थाएँ प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं, विनियमों और मानदंडों के आधार पर कार्य करती हैं तथा लोगों एवं शासन करने वालों के बीच विश्वास में वृद्धि करती है।

प्रजातांत्रिक शासन में सकारात्मक लोक धारणा के लिये लोक सेवकों से कुछ मानकों की अपेक्षा की जाती है

- **जवाबदेही:** अपने कार्यों की ज़िम्मेदारी लेना और सामान्य जन के प्रति जवाबदेह होना। जैसे- सामाजिक लेखा परीक्षा।
- **निष्पक्षता:** सभी नागरिकों के साथ समान और बगैर किसी पक्षपात के व्यवहार करना, सेवा प्रदायगी में न्याय सुनिश्चित करना। उदाहरणार्थ, सबका साथ सबका विकास।
- **पारदर्शिता:** प्रक्रियाओं, निर्णयों और नीतियों के संबंध में सुस्पष्ट तथा सुलभ जानकारी प्रदान करना। उदाहरणार्थ, सूचना का अधिकार अधिनियम।
- **उत्तरदायित्व:** नागरिकों की आवश्यकताओं, चिंताओं और फीडबैक को ध्यान से तथा शीघ्रता के साथ संबोधित करना। जैसे- सिटीजन-चार्टर।
- **नैतिक आचरण:** सख्त आचार संहिता का पालन करना और भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग से बचना। जैसे- आचार संहिता।
- **व्यावसायिकता:** अपनी भूमिकाओं में क्षमता, समर्पण और सम्मान का प्रदर्शन करना। COVID-19 टीकाकरण अभियान की सफलता।
- **सहानुभूति:** समुदाय की विविध आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को समझना तथा उनका मूल्यांकन करना। उदाहरण के लिये, विशेष रूप से सक्षम लोगों की आवश्यकताओं को संबोधित करना।
- **सहयोग:** शासन को बढ़ाने के लिये नागरिकों समेत विभिन्न हितधारकों के साथ कार्य करना। जैसे- स्वच्छ भारत अभियान।

- **लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता:** समुदाय के हित को प्राथमिकता देना और लोक कल्याण में सुधार के लिये प्रयास करना।

हालाँकि भ्रष्टाचार, नौकरशाही जड़ता, पारदर्शिता की कमी और अप्रभावी संचार जैसी चुनौतियाँ लोक विश्वास को समाप्त कर सकती हैं।

निष्कर्ष: लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति सकारात्मक लोक धारणा प्राप्त करने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जनता के अविश्वास के मूल कारणों और उसमें वृद्धि करने की रणनीतियों दोनों को संबोधित करता है। सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये निरंतर प्रयासों के माध्यम से ही सरकारें प्रजातांत्रिक संस्थाओं की वैधता तथा प्रभावशीलता सुनिश्चित कर सकती हैं।

प्रश्न: 9. "पश्चिम भारत को, चीन की आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता कम करने के लिये एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिये रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है।" उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिये।

उत्तर: चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभुत्व और मज़बूत विस्तारवादी रणनीतियों की प्रतिक्रिया में पश्चिमी देश 'चीन+1' रणनीति को महत्त्व देने के साथ इसको प्रतिसंतुलित करने में भारत को प्रमुख विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

यह रणनीतिक बदलाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं:

चीन की आपूर्ति शृंखला पर निर्भरता में कमी लाना

- रणनीतिक और उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में 'अमेरिका-भारत' पहल का उद्देश्य चीन की प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के क्रम में सेमीकंडक्टर उपकरण, AI, रक्षा सहयोग आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
- भारत एवं यूरोपीय संघ की मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने के साथ टैरिफ को कम करना है।
- एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों द्वारा भारत में अपना विस्तार करने से न केवल चीन की आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता में कमी आ रही है बल्कि इन कंपनियों को भारत के उपभोक्ता बाज़ार का लाभ मिल रहा है।

चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत

- प्रस्तावित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) को यूरेशिया में चीन की BRI रणनीति को प्रतिसंतुलित करने के रूप में देखा जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी।
- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD) सुरक्षा, आर्थिक और पर्यावरणीय सहयोग के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की 2+2 वार्ता तथा मालाबार तथा RIMPAC जैसे संयुक्त अभ्यास इन देशों के बीच अंतर-संचालन एवं सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
- अमेरिका के नेतृत्व वाला हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) आर्थिक चुनौतियों से निपटने एवं व्यापार सहयोग के माध्यम से चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के क्रम में भारत का सहयोगी है।

निष्कर्ष: निकट भविष्य में भारत के पास वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एक प्रमुख हितधारक के रूप में उभरने की क्षमता है लेकिन इस क्षमता का पूरा लाभ प्राप्त करने हेतु इसे बुनियादी एवं नियामक ढाँचे संबंधी आंतरिक चुनौतियों का समाधान करना होगा। अन्य देशों के साथ साझेदारी का लाभ उठाकर भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत कर सकता है बल्कि एक अधिक संतुलित विश्व व्यवस्था में भी योगदान दे सकता है।

प्रश्न: 10. मध्य एशियाई गणराज्यों (C-A-R-s) के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति में उनके बढ़ते महत्त्व पर प्रकाश डालिये।

उत्तर: मध्य एशिया में भारत, वैश्विक शक्तियों से प्रतिस्पर्द्धा के बीच अपनी स्थिति को मज़बूत करने की ओर अग्रसर है।

मध्य एशियाई गणराज्यों का महत्त्व

- मध्य एशियाई देश (विशेषकर कजाकिस्तान) कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम और सोने जैसे खनिजों से समृद्ध हैं।
- मध्य एशिया यूरोप, अमेरिका, चीन और ईरान के लिये महत्त्वपूर्ण है तथा यहाँ चीन BRI के भाग के रूप में अत्यधिक निवेश कर रहा है।

भारत-CAR संबंधों का विकास

- "कनेक्ट सेंट्रल एशिया" पहल (2012), भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन (2021 से) और SCO में भागीदारी मध्य एशिया के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने के भारत के प्रयासों को दर्शाती है।
- TAPI पाइपलाइन का विकास; भारत का अश्गाबात समझौते (2018) में शामिल होना और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बाईपास करने के लिये चाबहार बंदरगाह का विकास- ये सभी मध्य एशिया एवं यूरेशिया के साथ बेहतर व्यापार के प्रयासों को दर्शाते हैं।
- वर्ष 2022 में भारत ने अफगानिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता के साथ आतंकवाद के संभावित खतरे के बीच CAR के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की। ताजिकिस्तान में भारत के सैन्य अड्डों के साथ यह उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त अभ्यास करता है, जो इस क्षेत्र में रक्षा साझेदारी के क्रम में इसके प्रयासों को दर्शाता है।

समालोचनात्मक विश्लेषण

अशांत अफगानिस्तान के कारण कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएँ जारी रहने तथा भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार बाधित हो रहा है। भारत का मध्य एशियाई व्यापार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो चीन के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी कम है। इस क्षेत्र में भारत की प्रगति सीमित बनी हुई है।

निष्कर्ष: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के वास्तविक होने के साथ, 21वीं सदी संभवत: इस क्षेत्र के लिये सबसे निर्णायक अवधि हो सकती है। जैसा कि भारत अपनी सीमाओं से परे देखता है, मध्य एशियाई गणराज्य भारत को मध्य एशिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये अपने राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाने के लिये सही मंच प्रदान करता है।

प्रश्न: 11. अभी हाल ही में पारित तथा लागू किये गए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के लक्ष्य तथा

उद्देश्य क्या हैं? क्या विश्वविद्यालय/राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं?

उत्तर: लोक परीक्षाओं में प्रश्न-पत्र लीक और कदाचार की बढ़ती घटनाओं से निपटने और पूरे भारत में परीक्षा प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिये संसद द्वारा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित किया गया है।

अधिनियम लक्ष्य तथा उद्देश्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य लोक परीक्षाओं में संगठित अपराध एवं कदाचार तथा अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है।
  - इसमें लाभ के लिये अनुचित साधनों को परिभाषित किया गया है, जैसे प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी (आंसर की) तक अनाधिकृत पहुँच या उन्हें लीक करना,
- यह अधिनियम परीक्षा प्रणाली में जनता का विश्वास बनाने के लिये दिशा-निर्देश और कठोर दंड का प्रावधान करता है।
  - अनुचित साधनों में डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना तथा फर्जी परीक्षा आयोजित करना शामिल है। बिल के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती हैं।
- सख्त उपायों को लागू कर, यह अधिनियम निष्पक्ष परिणामों में उम्मीदवारों का विश्वास बढ़ाता है।
  - उपरोक्त अपराधों के लिये तीन से पाँच वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है तथा अपराधों की जाँच उप अधीक्षक या सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
- यह कानून परीक्षा में निष्पक्षता संबंधी अपराधों से निपटने के लिये एक रूपरेखा स्थापित करता है।
  - एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति डिजिटल प्लेटफॉर्मों और मज़बूत सूचना संचार प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिये प्रोटोकॉल विकसित करेगी।

शामिल परीक्षाएँ

- **लोक परीक्षा की व्यापक परिभाषा:** लोक परीक्षाएँ अधिनियम के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिनमें UPSC, SSC आदि परीक्षाएँ शामिल हैं।
  - अधिनियम में "संस्था" को किसी भी ऐसी एजेंसी या संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण और उनके सेवा प्रदाता शामिल नहीं हैं।
- **विश्वविद्यालयों और राज्य परिषदों का समावेश:** यद्यपि विश्वविद्यालय और राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, फिर भी केंद्र सरकार विधेयक के अंतर्गत अतिरिक्त प्राधिकारियों को अधिसूचित कर सकती है।
  - हालाँकि यह विधेयक राज्यों के लिये भी एक आदर्श के रूप में कार्य करता है, जिससे राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं में आपराधिक व्यवधानों को रोकने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष: लोक परीक्षा अधिनियम, 2024 पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर, भ्रष्टाचार का समाधान कर सभी उम्मीदवारों के लिये निष्पक्षता सुनिश्चित करके भारत में लोक परीक्षाओं की अखंडता को मज़बूत करता है।

प्रश्न: 12. निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के आतंरिक भाग के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिये। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिये डी.एन.ए.परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिये।

उत्तर: निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की अवधारणाओं में अंतर्निहित है।

निजता का अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है

- निजता का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तियों को राज्य के हस्तक्षेप के बिना व्यक्तिगत विकल्प चुनने का अधिकार देता है, जिससे स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है।
  - इसमें किसी व्यक्ति के शरीर, स्वास्थ्य और प्रजनन संबंधी मामलों के बारे में बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की क्षमता, साथ ही अनधिकृत संग्रहण या उपयोग को रोकने के लिये व्यक्तिगत डाटा को प्रबंधित करने का अधिकार भी शामिल है।
- यह व्यक्तिगत संचार, जैसे फोन कॉल, ईमेल और पत्र की निजता की भी रक्षा करता है तथा व्यक्तियों को अनुचित निगरानी से संरक्षित करता है।
  - यह बहुआयामी अधिकार व्यक्तिगत गरिमा और स्वायत्तता के महत्त्व को रेखांकित करता है।

पितृत्व के लिये डी.एन.ए.परीक्षण हेतु कानून

- **निजता का अधिकार:** 'पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ' (वर्ष 2017) निर्णय ने स्थापित किया कि डी.एन.ए.परीक्षण सहित निजता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, महिला और अजन्मे बच्चे की निजता का सम्मान करते हुए, वैधता, आवश्यकता तथा आनुपातिकता के मानदंडों को पूरा करना चाहिये।
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 116):** यह माना जाता है कि विवाह संबंध से जन्मा शिशु वैध है। जब प्रथम दृष्टया साक्ष्य पितृत्व पर संदेह पैदा करता है, तो डी.एन.ए. परीक्षण का आदेश दिया जा सकता है, जैसा कि नंदलाल वासुदेव मामला, 2014 में देखा गया था, जहाँ डी.एन.ए. इस संदेह को समाप्त कर पितृत्व को सिद्ध कर सकता है।
- **गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994:** यह वैध चिकित्सा कारणों को छोड़कर, दुरुपयोग एवं लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिये डी.एन.ए. परीक्षण समेत प्रसव पूर्व निदान परीक्षणों को विनियमित करता है।
- **डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक- 2019:** डी.एन.ए.परीक्षण के लिये सहमति की आवश्यकता है, जो कानूनी विवादों के लिये न्यायालय के हस्तक्षेप की अनुमति देता है। विधेयक निजता को संरक्षण प्रदान करने के साथ डी.एन.ए. डाटा के दुरुपयोग पर दंड का प्रावधान भी करता है।
- **न्यायिक टिप्पणी:** अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया, 2023 बच्चों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए, तलाक के विवादों में डी.एन.ए. परीक्षण का आदेश केवल तभी दिया जाना चाहिये,जब प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों।

निष्कर्ष: पितृत्व के लिये डी.एन.ए. परीक्षण की अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन इसमें निजता का अधिकार, विधिक संरक्षण और नैतिक

चिकित्सा का पालन करना होगा। न्यायालयों को परिस्थितियों के आधार पर इन प्रतिस्पर्द्धी अधिकारों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना चाहिये, ताकि निजता और न्याय सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न: 13. केंद्र सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किये हैं? संघवाद को मज़बूत करने के लिये केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिये उपाय सुझाइये।

उत्तर: भारत में केंद्र-राज्य संबंधों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों एवं उत्तरदायित्व का वितरण शामिल है, जो भारतीय लोकतंत्र का मूल है। इस ढाँचे को संविधान के भाग XI में रेखांकित किया गया है।

केंद्र-राज्य संबंधों में हालिया परिवर्तन

- **प्रशासनिक स्तर पर:** वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की।
- **विधायी स्तर पर:** वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर का भारत संघ में पूर्ण एकीकरण संभव हो गया।
  - वर्ष 2024 में कैबिनेट ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की रिपोर्ट को स्वीकृति दी, जिसमें समन्वित चुनाव की सिफारिश की गई।
- **वित्तीय स्तर पर:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजकोषीय संघवाद में एक प्रमुख सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, हालाँकि इससे राजकोषीय स्वायत्तता की हानि हुई है क्योंकि इसकी दरें GST काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

चिंताएँ

- **प्रशासनिक चिंताएँ:** अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग (राज्य की सहमति के बिना केंद्रीय बलों की तैनाती और राज्यपाल की भूमिका)।
  - केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिये आवंटन में काफी वृद्धि हुई है, जिससे राज्यों की अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने की क्षमता सीमित हो गई है।
- **विधायी:** राज्य सूची के विषयों में केंद्र का अतिक्रमण और राज्य विधेयकों पर सहमति प्राप्त करने में विलंब।
  - उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करके राज्यों पर केंद्रीय दिशा-निर्देश लागू कर दिये गए, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य का विषय है।
- **वित्तीय मुद्दे:** संसाधन जुटाने, आवंटन और आर्थिक निर्णय लेने में शक्तियों का केंद्रीकरण।

केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिये उपाय

- केंद्र और राज्यों के बीच संवाद तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया को विशेषकर अंतर्राज्य परिषद (1983 में सरकारिया आयोग) को सशक्त बनाकर सुदृढ़ करना आवश्यक है।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट (1969) सहकारी संघवाद के लिये सिफारिशें:
  - अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना।
  - राज्यों को अधिकतम सीमा तक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
  - केंद्र से राजकोषीय हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना।
  - सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में दीर्घकालीन अनुभव रखने वाले गैर-पक्षपातपूर्ण व्यक्ति की किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति।
- केंद्र को राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 355 और 356 के उपयोग को सीमित करना चाहिये।

निष्कर्ष: संघवाद को मज़बूत करने के लिये अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से बेहतर संवाद, समय पर कानून बनाना और राज्यों के लिये वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना आवश्यक है।

संघवाद को मज़बूत करने के लिये राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता, शीघ्र कानून अधिनियमन तथा अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से बेहतर संचार आवश्यक है।

प्रश्न: 14. भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिये। इसके परिणामस्वरूप, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है?

उत्तर: जनहित याचिका (PIL) एक कानूनी कार्रवाई है जो व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर जनता या किसी विशिष्ट समूह के हितों की रक्षा के लिये न्यायालय में प्रारंभ की जाती है।

- न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई (1976) मामले में भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत की।
- इसे किसी वैधानिक कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसकी उत्पत्ति भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति से प्रारंभ हुई।

जनहित याचिकाओं की वृद्धि के कारण

- **संवैधानिक ढाँचा:** मौलिक अधिकार तथा नीति-निर्देशक सिद्धांत जनहित याचिकाओं के लिये आधार प्रदान करते हैं तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं।
- **लोकस स्टैंडी को आसान बनाना:** न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं के लिये इस सिद्धांत में ढील प्रदान की है, जिससे संबंधित नागरिकों या संगठनों को हाशिए पर पड़े समूहों की ओर से याचिकाएँ दायर करने की अनुमति प्राप्त हुई।
- **न्यायिक सक्रियता:** न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं के दायरे को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है, विशेष रूप से जहाँ कार्यपालिका न्याय देने में विफल रही है।
  - बँधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) ने सामाजिक न्याय के लिये न्यायालयों तक पहुँच को उदार बनाने की मिसाल कायम की।
- **सरकारी प्राधिकारियों की निष्क्रियता:** जनहित याचिकाओं (PIL) में वृद्धि का कारण सार्वजनिक मुद्दों (जैसे- नौकरशाही संबंधी रुकावटें और भ्रष्टाचार) के समाधान में सरकारी निकायों की अपर्याप्तता को माना जा सकता है, जिसके कारण नागरिक न्यायालयों में जनहित याचिकाएँ दायर करने के लिये प्रेरित होते हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को वैश्विक न्यायपालिका बनाना

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
■ जनहित याचिका के माध्यम से अब हाशिए पर पड़े तथा चुप रहने वाले लोग भी न्यायालयों और न्याय प्राप्त कर सकते हैं।	■ जनहित याचिकाएँ, अपने प्रारंभिक उच्च मनोभाव के बावजूद, तीव्रता से "निजी/राजनीतिक/प्रचार हित मुकदमेबाजी" में परिवर्तित होती जा रही हैं।

- जनहित याचिका ने न्यायालयों को प्रशासन को उसकी निष्क्रियता के लिये ज़िम्मेदार ठहराने का अधिकार दिया है।
- जनहित याचिकाओं ने भी नागरिकों के अधिकारों को सक्रिय रूप से विस्तारित करने में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता की है। (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य,1997)।
- न्यायिक समीक्षा प्राय: न्यायिक अतिक्रमण में परिवर्तित हो जाती है; यह एक ऐसी समस्या है जो जनहित याचिकाओं के साथ बढ़ी है।
- जनहित याचिकाओं के माध्यम से बढ़ते मामलों ने न्यायपालिका के लिये लंबित मामलों की एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है, जिससे उसे उन मामलों से निपटना पड़ रहा है जिन्हें विधायिका या कार्यपालिका द्वारा निपटाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष: अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया जैसी तुलनीय व्यवस्था होने के बावजूद, भारत में उपर्युक्त तत्त्वों की विशिष्ट अंतर्क्रिया यह धारणा बनाती है कि सर्वोच्च न्यायालय अत्यधिक शक्तिशाली है, विशेष रूप से उभरते लोकतंत्रों में। लेकिन न्यायिक समीक्षा एवं अतिक्रमण के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना आवश्यक है; लोकतंत्रों में "शक्तियों के पृथक्करण" को बनाए रखना प्रभावी रूप से लाभकारी है।

प्रश्न: 15. भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिये और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिये)

उत्तर: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में अत्यंत भिन्नता है।

- भारत धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, जो सभी धर्मों को उनके आकार या प्रभाव की परवाह किये बिना समान सम्मान देता है।
- इसके विपरीत, पश्चिमी अवधारणा, जिसका उदाहरण अमेरिका है, धर्म और राज्य के बीच पूर्ण पृथक्करण का संकेत देती है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता

- राज्य के धर्म की अनुपस्थिति अनु. 28
- धार्मिक भेदभाव का निषेध अनु. 15
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण अनु. 29
- धार्मिक आचरण में सुधार (तीन तलाक निर्णय)
- संविधान की मूल संरचना के रूप में धर्मनिरपेक्षता (एस.आर. बोम्मई मामला)
- धार्मिक सहिष्णुता (सर्व धर्म सभाव) को बढ़ावा देना
- पूजा स्थलों का संरक्षण (पूजा स्थल अधिनियम, 1991)
- समान नागरिक संहिता एक उद्देश्य के रूप में अनु. 44

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्मनिरपेक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण:

पहलू	भारत	संयुक्त राज्य अमेरिका
संवैधानिक आधार	प्रस्तावना (42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976) , अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25-28	प्रथम संशोधन, "स्थापना खंड"
धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा	सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान	चर्च और राज्य का पृथक्करण
धर्म में राज्य की भागीदारी	सक्रिय (जैसे- मंदिरों का प्रबंधन, तीर्थयात्राओं को सब्सिडी प्रदान करना)	न्यूनतम (समर्थन या हस्तक्षेप से निषिद्ध)
धार्मिक शिक्षा	पूर्णत: राज्य वित्तपोषित विद्यालयों में इसकी अनुमति नहीं है	सरकारी विद्यालयों में प्रतिबंधित, निजी संस्थानों में अनुमति
व्यक्तिगत कानून	विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिये अलग-अलग (जैसे- हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ)	राज्य-विशिष्ट परिवार कानून नागरिकों पर लागू होता है
धार्मिक गतिविधियों के लिये राज्य वित्तपोषण	धर्मनिरपेक्ष पहलुओं के लिये अनुमति दी गई जैसे: शिक्षा (मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान) स्वास्थ्य सेवा (क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज)	सामान्यत: निषिद्ध, कुछ अपवाद (जैसे- आस्था-आधारित पहल)
हालिया कानूनी चुनौतियाँ	सीएए 2019, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध (कर्नाटक, 2022)	विद्यालय प्रार्थना पर बहस, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीक

निष्कर्ष: भारत और अमेरिका दोनों ही देशों को राजनीति में धार्मिक प्रभाव तथा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच परस्पर क्रिया को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतत: सद्भाव और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धर्मनिरपेक्षता की सफलता दोनों देशों में संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की दृढ़ प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

प्रश्न: 16. नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिये नागरिक अधिकार-पत्र पर एक ऐतिहासिक पहल रही है। किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिये और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये?

उत्तर: नागरिक अधिकार-पत्र एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य लोक सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता में वृद्धि करना है। नागरिक अधिकार-पत्र के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया जाता है।

नागरिक अधिकार-पत्र के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले कारक/चुनौतियाँ

- अनेक नागरिक नागरिक अधिकार-पत्र के अस्तित्व या इसके द्वारा उन्हें दिये गए अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ हैं, जो लोक प्राधिकारियों को जवाबदेह बनाने में असफल रहते हैं।
- नागरिक अधिकार-पत्र में सेवा मानकों का उल्लेख है, सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करने पर दंडित करने के लिये सीमित प्रवर्तन तंत्र हैं।

- कुछ विभाग अपने अधिकार-पत्र में नियमित रूप से संशोधन नहीं कर रहे हैं। इससे असंगति और असमान सेवा प्रदायगी की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- कई अधिकारी नागरिक अधिकार-पत्र को एक अतिरिक्त बोझ समझते हैं तथा इसके मानकों का पालन करने में अनिच्छा दिखाते हैं।
- नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में सार्वजनिक अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा नागरिक अधिकार-पत्र की समझ का अभाव इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालता है।

चुनौतियों पर काबू पाने हेतु उपाय

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने नागरिक अधिकार-पत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये विभिन्न सिफारिशें प्रस्तावित कीं:
  - गैर-अनुपालन के लिये दंडात्मक उपायों को लागू करना, जैसे कि अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई, जवाबदेही में सुधार कर सकती है।
  - अधिकार-पत्र में अधूरे वादों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करने के बजाय, प्राप्त करने योग्य प्रतिबद्धताओं की सीमित संख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - विभिन्न संगठनों में एक समान चार्टर सेवा प्रदायगी की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकते हैं; इसलिये ऐसे अधिकार-पत्र विकसित करना आवश्यक है जो स्थानीय संदर्भों और विशिष्ट संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
  - जब नागरिक चार्टर में की गई प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं की जाती हैं तो अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिये, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि वे अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करें और जनता का विश्वास बनाए रखें।
  - नागरिक अधिकार-पत्रों की निरंतर समीक्षा और संशोधन किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रासंगिक, प्रभावी बने रहें तथा जनता की बदलती आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बने रहें।
  - अधिकार-पत्र के निर्माण से पहले, संगठन को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये अपनी संरचना और प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करना चाहिये।

निष्कर्ष

नागरिक अधिकार-पत्र में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करके शासन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। हालाँकि इस क्षमता को साकार करने के लिये जागरूकता बढ़ाने, बेहतर जवाबदेही, प्रभावी प्रशिक्षण और नागरिक आवश्यकताओं पर केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से क्रियान्वयन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है।

प्रश्न: 17. लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाज़ारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिये व्यापक भूमिका निभानी चाहिये। कुछ ऐसे उपाय सुझाइये जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुँच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सके।

उत्तर: भारत का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र वर्ष 2023 में 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें निजी क्षेत्र माध्यमिक और तृतीयक देखभाल (मेट्रो, टियर-I और टियर-II शहरों में प्रमुख एकाग्रता) क्षेत्र पर हावी है। बाज़ारीकरण के विस्तार से स्वास्थ्य को एक वस्तु के रूप में देखने, रोगी कल्याण पर मुनाफे को प्राथमिकता देने, संभावित रूप से देखभाल की गुणवत्ता से समझौता करने और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की असमानताओं को बढ़ाने से चिंता बढ़ जाती है।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के बाज़ारीकरण के दुष्प्रभावों को रोकने में राज्य की भूमिका

- **स्वास्थ्य का अधिकार:** संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, जिसके तहत राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बाज़ारीकरण के दबावों के बीच इस अधिकार की रक्षा करेगा, जिससे असमानता और देखभाल में कमी हो सकती है।
- **राज्य एक परोपकारी के रूप में:** यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक अस्पतालों और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) जैसी सब्सिडी युक्त देखभाल योजनाओं के माध्यम से सभी को, विशेष रूप से कमज़ोर समूहों को, स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों।
  - गुणवत्ता मानकों और रोगी को ठीक करने के उपायों को स्थापित करना, गरिमा तथा अधिकारों को बनाए रखना।
- **विनियामक के रूप में राज्य:** भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के माध्यम से राज्य लाभ-संचालित देखभाल के ह्रास को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिये मानदंड निर्धारित करता है।
- **राज्य एक सुविधाकर्त्ता के रूप में:** वंचित क्षेत्रों में देखभाल प्रदायगी के विस्तार के लिये PPP को सुविधाजनक बनाना। यह समतामूलक स्वास्थ्य देखभाल के वित्तपोषण के लिये धन एकत्रित करता है।

तृणमूल स्तर पर लोक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच विस्तार हेतु उपाय

- राज्य को सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं (आशा, ANM) को प्रशिक्षित करना चाहिये ताकि वे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच सेतु के रूप में कार्य कर सकें, स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोग का शीघ्र पता लगाने में सहायता कर सकें।
- निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक देखभाल समेत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों के संचालन का विस्तार करना।
  - स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने और समुदाय-विशिष्ट स्वास्थ्य पहलों को बढ़ाने के लिये 15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग करना।
- कम टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जैसी पहलों को लागू करना।
- इसके अतिरिक्त, आकांक्षी जिलों में नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, डाटा-संचालित निर्णयों के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी का उपयोग करना और टेलीहेल्थ सेवाओं को एकीकृत करना स्वास्थ्य सेवा की पहुँच तथा प्रभावशीलता को और बढ़ाएगा।

निष्कर्ष: राज्य को प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने और

किफायती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, रोगी कल्याण को प्राथमिकता देने तथा कमज़ोर आबादी हेतु पहुँच में सुधार करने के लिये बाज़ारीकरण का उपयोग करना चाहिये।

प्रश्न: 18. ई-गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैत्यिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेयता को सुनिश्चित करने के लिये विविध प्रकार की अन्तक्रियाएँ भी है। इस संदर्भ में ई-गवर्नेंस के 'इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल' का मूल्यांकन कीजिये।

उत्तर: ई-गवर्नेंस सरकार/राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को सेवा प्रदायगी हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग है। जैसे डिजिलॉकर, लाइफ सर्टिफिकेट, मोबाइल सर्विस आदि। ई-गवर्नेंस का इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल एकतरफा सेवा प्रदायगी को अंतर्क्रियाओं में परिवर्तित करता है, जिससे नागरिकों को अपनी चिंताएँ व्यक्त करने और निर्णयन में भाग लेने का अवसर मिलता है।

पारदर्शिता और जवाबदेयता सुनिश्चित करने में इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल (ISM) की भूमिका

- **दो-तरफा प्रेषण:** भारत में MyGov प्लेटफॉर्म जैसी पहल नागरिकों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष अंतर्क्रियाओं को सक्षम बनाती है, जिससे सहभागिता के साथ-साथ विभिन्न प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है।
- **सूचना तक पहुँच:** सूचना का अधिकार जैसी व्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल जैसे पोर्टल नागरिकों को व्यापक अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं।
- **शिकायत निवारण:** केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) जैसी प्रणालियाँ नागरिकों को समस्याओं की रिपोर्ट करने तथा त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती हैं।
- **नागरिक सहभागिता:** "भागीदारी" जैसे कार्यक्रम शासन में सक्रिय नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे जनता और सरकार के बीच की भागीदारी सुदृढ़ होती है।
- **प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र:** कर्नाटक की भूमि (सॉफ्टवेयर) जैसी परियोजनाएँ डिजिटल भूमि अभिलेखों पर नागरिकों का रीयल टाइम फीडबैक प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे सेवा प्रदायगी के संदर्भ में जवाबदेयता में वृद्धि होती है।
- **पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) जैसी पहल, जिसमें मेघालय राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा कानून पारित करने वाला पहला राज्य है, में शासकीय प्रक्रियाओं में ग्रहणशीलता बढ़ाना तथा जनता के बीच विश्वास स्थापित करना शामिल है।

यद्यपि इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी तक असमान पहुँच (शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच 67% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 31%), नवीन प्रणालियों को अपनाने में नौकरशाही का विरोध तथा डाटा गोपनीयता संबंधी (जो नागरिक भागीदारी को सीमित कर सकती हैं)। चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष: ई-गवर्नेंस के इंटरएक्टिव सर्विस मॉडल की चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार को ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल अंतराल को खत्म करना चाहिये और डाटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ-साथ नौकरशाही सुधार को प्रोत्साहित करते हुए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे ई-पारदर्शिता में वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एवं सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे प्रदायगी सेवाएँ सभी के लिये स्पष्ट और सुलभ होंगी।

प्रश्न: 19. आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-निरोधी समिति (CTC) तथा इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

उत्तर: वैश्विक आतंकवाद सूचकांक वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मौतों में 22% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2017 के पश्चात् से सबसे अधिक है। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-निरोधी समिति (CTC) इस मुद्दे से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिये आतंकवाद का खतरा

- **राज्य संप्रभुता का क्षरण:** अफगानिस्तान और सोमालिया में कमज़ोर सरकारें तालिबान तथा अल-शबाब को उत्थान का मौका देती हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** 9/11 के हमलों से अमेरिका को 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि वर्ष 2015 के पेरिस हमलों से यूरोपीय पर्यटन को नुकसान पहुँचा।
- **मानवीय संकट:** ISIS तथा सीरिया और इराक में संघर्षों के कारण बड़े शरणार्थी संकट उत्पन्न हो गए हैं, जिससे मेजबान देशों पर दबाव बढ़ गया है।
- **राजनीतिक तनाव:** आतंकवाद भू-राजनीतिक संघर्षों को बढ़ाता है, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका उदाहरण वर्ष 2019 का पुलवामा हमला है।

UNSC-CTC और इसकी प्रभावशीलता

- इसकी स्थापना 9/11 के हमलों के बाद आतंकवाद से निपटने के लिये प्रस्ताव 1373 द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 और 1540 जैसे विधिक ढाँचों के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है, जिसके अंतर्गत सदस्य देशों को आतंकवाद से लड़ने तथा हथियारों के प्रसार को रोकने की आवश्यकता होती है।
- यह क्षमता निर्माण पहल को बढ़ावा देता है, खुफिया जानकारी साझा करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है तथा आधुनिक रणनीतियों के साथ साइबर आतंकवाद और सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।

UNCTC की चुनौतियाँ

- **सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव:** आतंकवाद की असंगत परिभाषाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएँ सामने आती हैं।
- **प्रवर्तन संबंधी मुद्दे:** सोमालिया जैसे स्थानों में आतंकवाद-निरोधी प्रयास अक्सर विभिन्न भौतिक और शासन-संबंधी बाधाओं के कारण अप्रभावी हो जाते हैं।
- **राजनीतिक जटिलताएँ:** वीटो शक्ति, विशेष रूप से चीन की ओर से, आतंकवादी घोषित

करने पर आम सहमति बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

- **उभरते खतरे:** साइबर आतंकवाद और इससे होने वाले हमले जैसी नई चुनौतियाँ तेजी से उभर रही हैं।

सुधार हेतु सुझाव

- आतंकवाद-निरोधी बाध्यकारी ढाँचे का निर्माण करना।
- वित्तपोषण और आवागमन हेतु वास्तविक समय पर सूचना साझाकरण को बढ़ावा देना।
- कट्टरपंथ को रोकने के लिये स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना।
- विकासशील देशों के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाना।

निष्कर्ष: CTC ने आतंकवाद का सामना करने में प्रगति की है, एक सक्रिय दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है। विधिक ढाँचे को मज़बूत करना, खुफिया जानकारी साझा करना और सामुदायिक पहल को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उभरते खतरों से निपटने तथा वैश्विक सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये बेहतर ढंग से तैयार करेगा।

प्रश्न: 20. वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिये मालदीव के भू-राजनीतिक तथा भू-रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है?

उत्तर: मालदीव- जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक महत्त्वपूर्ण भाग है- हिंद महासागर में महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित है, जो मालदीव के भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्त्व को उसके भौतिक आकार से कहीं अधिक परिभाषित करता है।

मालदीव का भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक महत्त्व

- **संचार हेतु समुद्री मार्ग (SLOC):** मालदीव के दक्षिणी और उत्तरी छोर पर दो महत्त्वपूर्ण SLOC हैं, जो अदन की खाड़ी, होर्मुज की खाड़ी तथा मलक्का जलडमरूमध्य के बीच समुद्री व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारत का 50% बाह्य व्यापार तथा 80% ऊर्जा आयात अरब सागर में स्थित इन SLOC से होकर गुजरता है।
- **हिंद महासागर भारत का पिछला भाग:** मालदीव की रणनीतिक स्थिति, सहयोगात्मक रक्षा पहलों तथा समुद्री निगरानी और मानवीय सहायता में संयुक्त प्रयासों के कारण हिंद महासागर में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत-मालदीव संबंधों में परिवर्तन का प्रभाव

हाल के वर्षों में भारत-मालदीव संबंधों में गिरावट देखी गई है:

- **सामरिक गतिशीलता:** मालदीव के साथ भारत की सीमित भागीदारी ने BRI निवेश के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभाव को सक्षम किया है, जिससे प्रमुख समुद्री मार्गों पर भारत के नियंत्रण और इसकी समुद्री सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।
- **आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा:** मालदीव में भारत के तुलनात्मक रूप से कम निवेश के कारण, चीन अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के साथ एक प्रमुख आर्थिक अभिकर्त्ता के रूप में उभरा है, जो इस क्षेत्र में प्राथमिक भागीदार के रूप में भारत की दीर्घकालिक स्थिति को सीधे चुनौती दे रहा है।
- **कूटनीतिक तनाव:** मालदीव की संतुलन रणनीति, जिसे भारत के 'बिग ब्रदर सिंड्रोम' के रूप में माना जाता है, भारत के कूटनीतिक प्रयासों को जटिल बनाती है और हिंद महासागर में उसके प्रभाव को कमज़ोर करती है।
- **समुद्री सुरक्षा:** मालदीव और श्रीलंका में नई डॉकिंग सुविधाओं के साथ-साथ चीन की पनडुब्बी तथा विध्वंसक तैनाती, भारत के समुद्री हितों के लिये खतरा उत्पन्न करती है।
- **आतंकवाद:** भारत विरोधी भावना और मालदीव का इस्लामी मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना आतंकवाद के बारे में चिंताएँ बढ़ाता है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है एवं भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

निष्कर्ष: बढ़ते चीनी प्रभाव और भारत विरोधी भावना के बीच, क्षेत्रीय स्थिरता तथा आपसी समृद्धि के लिये भारत-मालदीव संबंधों को मज़बूत करना आवश्यक है। सामंजस्यपूर्ण साझेदारी से आर्थिक संवृद्धि, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को लाभ होगा, जिससे दोनों देशों के लिये अधिक लचीला एवं समृद्ध भविष्य को बढ़ावा मिलेगा। ■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-III

प्रश्न: 1. भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिये। किस सीमा तक यह समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है?

उत्तर: सामाजिक सेवाओं पर सरकारी व्यय वित्त वर्ष 2012 से वित्त वर्ष 2023 तक 5.9% CAGR की दर से बढ़ा, जो समावेशी संवृद्धि के लिये वर्ष 1991 के सुधारों के पश्चात् से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास पर बढ़ते दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय का पैटर्न और प्रवृत्ति (सुधारोत्तर अवधि)

- **आवंटन में वृद्धि:** शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 8.3% हो गया।
  - **शिक्षा क्षेत्र:** वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% से बढ़ाकर 3.1% किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 1.12 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
  - **स्वास्थ्य क्षेत्र:** वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद का 0.9% से बढ़कर 2.1% हो जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिये आवंटन 89,155 करोड़ रुपए है।
- **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम:** निर्धनता उन्मूलन के लिये मनरेगा का वित्तपोषण वर्ष 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 86,000 करोड़ रुपए हो गया।
- **कौशल और डिजिटल समावेशन:** डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया (5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा- बजट 2024-25) जैसे कार्यक्रमों को डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, डिजिटल विभाजन को खत्म करने और कौशल विकास पहलों के माध्यम से रोज़गार प्रदान करने के लिये अधिक धनराशि प्राप्त हो रही है।

समावेशी संवृद्धि प्राप्त करने के साथ सामंजस्य

सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बावजूद, जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिये आवंटन बहुत न्यून है।

- **शिक्षा:** पहुँच का विस्तार हुआ है, लेकिन गुणवत्ता और समानता में चुनौतियाँ बनी हुई हैं (भारत में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिये GIR 28.4% है)।
- **स्वास्थ्य:** व्यय में वृद्धि हुई है, फिर भी भारत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा और हाशिये पर पड़े समूहों तक पहुँच के मामले में पीछे है।
- **निर्धनता और असमानता:** कल्याणकारी कार्यक्रम निर्धनता को कम करने में सहायक हैं, लेकिन धन के न्यून उपयोग और कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के कारण समावेशी संवृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।

निष्कर्ष: सुधार के पश्चात् के भारत में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय समावेशी संवृद्धि को समर्थन देने में बढ़ोत्तरी हुई है। वास्तविक समावेशी संवृद्धि को प्राप्त करने के लिये बेहतर संसाधन दक्षता और लक्षित लाभार्थी समर्थन की आवश्यकता होती है। सामाजिक क्षेत्रों में निवेश को बनाए रखते हुए इन मुद्दों के समाधान करने हेतु प्रयास जारी रखना आवश्यक है।

प्रश्न: 2. भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिये।

उत्तर: CPI के अनुसार, अगस्त 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति 5.66% थी, जिसमें ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति क्रमशः 6.02% और 4.99% थी। भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति आर्थिक चुनौतियों का सामना करती है तथा इसके कारणों को समझना भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये आवश्यक है।

भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण

- उत्पादन लागत में वृद्धि- उच्च इनपुट लागतें
- तापमान और मौसम संबंधी चुनौतियाँ- प्रतिकूल मौसम
- आपूर्ति शृंखला में व्यवधान
- भू-राजनीतिक तनाव- रूस-यूक्रेन युद्ध

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में RBI की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता

RBI द्वारा लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के माध्यम से 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखा गया है, परंतु इसके उपायों के बावजूद खाद्य मुद्रास्फीति एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

- FIT दृष्टिकोण का लक्ष्य मूल्य स्थिरता और विकास है, लेकिन आपूर्ति पक्ष अघात से निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति इसे जटिल बना देती है।
- RBI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये दरों को समायोजित करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और वैश्विक कीमतों जैसे कारकों के कारण खाद्य कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं।
- मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों को अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने में 2-3 तिमाहियों का समय लगता है, जिससे अल्पकालिक खाद्य मूल्य अघात के लिये उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

निष्कर्ष: जबकि RBI की मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है, भारत में निरंतर खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लक्षित राजकोषीय नीतियों, संरचनात्मक सुधारों, बेहतर कृषि पद्धतियों और बेहतर आपूर्ति शृंखलाओं के अनुरूप दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, जिससे उपभोक्ताओं तथा अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

प्रश्न: 3. देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: भूमि स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन कृषि सुधार का एक रूप है, जिसमें आमतौर पर गरीब भूमिहीन किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी उपाय शामिल होते हैं। काश्तकारी सुधार, भूमि चकबंदी, भूमि हदबंदी एवं बिचौलियों का उन्मूलन, सभी को भूमि सुधारों में शामिल किया गया।

देश के कुछ क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल और केरल में, निम्नलिखित कारकों के कारण भूमि सुधार सफलतापूर्वक लागू किये गए

- **दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और विधान:** राज्य सरकारों ने भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया। बिहार भूमि सुधार अधिनियम (1950) और बॉम्बे टेनेंसी एक्ट (1948) जैसे कानूनों ने भूमि सुधारों को आसान बनाया।
- **किसान आंदोलन:** पश्चिम बंगाल में बटाईदारी में परिवर्तन ऑपरेशन बर्गा के दौरान लामबंदी के परिणामस्वरूप हुआ।
- **आधारभूत भूमि सुधार:** तेलंगाना में भूदान और ग्रामदान समूहों द्वारा पुनर्वितरण के लिये स्वैच्छिक भूमि समर्पण को बढ़ावा दिया गया था।
- **भूमि अभिलेखों का प्रभावी प्रबंधन:** कर्नाटक जैसे स्थानों में डिजिटलीकरण से संघर्ष और भ्रष्टाचार में कमी आई है।
- **राजनीतिक जागरूकता:** स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कृषि संबंधी मुद्दों ने भूमि सुधारों की स्वीकार्यता को बढ़ा दिया।

अन्य भागों में भूमि सुधारों के खराब क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी कारक

- खराब भू-अभिलेखों के कारण संपत्ति विवरण और सीमाओं में विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- नौकरशाही एवं राजनीतिक उदासीनता के कारण विलंब होता है।
- भूमि सुधारों में वृक्षारोपण को शामिल न करने के कारण असफल परिणाम सामने आए।
- भूमि की अधिकतम सीमा बहुत ऊँची निर्धारित की गई थी, परिणामस्वरूप लोगों को अधिकतम सीमा कानून से बचने में सहायता प्राप्त हुई।

निष्कर्ष: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), सहकारी एवं सामूहिक खेती को बढ़ावा देना तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (स्वामित्व योजना) का लाभ उठाकर भूमि सुधार कार्यान्वयन को सफल बनाया जा सकता है।

प्रश्न: 4. भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइये।

उत्तर: मोटे अनाज शुष्कता प्रतिरोधी "पोषक-अनाज" हैं, जिसमें 7-12% प्रोटीन की मात्रा होती है इसके भूपृष्ठ में बेहतर अमीनो अम्ल परिच्छेदिका होती है। इन्हें प्रायः सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि ये किफायती और पौष्टिक दोनों होते हैं।

- इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में घोषित किया है।

स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में मोटे अनाजों की भूमिका

- **ग्लूटेन-मुक्त विकल्प:** मोटे अनाज स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन-मुक्त होते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है साथ ही फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो इसे ग्लूटेन असहिष्णु या सीलियेक रोग वाले व्यक्तियों के लिये आदर्श बनाता है।
- **लाइफस्टाइल संबंधी रोगों को कम करना:** डाइट फाइबर, एंटीऑक्सिडेंट और मैग्नीशियम तथा आयरन जैसे खनिजों से भरपूर मोटे अनाज मधुमेह, मोटापा आदि जैसी लाइफस्टाइल संबंधी रोगों को रोकने में सहायक हैं।
- **प्रतिरक्षा में वृद्धि:** प्रचुर मात्रा में विटामिन-B और जिंक तथा सेलेनियम जैसे खनिजों के साथ, बाजरा प्रतिरक्षा कार्य में सहायता करता है, विशेष रूप से मोती बाजरा (बाजरा), जो अपनी उच्च जिंक सामग्री के लिये जाना जाता है।

पोषण सुरक्षा में मोटे अनाज की भूमिका

- **अदृश्य भूख से निपटना:** मोटे अनाज सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी से संघर्ष करता है; 15-49 वर्ष की आयु की लगभग 30% भारतीय महिलाएँ आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से पीड़ित हैं (WHO)।
- **पोषण सुरक्षा:** मोटे अनाज प्रकाश के प्रति गैर-संवेदनशील, जलवायु-प्रतिरोधी और जल-कुशल "पोषक-अनाज" हैं जो पोषण का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करता है। किसानों को सहायता प्रदान करने के लिये सूखा-ग्रस्त राज्यों (महाराष्ट्र और राजस्थान) में उनकी कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है।

निष्कर्ष: इस प्रकार 'गहन बाजरा संवर्द्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल (INSIMP)' के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल और मोटे अनाज के लिये MSP में वृद्धि उचित दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं। अवधारणाओं को परिवर्तित करने और पोषक तत्त्वों से भरपूर इन अनाजों को शामिल करने से एक स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

प्रश्न: 5. जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर: वर्तमान वैश्विक संदर्भ में, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (GMO) और जैव-प्रौद्योगिकी आविष्कारों पर पेटेंट की अनुमति है, जबकि प्राकृतिक जीवित रूपों पर पेटेंट की अनुमति नहीं है। BRCA1 जैसे प्राकृतिक जीन को ट्रेडमार्क नहीं किया जा सकता है, लेकिन GMO को मोनसेंटो जैसे व्यवसायों द्वारा पेटेंट किया जा सकता है। जब समुदायों के आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तब उनके साथ उचित लाभ-साझाकरण नागोया प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में, भारत में कुल 83,000 पेटेंट दाखिल किये गए, जो 24.6% की वृद्धि दर है, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक है। हालाँकि भारत में 5% से भी कम पेटेंट का व्यवसायीकरण किया जाता है।

पेटेंट के व्यावसायीकरण की कमी से निपटने के लिये कारण, समाधान एवं सरकारी पहल

कारण	समाधान	सरकारी पहल
पेटेंट सहयोग संधि (PCT) अनुप्रयोगों के बारे में स्टार्टअप्स के बीच जागरूकता की कमी	नवोदित उद्यमियों के बीच बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता पैदा करना	राष्ट्रीय IPR नीति (2016)
विकास और नवाचार के लिये धन और उचित बुनियादी ढाँचे का अभाव	निरर्थक फाइलिंग को रोकने हेतु विरोध की उचित जाँच	स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना (SIPP) (वर्ष 2016)

पेटेंट कार्यालय में जनशक्ति की कमी	बेहतर दक्षता और पर्याप्त स्टाफिंग आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना	IP साक्षरता और जागरूकता के लिये कलाम कार्यक्रम (KAPILA) (वर्ष 2020)
प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिये कोई निश्चित समय-सीमा नहीं	प्रत्येक राज्य में अधिक पेटेंट फाइलिंग केंद्रों की स्थापना	राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (2020)
भारत में एक पेटेंट आवेदन का निपटारा करने में औसतन लगभग 58 महीने लगते हैं	सरकारी वेबसाइट पर वकीलों और परीक्षकों के बारे में जानकारी	MeitY स्टार्टअप हब (MSH)

निष्कर्ष: नियामक सुधारों, उन्नत बुनियादी ढाँचे के विकास और सहयोग के माध्यम से व्यवसायीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता भारत से पेटेंट आवेदनों की बढ़ती संख्या से स्पष्ट होती है। भारत अपने आविष्कार की क्षमता एवं पेटेंट प्रणाली को मज़बूत करके और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करके वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य के करीब पहुँच सकता है।

प्रश्न: 6. राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह करने के लिये कौन-सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है? उसके क्या-क्या लाभ और क्या-क्या सीमाएँ हैं? वे कौन-से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे? क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा?

उत्तर: राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ-कर संग्रह में फास्टैग और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अनुमान है कि भारत 100% फास्टैग-आधारित टोल संग्रह को अपनाकर ईंधन के साथ मानव के कार्यों में कमी लाकर प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ रुपए बचा सकता है।

प्रयुक्त प्रौद्योगिकी

- **RFID (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन):** वाहनों पर लगाए गए टैग (जैसे- फास्टैग) से टोल प्लाजा से गुजरते समय स्वचालित रूप से टोल टैक्स की कटौती हो जाती है।
- **GPS (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम):** इसके द्वारा यात्रा की दूरी के आधार पर टोल की गणना करने के लिये वास्तविक समय में वाहन की स्थिति को ट्रैक किया जाता है।
- **ANPR (स्वचालित नंबर प्लेट पहचान):** इसके द्वारा निर्बाध टोल भुगतान के क्रम में वाहन पंजीकरण प्लेटों को कैप्चर किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रौद्योगिकी के लाभ

- भीड़ में कमी
- राजस्व संग्रह में वृद्धि
- समय और ईंधन की बचत
- अंतर संचालनीयता और कैशलेस भुगतान

चुनौतियाँ

- उच्च प्रारंभिक लागत
- गोपनीयता संबंधी चिंताएँ
- सिस्टम विफलताएँ

इस प्रक्रिया को निर्बाध बनाने हेतु प्रस्तावित परिवर्तन

- **सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली:** GNSS के द्वारा टोल बूथों पर वाहनों को रोके बिना शुल्क की वसूली होती है।
- **ऑन-बोर्ड यूनिट्स (OBU):** वाहन मालिक अपने वाहनों में गैर-हस्तांतरणीय OBU (जो संभवत: नई कारों में फैक्ट्री द्वारा फिट किये जाएंगे) लगाएंगे, जो फास्टैग स्टिकर के समान होंगे।
- **मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रौद्योगिकी:** यह प्रौद्योगिकी चलती हुई गाड़ियों से टोल वसूलने के लिये RFID, ANPR और GNSS को समन्वित करती है।
- **टोल संग्रहण प्रणाली:** यह राज्यों और राजमार्गों पर टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करने के लिये एकीकृत राष्ट्रीय मंच है।

इससे जुड़े संभावित खतरों में हैकिंग और डेटा उल्लंघनों से संबंधित साइबर सुरक्षा जोखिम के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों तक पहुँच न रखने वाले निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिये असमानताएँ शामिल हैं।

निष्कर्ष: यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रौद्योगिकी के अनेक लाभ हैं फिर भी इसके निर्बाध क्रियान्वयन हेतु इससे जुड़े संभावित खतरों का समाधान आवश्यक है, जिससे सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिये निष्पक्षता एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न: 7. भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिये विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिये।

उत्तर: भारत में नदी जल का औद्योगिक प्रदूषण, अनुपचारित अपशिष्टों के निर्वहन के माध्यम से जल की गुणवत्ता को नष्ट करके पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

शमन के उपाय

- **अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ETP):** उद्योगों में अपशिष्ट जल को प्रवाहित करने से पहले उपचारित करने के लिये ईटीपी की स्थापना को अनिवार्य बनाना, ताकि हानिकारक प्रदूषकों को हटाया जा सके और नदियों पर विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सके।
- **सख्त निगरानी और विनियमन:** प्रदूषण मानकों के अनुपालन के लिये उद्योगों का नियमित निरीक्षण हेतु सख्त निगरानी प्रणाली स्थापित करना।
- **शून्य तरल निर्वहन (ZLD):** उद्योगों को ZLD प्रणाली अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना, जो अपशिष्ट जल को पुन: चक्रित करती है, ताकि जल निकायों में निर्वहन को रोका जा सके।
- **जन जागरूकता और सहभागिता:** औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जल निकायों की निगरानी एवं सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **सतत् औद्योगिक प्रथाएँ:** उद्योगों को स्वच्छ उत्पादन पद्धतियाँ अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना, जिससे अपशिष्ट उत्पादन और संसाधनों की खपत न्यूनतम हो सके।

सरकारी पहल

- **नियामक ढाँचा:** औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के माध्यम से लागू किया जाता है।
- **CPCB के निर्देश:** CPCB ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (b) के तहत CPCB/PCC को सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETP) के गैर-अनुपालन के संबंध में निर्देश जारी किये हैं।
- **ऑनलाइन निगरानी प्रणाली:** औद्योगिक इकाइयों के लिये वास्तविक समय पर अपशिष्ट गुणवत्ता डेटा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन सतत् अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (OCEMS) अनिवार्य है।
- **उत्सर्जन मानक:** पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत सामान्य और उद्योग-विशिष्ट उत्सर्जन संबंधी मानक निर्धारित किये गए हैं।
- **संरक्षण कार्यक्रम:** नमामि गंगे कार्यक्रम, अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन,ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन।

निष्कर्ष: भारत में नदी जल के औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सख्त विनियमन, तकनीकी प्रगति और सामुदायिक भागीदारी शामिल हो।

प्रश्न: 8. भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं? सभी महत्त्वपूर्ण विवरणों सहित चार उदाहरण दीजिये।

उत्तर: पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन (ENGO) और कार्यकर्त्ता पर्यावरणीय स्थायित्व को बढ़ावा देने एवं नीति परिवर्तन को प्रोत्साहित करने में, विशेष रूप से प्रमुख परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में EIA परिणामों को प्रभावित करने में ENGO और कार्यकर्त्ताओं की भूमिका

- पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता प्रसार और स्थानीय जन-आबादी को EIA अभियानों में शामिल करना।
- पर्यावरणीय प्रभावों पर डाटा एकत्र करने के लिये अनुसंधान और सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- नैतिक मानकों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिये समुदायों को प्रशिक्षित करना।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की पारदर्शिता के लिये सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करना तथा पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिये मीडिया को शामिल करना एवं निर्णयकर्त्ताओं पर दबाव डालना।

उदाहरण

- **साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन:** केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने वर्षावन की रक्षा के लिये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में एक जलविद्युत परियोजना के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र को जैवमंडल निचय बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ।
- **पॉस्को स्टील परियोजना, ओडिशा:** ग्रीनपीस इंडिया और स्थानीय समूहों ने पर्यावरणीय चिंताओं के कारण इस परियोजना का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप EIA में खामियों के कारण वर्ष 2017 में इसे रद्द कर दिया गया।
- **नर्मदा बचाओ आंदोलन:** इस आंदोलन के माध्यम से सरदार सरोवर बाँध के निर्माण का विरोध किया गया तथा इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के संबंध में समुचित सुधार किया गया।
- **स्टरलाइट कॉपर मामला:** गैर-सरकारी संगठनों के विरोध और 'स्टरलाइट विरोधी आंदोलन' ने सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण संबंधी मुद्दों के कारण संयंत्र को बंद कर दिया गया और प्रभावी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

निष्कर्ष: ENGO और कार्यकर्त्ता, अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हैं साथ ही ये यह भी सुनिश्चित करते हैं कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभावों को प्राथमिकता दी जाए। ENGO को सुदृढ़ करने से समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्रों को लाभ पहुँचाने वाली स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।

प्रश्न: 9. समझाइये कि नार्को-आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभरकर आया है। नार्को-आतंकवाद से निपटने के लिये समुचित उपायों पर सुझाव दीजिये।

उत्तर: नार्को-आतंकवाद राज्यों, विद्रोहियों या आपराधिक नेटवर्क द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी के माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये संगठित अपराध का उपयोग है। नार्को-आतंकवाद तेजी से स्वर्णिम अर्द्धचंद्र (Golden Crescent) और स्वर्णिम त्रिभुज (Golden Triangle) के नशीले पदार्थों के उत्पादक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।

- **नार्को-आतंकवाद एक खतरा:** यह हिंसा और संगठित अपराध का दोहरा खतरा उत्पन्न करता है, राष्ट्रों को अस्थिर करता है, संस्थाओं को भ्रष्ट करता है तथा वैश्विक स्तर पर विद्रोहों, कार्टेलो और चरमपंथी नेटवर्कों को वित्तपोषित करके सुरक्षा संकट को बढ़ावा देता है।
  - भारत के पूर्वोत्तर राज्य, पंजाब और जम्मू-कश्मीर प्रमुख भारतीय राज्य हैं जो नार्को-आतंकवाद से पीड़ित हैं।
  - भारत में, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिये, विशेष रूप से अफगानिस्तान और म्याँमार के साथ लगी खुली सीमाओं का फायदा उठाते हैं।
- **नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के उपाय:**
  - **उन्नत सीमा निगरानी:** नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये ड्रोन, उपग्रह इमेजरी और एआई-आधारित निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना।
  - **वित्तीय निगरानी:** मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवादी वित्तपोषण का पता लगाने और उसे रोकने के लिये मज़बूत वित्तीय खुफिया तंत्र को स्थापित करना।

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक नार्को-आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के लिये यूएनओडीसी (UNODC) और इंटरपोल जैसे संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मज़बूत करना।
- **कानूनी सुधार:** मादक पदार्थों के तस्करों और आतंकवाद को वित्तपोषित करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के लिये कानूनों को मज़बूत करना।

निष्कर्ष: नार्को-आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सीमा सुरक्षा को मज बूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 जैसे सख्त धन शोधन विरोधी उपायों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना, वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देना एवं शिक्षा में निवेश करना नशीली दवाओं की तस्करी तथा आतंकवाद की अपील को कम करने में सहायता कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

प्रश्न: 10. डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के संदर्भ और मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

उत्तर: डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और डाटा-संचालित सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता के बीच, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत के डाटा गोपनीयता परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

प्रसंग

- **तीव्र डिजिटलीकरण:** वर्ष 2023 तक इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 750 मिलियन से अधिक हो जाएगी।
- **डाटा उल्लंघन में वृद्धि:** वर्ष 2021 में एयर इंडिया डाटा उल्लंघन, व्यक्तिगत सूचनाओं/जानकारी से समझौता करने वाली घटनाओं में वृद्धि का एक उदाहरण है।
- **वैश्विक डाटा संरक्षण रुझान:** यूरोपीय संघ के सामान्य डाटा संरक्षण विनियमन जैसे अंतर्राष्ट्रीय विनियम।
- **व्यापक कानून का अभाव:** पूर्ववर्ती IT अधिनियम, 2000 पर अत्यधिक निर्भरता।
- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** सबसे बड़ी बायोमेट्रिक ID प्रणाली आधार (Aadhaar) जैसी प्रणालियाँ।

मुख्य विशेषताएँ

- **प्रयोज्यता:** यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत और विदेशों में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है।
  - व्यक्तिगत डाटा प्रसंस्करण के लिये व्यक्तिगत सहमति की आवश्यकता होती है, साथ ही डाटा संग्रहण उद्देश्यों के संदर्भ में स्पष्ट सूचना भी दी जाती है।
- **डाटा प्रिंसिपल के अधिकार:** व्यक्ति डाटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सुधार की मांग कर सकते हैं।
- **डाटा फिड्युशरीज के दायित्व:** डाटा फिड्युशरीज को डाटा की सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिये और उद्देश्य पूरा होने के बाद डाटा को हटा/एरेज भी कर देना चाहिये।
- **छूट:** कुछ अधिकार और दायित्व अपराध की रोकथाम या राज्य सुरक्षा के लिये सरकारी गतिविधियों जैसे मामलों पर लागू नहीं होते हैं।
- **भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड:** एक नियामक निकाय अनुपालन की निगरानी करता है, दंड का प्रावधान करता है और शिकायतों का निवारण करता है।

निष्कर्ष: डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत के डाटा संरक्षण परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों, डिजिटल लोकतंत्र को उन्नत डिजिटल जाँच और राष्ट्रीय हितों की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।

प्रश्न: 11. भारत में श्रम बाज़ार सुधारों के संदर्भ में चार 'श्रम संहिताओं' के गुण व दोषों की विवेचना कीजिये। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर: भारत में चार श्रम संहिताएँ- मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा - देश के श्रम कानूनों में महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं।

गुण

- **कानूनों को आसान बनाना:** 40 से अधिक श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करने से व्यवसायों के लिये अनुपालन आसान हो जाएगा, जिससे विधिक जटिलताएँ कम हो जाएँगी।
- **नियोक्ताओं के लिये बेहतर लचीलापन:** औद्योगिक संबंध संहिता ने शासकीय अनुमोदन के बगैर कार्य करने वाली कंपनियों के लिये छंटनी की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी तक कर दिया है।
- **उन्नत श्रमिक सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को लाभ प्रदान करती है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य:** व्यावसायिक सुरक्षा संहिता कार्यस्थल पर सुरक्षा के कड़े मानकों को अनिवार्य बनाती है। इसमें स्वास्थ्य अन्वेषण, सुरक्षा समितियाँ और श्रमिकों के लिये बेहतर सुविधाएँ शामिल हैं।

दोष

- **परिभाषाओं में अस्पष्टता:** श्रमिकों और गिग श्रमिकों की अस्पष्ट परिभाषा से शोषण तथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **कमज़ोर श्रमिकों का बहिष्कार:** व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता धर्मार्थ संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को शामिल नहीं करती है, जिससे सामाजिक सेवा क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण भाग असुरक्षित महसूस करता है।
- **राज्यों से विरोध:** कुछ राज्य कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं, जिससे श्रम कानूनों में असंगतता का खतरा है।
- **सामूहिक सौदेबाजी में कमी:** यूनियन मान्यता के लिये 75% श्रमिक समर्थन की आवश्यकता से प्रतिनिधित्व खंडित हो सकता है तथा सामूहिक सौदेबाजी में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- **शोषण की संभावना:** निश्चित अवधि के अनुबंधों के परिणामस्वरूप श्रमिकों का शोषण हो सकता है तथा उनके अधिकारों में कमी आ सकती है।

अभी तक हुई प्रगति

- **विधायी अनुमोदन:** सभी चार श्रम संहिताओं को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है।

- **जो अभी तक लागू नहीं हुआ:** वर्ष 2019 और 2020 में पारित इन संहिताओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है।
  - जून 2024 तक भारत में 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) ने सभी चार नए श्रम संहिताओं के तहत नियम बनाए गए हैं।

निष्कर्ष: इन संहिताओं के कार्यान्वयन से भारत के श्रम बाज़ार में महत्त्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाना है, हालाँकि अंतिम क्रियान्वयन अभी भी प्रतीक्षित है।

प्रश्न: 12. भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में सरकार की 'उड़ान' योजना तथा इसकी उपलब्धियों पर चर्चा कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये)

उत्तर: भारत में व्यापक और समावेशी संवृद्धि हासिल करने के लिये क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करना महत्त्वपूर्ण है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़े देश का आम नागरिक (RCS-उड़ान) योजना प्रारंभ की है।

क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी एक आवश्यकता

- उन्नत कनेक्टिविटी दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और निवेश को सुविधाजनक बनाकर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करती है।
- बेहतर हवाई संपर्क से वंचित क्षेत्रों में लोगों के लिये आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित होती है।
- हवाई यातायात में वृद्धि से विमानन, आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ होगा।
- बेहतर कनेक्टिविटी से दूर-दराज और दर्शनीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही शहरी-ग्रामीण विभाजन कम होता है तथा समान विकास को बढ़ावा मिलता है।

RCS-उड़ान

उड़ान योजना राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति, 2016 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में विशेष रूप से दूर-दराज और वंचित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे तथा कनेक्टिविटी में सुधार करने के साथ आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है।

उपलब्धियाँ

- अपनी शुरुआत के बाद से, उड़ान योजना के विभिन्न संस्करण लॉन्च किये गए हैं, जिनमें सबसे हालिया संस्करण उड़ान 5.1, 5.2 और 5.3 है, जो अंतिम मील कनेक्टिविटी और छोटे विमानों के माध्यम से पर्यटन पर केंद्रित हैं।
- इस योजना से 1 करोड़ से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं और 2.5 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुई हैं, जिससे हवाईअड्डों के विकास में वृद्धि हुई है साथ ही हवाई यात्रा भी अधिक सुलभ तथा सस्ती हुई है, जिसके साथ रोज़गार के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं।
  - अप्रैल 2024 तक इस योजना के तहत 85 हवाई अड्डों का संचालन आरंभ कर दिया गया है।
- RCS-उड़ान देश भर में 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ रहा है (जैसे- मुंद्रा (गुजरात) से अरुणाचल प्रदेश के तेजू से लेकर कर्नाटक के हुबली तक) तथा कम सुविधा वाले हवाई अड्डों, हेलीपोर्टस और वाटर एयरपोर्ट्स की शुरुआत कर रहा है।

निष्कर्ष: निरंतर प्रयासों के बावजूद, परिचालन मार्गों की अपूर्ण कार्यक्षमता के कारण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो प्राय: न्यून अधिभोग दरों और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे से उत्पन्न होती हैं। हालाँकि RCS-उड़ान ने दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़कर और निम्न मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिये हवाई यात्रा को अधिक किफायती बनाकर विमानन परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया है।

प्रश्न: 13. हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइये।

उत्तर: भारत में कृषि के लिये देश के वार्षिक ताजे जल का लगभग 80% उपयोग किया जाता है, जो 700 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्ष 2022-23 तक कुल बोए गए 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 52% को सिंचाई की सुविधा मिल गई है, जो वर्ष 2016 में 41% से उल्लेखनीय वृद्धि है, जो मौजूदा चुनौतियों के बीच कुशल सिंचाई प्रबंधन के महत्त्व को दर्शाता है।

भारतीय सिंचाई प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ

- **जल की कमी:** भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण भारत के 64% जिलों में जल स्तर में कमी आई है।
- **जलवायु परिवर्तन:** नदियों के मार्ग में परिवर्तन तथा फसलों के लिये जल की बढ़ती मांग के कारण जल एक सीमित संसाधन बन रहा है।
- **पुरानी अवसंरचना:** सिंचाई की अवसंरचना पुरानी हो चुकी है, इसमें महत्त्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता है।
- **खराब रखरखाव:** नहरों का रखरखाव अपर्याप्त रूप से किया जाता है, जिसके कारण अकुशलताएँ उत्पन्न होती हैं; सहभागितापूर्ण प्रबंधन का अभाव समस्या को और बढ़ा देता है।
- **भूमि उपयोग में परिवर्तन:** भूमि उपयोग पैटर्न और फसल पद्धतियों में परिवर्तन, जैसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में अधिक जल वाली फसलें उगाना, मूल कृषि योजनाओं से दूर करती हैं।
- **धन की कमी:** सब्सिडी स्थापना के लिये अपर्याप्त धन; विभिन्न योजनाओं में धन का गलत आवंटन और कम उपयोग।

कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिये सरकारी उपाय

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सिंचाई वितरण नेटवर्क में सुधार और सिंचाई कवरेज का विस्तार करने के लिये शुरू की गई।
- **जल शक्ति अभियान (JSA):** वर्ष 2019 में आरंभ किया गया एक वार्षिक कार्यक्रम, जो संपूर्ण भारत में 256 जल-संकटग्रस्त जिलों में जल संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित है।
- **कैच द रेन (Catch the Rain):** सभी जिलों के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिये वर्ष 2021 में आरंभ किया गया, जिसमें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पहलों पर बल दिया गया है।
- **जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWUE):** कृषि और सिंचाई समेत विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2022 में स्थापित किया जाएगा।

- **पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC):** वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों जैसी सूक्ष्म सिंचाई विधियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

निष्कर्ष: जल की कमी और पुराने बुनियादी ढाँचे से निपटने के लिये, भारत को सतत् सिंचाई पद्धतियों को अपनाना चाहिये, प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना चाहिये तथा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिये। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कुशल निधि उपयोग एवं भागीदारी प्रबंधन आवश्यक है।

प्रश्न: 14. भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिये सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? विवेचना कीजिये।

उत्तर: बफर स्टॉक वस्तुओं का एक भंडार है जिसका उद्देश्य मूल्य में उतार-चढ़ाव और आपात स्थितियों को संतुलित करना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया, यह कृषि मूल्यों को स्थिर करता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और किसानों के आय की गारंटी देता है।

भारत में कृषि मूल्यों को स्थिर रखने के लिये बफर स्टॉक का महत्त्व

- **खाद्य सुरक्षा:** सूखे/अनावृष्टि या बाढ़ जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान कमज़ोर आबादी के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।
- **सार्वजनिक वितरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (OWS) के माध्यम से खाद्यान्न का मासिक वितरण सुनिश्चित करता है।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया:** फसल विफलता, प्राकृतिक आपदाओं आदि से उत्पन्न अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने में सहायता करता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण:** आपूर्ति को विनियमित करके आवश्यक अनाज की स्थिर कीमतों को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिये, सत्र 2022-23 में, FCI ने 34.82 लाख टन गेहूँ विमोचित किया, जिससे अनाज में खुदरा मुद्रास्फीति कम हुई।
- **किसानों को सहायता:** उपज के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी, किसानों की आय को स्थिर करना और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- **आपदा प्रबंधन:** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल खाद्य राहत प्रदान करता है, जिसका उदाहरण कोविड-19 के दौरान निशुल्क राशन की आपूर्ति करना है।

चुनौतियाँ

- **भंडारण संबंधी समस्याएँ:** अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण अधिक मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद होता है और भारत में प्रतिवर्ष लगभग 74 मिलियन टन (खाद्यान्न उत्पादन का 22%) खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है।
- **क्रय असंतुलन:** चावल और गेहूँ की अत्यधिक खरीद से बफर स्टॉक अधिक हो जाता है, जिससे अन्य अनाजों की उपेक्षा होती है तथा फसल विविधीकरण बाधित होता है।
- **वित्तीय बोझ:** बफर स्टॉक की वृहद् खरीद, भंडारण और वितरण में उच्च लागत आती है, पारगमन घाटे के कारण FCI को सालाना लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान होता है।
- **वितरण अकुशलताएँ:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में लीकेज, चोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ हैं, 2022-23 NSS सर्वेक्षण के अनुसार लीकेज 22% है।
- **गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** खाद्यान्नों की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष: भारत में कीमतों को स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये बफर स्टॉक बहुत ज़रूरी है। भंडारण और खरीद के मुद्दों को हल करने के साथ-साथ बुनियादी अवसंरचना तथा वितरण में सुधार करने से यह प्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी तथा किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को फायदा होगा।

प्रश्न: 15. विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिये कौन-सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? ऐसी किन्हीं तीन तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिये।

उत्तर: पृथ्वी पर मौजूद पानी का केवल 2.5% ही मीठा पानी है, जिसमें से 1% आसानी से उपलब्ध है। अधिकतर मीठा पानी ग्लेशियरों और हिम के मैदानों में स्थित है, जिससे पृथ्वी पर 8 बिलियन लोगों के लिये मात्र 0.007% ही उपलब्ध है।

स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की कमी की स्थिति

- पिछली शताब्दी में पानी के उपयोग में जनसंख्या वृद्धि की दर की तुलना में दोगुनी गति से वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2025 तक विश्व की आधी आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।
- तीव्र जल संकट के कारण वर्ष 2030 तक लगभग 700 मिलियन लोग विस्थापित हो सकते हैं।
- वर्ष 2040 तक विश्व भर में 4 में से 1 बच्चा अत्यधिक जल तनाव वाले क्षेत्रों में रहेगा।

वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ

- **विलवणीकरण प्रौद्योगिकियाँ:** रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी झिल्ली प्रौद्योगिकियाँ (Membrane technology) समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में परिवर्तित करने में सहायक हैं।
- **अपशिष्ट जल उपचार:** इलेक्ट्रोकोएगुलेशन और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जैसी प्रौद्योगिकियाँ अपशिष्ट जल को पुन: उपयोग हेतु उपचारित करने में सहायक हो सकती हैं।
- **AI और IOT की भूमिका:** यह रिसाव की पहचान करने और जल वितरण नेटवर्क की निगरानी करने तथा जल हानि को रोकने में सहायक है।
- **नैनो प्रौद्योगिकी:** कार्बन नैनोट्यूब (CNT) आधारित निस्यंदन प्रणालियाँ कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक यौगिकों को निष्कासित करती हैं।
- **फोटोकैटेलिटिक जल शोधन:** यह जल को विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों से मुक्त करने के लिये फोटोकैटेलिस्ट तथा पराबैंगनी किरणों का उपयोग करता है।

पेटेंट के व्यावसायीकरण की कमी से निपटने के लिये कारण, समाधान एवं सरकारी पहल		
तकनीक	**गुण**	**अवगुण**
विलवणीकरण प्रौद्योगिकियाँ	■ समुद्री पानी से मीठे पानी का विश्वसनीय स्रोत ■ शुष्कता के दौरान जल आपूर्ति में विविधता लाना।	■ उच्च ऊर्जा खपत और कार्बन-गहन। ■ समुद्र में अवसांद्रित लवण का निपटान समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचा सकता है।
अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकियाँ	■ जल के पुन: उपयोग को बढ़ावा देता है ■ अनुपचारित अपशिष्ट जल को पारिस्थितिकी में प्रवेश करने से रोकता है	■ उच्च प्रारंभिक पूंजी लागत ■ ऊर्जा-गहन और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता।
कार्बन नैनोट्यूब (CNT) निस्पंदन प्रणाली	■ बैक्टीरिया और भारी धातुओं सहित विभिन्न संदूषकों को हटाता है। ■ तीव्र निस्यंदन दर	■ CNT महँगे होते हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर तैनात करना सीमित होता है। ■ CNT के उत्सर्जन पर पर्यावरण संबंधी चिंताएँ।

निष्कर्ष: विलवणीकरण, अपशिष्ट जल उपचार और AI जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से मीठे पानी की कमी के लिये अभिनव समाधान उपलब्ध होंगे, जिससे सतत् प्रबंधन के लिये दक्षता और जल की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा सभी के लिये स्वच्छ जल तक पहुँच होगी।

प्रश्न: 16. क्षुद्रग्रह क्या हैं? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिये क्या रणनीति विकसित की गई है?

उत्तर: क्षुद्रग्रह (लघु ग्रह) लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के आरंभिक निर्माण के चट्टानी, वायुविहीन अवशेष हैं, जो मुख्य रूप से क्षुद्रग्रह पट्टी में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते पाए जाते हैं।

क्षुद्रग्रहों से उत्पन्न संकट

- **ऐतिहासिक प्रभाव:** 66 मिलियन वर्ष पूर्व एक वृहद क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण डायनासोर और अन्य प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं।
- **स्थानीय विनाश:** लघु क्षुद्रग्रह स्थानीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण क्षति पहुँचा सकते हैं, जिससे सुनामी, तथा वनाग्नि वायुमंडलीय व्यवधान के संकट उत्पन्न हो सकते हैं।
  - वर्ष 2013 में चेल्याबिंस्क उल्कापिंड (रूस) में हुए विस्फोट से शहर के चारों ओर विनाश हुआ और कई लोग घायल हो गए।
  - सबसे बड़ी ज्ञात घटना वर्ष 1808 में रूस के साइबेरिया में हुआ खतरनाक विस्फोट था जिसे तुंगुस्का घटना के नाम से जाना जाता है।
- **अंतरिक्ष मलबा:** एक खंडित क्षुद्रग्रह खतरनाक अंतरिक्ष मलबा उत्पन्न कर सकता है, जिससे उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशनों और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को खतरा हो सकता है।

क्षुद्रग्रह प्रभाव आपदा को रोकने के लिये विकसित की गई रणनीतियाँ

- **क्षुद्रग्रह का पता लगाना और निगरानी करना:** नासा, ईएसए और अन्य संगठन जैसी अंतरिक्ष एजेंसियाँ सक्रिय रूप से उन क्षुद्रग्रहों की निगरानी तथा सूची निर्मित करती हैं जो पृथ्वी के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
  - **सर्वेक्षण और टेलीस्कोप:** भूमि-आधारित और अंतरिक्ष-आधारित टेलीस्कोप, जैसे कि NASA का NEOWISE मिशन, NEOs पर नज़र रखती हैं तथा संभावित प्रभाव जोखिम प्रभाव का आकलन करती हैं।
- **विक्षेपण मिशन:**
  - **काइनेटिक इम्पैक्टर:** नासा के डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) मिशन ने एक अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्रग्रह से टकराकर, ग्रहीय सुरक्षा के लिये क्षुद्रग्रह विक्षेपण का प्रथम परीक्षण किया।
  - **ग्रेविटी ट्रैक्टर:** एक अंतरिक्ष यान अपने गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके, किसी क्षुद्रग्रह के साथ प्रत्यक्ष संपर्क के बिना, समय के साथ उसके पथ को धीरे-धीरे परिवर्तित कर सकता है।
- **परमाणु विस्फोट:** यद्यपि विखंडन का खतरा है, लेकिन चरम परिस्थितियों में किसी क्षुद्रग्रह के निकट परमाणु बम विस्फोट करने से वह विखंडित हो सकता है या अपने टकराव पथ से अलग हो सकता है।
- **भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण:** इसरो ने ग्रहीय सुरक्षा में सुधार के लिये वर्ष 2029 में एक क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने की योजना बनाई है, जिसके लिये वह संभवत: एपोफिस क्षुद्रग्रह मिशन के साथ सहयोग करेगा, जिसमें श्रा.ग., ESA और NASA शामिल हैं।

निष्कर्ष: जबकि क्षुद्रग्रह एक खतरा हैं, लेकिन खोज करने, विक्षेपण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रगति के माध्यम से ग्रहों की सुरक्षा में सुधार हो रहा है। इससे क्षुद्रग्रह संसाधनों के दोहन के लिये बेहतर तैयारी और भविष्य की संभावनाएँ सुनिश्चित होंगी।

प्रश्न: 17. आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढाँचे के विभिन्न तत्त्वों का वर्णन कीजिये। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई ढाँचे (2015-2030) के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिये।

उत्तर: आपदा प्रतिरोध, लोगों, स्थानों और पर्यावरण पर प्राकृतिक आपदाओं के हानिकारक प्रभावों का सामना करने, रोकने तथा उनसे उबरने की क्षमता है।

आपदा प्रतिरोध विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें शामिल हैं:

- **अनुकूलन क्षमता:** गड़बड़ी से निपटने, क्षति को कम करने और आघातों से सीखने की क्षमता।
- **संभावित जोखिम:** आघात या तनाव की तीव्रता और आवृत्ति।
- **संवेदनशीलता:** किसी आघात या तनाव से कोई प्रणाली कितनी प्रभावित होती है।
- **संगठन:** अतीत की आपदाओं से सीखने और भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिये स्वयं को संगठित करने की क्षमता।

प्रतिरोध ढाँचे के चार तत्त्व

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई ढाँचे के वैश्विक लक्ष्य (वर्ष 2015-2030): आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई ढाँचा

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित एक समझौता है जिसका उद्देश्य वैश्विक लक्ष्यों और सरकारों तथा अन्य हितधारकों के बीच साझा ज़िम्मेदारी के संयोजन के माध्यम से आपदा जोखिम तथा क्षति को कम करना है।

कार्रवाई की प्राथमिकताएँ

- **प्राथमिकता-1:** आपदा जोखिम प्रबंधन को भेद्यता, क्षमता, व्यक्तियों और परिसंपत्तियों का जोखिम, खतरे की विशेषताओं और पर्यावरण के समस्त आयामों में आपदा जोखिम की समझ पर आधारित होना चाहिये।
- **प्राथमिकता-2:** राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम प्रबंधन सभी क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **प्राथमिकता-3:** संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से आपदा जोखिम की रोकथाम तथा न्यूनीकरण में सार्वजनिक तथा निजी निवेश, व्यक्तियों, समुदायों, देशों और उनकी परिसंपत्तियों के साथ-साथ पर्यावरण की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक प्रतिरोध बढ़ाने के लिये आवश्यक है।
- **प्राथमिकता 4:** प्रभावी प्रतिक्रिया के लिये आपदा तैयारी को बढ़ाना तथा पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बेहतर निर्माण करना।

निष्कर्ष: भारत सरकार ने सेंडाई ढाँचा वर्ष 2015-2030 के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के आधार पर प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों का एक समूह जारी किया है। भारत सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (AMCDRR) 2016 के दौरान एशियाई क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई ढाँचे के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये UNISDR को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया है।

प्रश्न: 18. शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु-प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिये। पिछले दो दशकों में भारत में आई ऐसी दो प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। भारत की उन नीतियों और ढाँचों का वर्णन कीजिये, जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है।

उत्तर: शहरी बाढ़, एक जलवायु-प्रेरित आपदा है, जो तब देखने को मिलती है जब भारी वर्षा के कारण जल अपवाह प्रणालियाँ प्रभावित होती हैं तथा शहरों जैसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि या संपत्ति जलमग्न हो जाती है।

शहरी बाढ़ के कारण

- **जलवायु परिवर्तन:** वर्षा की तीव्रता में वृद्धि, शहरी बाढ़ को बढ़ावा देता है। उष्ण पवनों में अधिक आर्द्रता होती है, जिसके परिणामस्वरूप भारी वर्षा देखने को मिलती है। तापमान वृद्धि, विशेष रूप से अर्बन हीट आइसलैंड्स में, जलवायु पैटर्न को और बाधित करता है।
  - समुद्र-स्तर में वृद्धि से तटीय शहरों के लिये खतरा बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ और मीठे जल का प्रदूषण देखने को मिलता है।
- **शहरीकरण:** सतहों की अभेद्यता को बढ़ाकर बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है, जिससे जल अपवाह में वृद्धि होती है और जल अवशोषण कम होता है, जबकि बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण से अपर्याप्त विनियमन के परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित होता है।
- **अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** इससे जल अपवाह प्रणालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे भारी वर्षा के दौरान जल का प्रवाह अधिक हो जाता है तथा सीवेज एवं वर्षा जल के मिल जाने से बाढ़ का खतरा और भी बढ़ जाता है।

प्रमुख बाढ़ की घटनाएँ

- **चेन्नई बाढ़ (2015):** भारी वर्षा और खराब जल अपवाह तंत्र के साथ-साथ शहरी विकास के कारण 300 अंतर्देशीय जल निकायों के नष्ट होने से बाढ़ की स्थिति और भी बदतर हो गई है। पल्लीकरनई मार्श में उल्लेखनीय कमी ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी और बाढ़ नियंत्रण को कमज़ोर कर दिया।
- **मुंबई बाढ़ (2005):** भारी वर्षा के कारण आई बाढ़ ने एक सदी पुराने जल अपवाह तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे केवल 25 मिमी. प्रति घंटे की वर्षा को संभालने के लिये डिजाइन किया गया था। शहरीकरण के कारण मैंग्रोव में 40% की कमी आई जिससे बाढ़ की समस्या में और वृद्धि हुई साथ ही जल का प्रभावी अवशोषण बाधित हुआ।

भारत में शहरी बाढ़ से निपटने के लिये नीतियाँ और रूपरेखा

- **शहरी बाढ़ प्रबंधन पर दिशा-निर्देश (2010):** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी ये दिशा-निर्देश शहरी बाढ़ प्रबंधन योजना के लिये बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
- **स्मार्ट सिटीज मिशन (2015):** स्मार्ट जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों समेत सतत् शहरी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देता है।
- **अमृत 2.0:** बाढ़ की आशंका को कम करने के लिये चक्रवाती जल अपवाह और शहरी बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने पर केंद्रित है।
- **तूफान जल निकासी प्रणाली, 2019 पर मैनुअल:** सतत् चक्रवात जल प्रबंधन और बाढ़ प्रतिक्रिया संबंधी योजना पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।

निष्कर्ष: जलवायु परिवर्तन के कारण शहरी बाढ़ से शहरों को बहुत अधिक जोखिम होता है। सतत् बुनियादी ढाँचे के माध्यम से प्रभावी प्रबंधन और छक्ड। के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शहरी लचीलेपन में वृद्धि की जा सकती है।

प्रश्न: 19. भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ दीर्घकालिक अशांत सीमा है, जिसमे अनेक विवादास्पद मुद्दे है। सीमा के साथ परस्पर-विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा-चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बी.आई.एम.) योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किये जाने वाले विकास-कार्यों को भी उल्लिखित कीजिये।

उत्तर: चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाएँ ऐतिहासिक विवादों तथा सतत् सुरक्षा चुनौतियों से भरी हुई हैं।

- **चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा:** भारत-चीन सीमा, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 3,440 किलोमीटर तक फैली हुई है। पश्चिमी मोर्चे पर, भारत-पाकिस्तान सीमा जिसे नियंत्रण रेखा (LOC) के नाम से जाना जाता है, लगभग 740 किलोमीटर तक फैली हुई है।

परस्पर विरोधी मुद्दे और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ

- **चीनी मोर्चा:** चीन के साथ मुख्य मुद्दा सीमा का अस्पष्टीकरण है, जिसके कारण प्राय: टकराव और झड़पें देखने को मिलते हैं। महत्त्वपूर्ण घटनाओं में वर्ष 2020 में गलवान घाटी संघर्ष,

वर्ष 2017 में डोकलाम सैन्य गतिरोध शामिल हैं। LAC पर बुनियादी ढाँचे के निर्माण की होड़ तनाव को और बढ़ा देती है।

- इन भारत-चीन सीमा चौकियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता चीनी वस्तुओं की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है।

- **पाकिस्तान मोर्चा:** पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि वह प्राय: एलओसी का उल्लंघन करता है, सीमा पार से गोलाबारी करता है और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश करता है। वर्ष 2019 का पुलवामा हमला और उसके बाद बालाकोट हवाई हमला इस अस्थिर स्थिति के हालिया उदाहरण हैं।
  - पाकिस्तान का दावा है कि संपूर्ण सर क्रीक क्षेत्र, जिसमें वर्ष 1914 के मानचित्र में "हरी रेखा" से चिह्नित उसका पूर्वी तट भी शामिल है, उनका है।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.):**
  - बी.ए.डी.पी. का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
  - परियोजनाओं में सड़कें, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएँ निर्मित करना, सुरक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना शामिल है।
  - हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सांगला से होकर 40 किलोमीटर लंबे करछम-चितकुल मार्ग का विकास किया गया, जो चीन के साथ सीमा साझा करता है।
- **सीमा अवसंरचना एवं प्रबंधन (बी.आई.एम.) योजना:** यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्याँमार के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिये सीमा बाड़, सीमा फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कें और सीमा चौकियाँ (BOPs) तथा कंपनी संचालन अड्डों जैसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायता करता है।
  - भारत की योजना भारत-बाँग्लादेश सीमा पर 383 और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 126 समग्र सीमा चौकियाँ बनाने की है।

निष्कर्ष: बी.ए.डी.पी. और बी.आई.एम. जैसी पहलों के माध्यम से भारत न केवल सीमा सुरक्षा में वृद्धि कर रहा है, बल्कि इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसका उद्देश्य सीमा प्रबंधन के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है।

प्रश्न: 20. सोशल मीडिया एवं 'को गोपित' (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाएँ गंभीर सुरक्षा चुनौती हैं। सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिये।

उत्तर: सोशल मीडिया एवं 'को गोपित' (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाओं के प्रसार ने भारत में संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है।

- ये प्लेटफॉर्म्स सूचना साझाकरण एवं कनेक्टिविटी के प्रमुख साधन बन गए हैं, किंतु ये राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक सुरक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के लिये जटिल जोखिम भी प्रस्तुत करते हैं।
- भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से लेकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तक, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सुरक्षा चिंताओं के लिये एक नया क्षेत्र बनकर उभरे हैं।

सोशल मीडिया एवं 'को गोपित' (एन्क्रिप्टिंग) संदेश सेवाओं से संबंधित सुरक्षा चुनौतियाँ

- **भ्रामक सूचना:** सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाओं का प्रसार किया जाता है, जो कि आराजकता को बढ़ता है। (वर्ष 2022 से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में, भ्रामक सूचनाओं से जुड़े प्लेटफॉर्म्स का व्यापक प्रसार देखने को मिला)।
- **अतिवाद:** एन्क्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से अतिवादी संगठन भर्ती करते हैं। (टेलीग्राम पर ISIS की गतिविधियाँ इसे सिद्ध करती हैं)
- **साइबर अपराध:** प्लेटफॉर्म्स स्कैम्स, आइडेंटिटी थेफ्ट को सक्षम करते हैं। (सेलिब्रिटियों की छवियों का प्रयोग कर ठगी या भ्रामकता का प्रसार किया जाता है)।
- **डाटा गोपनीयता:** उपयोगकर्त्ताओं के डाटा का दुरुपयोग, एक चिंता का विषय रहा है। (2018 कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम)
- **डिजिटल युद्ध:** दुष्प्रचार और राज्य हित के लिये उपयोग किये जाने वाले प्लेटफॉर्म्स। (रूस द्वारा वर्ष 2020 के अमेरिकी चुनाव को डिजिटल माध्यम से प्रभावित किया गया)

सोशल मीडिया से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों को समबोधित करने हेतु उपाय

- **IT अधिनियम 2000:** ऑनलाइन संचार को नियंत्रित करता है; धारा 69A सुरक्षा के लिये सामग्री को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाती है और धारा 79 (1) मध्यस्थों को सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करती है। (भारत ने वर्ष 2020 में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया)
- **IT नियम 2021:** इसके माध्यम से कंटेंट मॉडरेशन और यूजर प्राइवेसी नोटिफिकेशन को अनिवार्य बनाया गया है। (ट्विटर को वर्ष 2021 में अनुपालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा)
- **शिकायत अधिकारी:** प्लेटफॉर्म्स को शिकायतों के प्रबंधन हेतु अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिये। (मेटा ने वर्ष 2022 में स्पूर्ति प्रिया को नियुक्त किया)
- **तथ्य-जाँच:** प्लेटफॉर्म्स को सरकार द्वारा चिह्नित भ्रामक कंटेंट को हटाना की आवश्यकता है। (वर्ष 2023 के नियम सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के अधीन)

अन्य उपाय

- अंतरराज्यीय साइबर प्रतिक्रिया टीमों की स्थापना टीमों की स्थापना (अंतरराज्यीय सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों को संबंधित करना)
- सोशल मीडिया जबावदेही सूचकांक (सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक रूप से परिणामों का प्रकाशन)
- स्तरीय एन्क्रिप्शन एक्सेस सिस्टम (कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक डिक्रिप्शन पहुँच)
- डाटा स्थानीयकरण (देश के भीतर उपयोगकर्ता डाटा संग्रहीत करने पर सख्त नियम)

निष्कर्ष: तकनीकी समाधानों, डिजिटल साक्षरता पहलों और हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को एकीकृत कर, भारत एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण का निर्माण कर सकता है। अंतत: लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच एक कमज़ोर संतुलन का निर्माण करना है, जिससे सभी नागरिकों के लिये एक सुरक्षित तथा जीवंत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित हो सके।

■■■

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-IV

प्रश्न 1.(a) प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिये इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

उत्तर: प्रशासनिक निर्णयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के समावेशन ने विमर्श को उत्पन्न कर दिया है। AI दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ा सकता है, यह गहन नैतिक प्रश्न उठाता है।

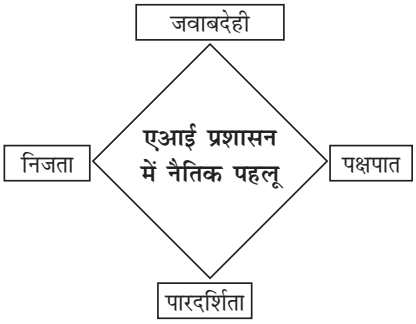

- डाटा-संचालित एल्गोरिदम पर AI की निर्भरता मानव अंतर्ज्ञान और नैतिक तर्क की भूमिका को कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जिनमें प्रासंगिक समझ का अभाव होता है।
- जब AI के निर्णय से नुकसान होता है तो ज़िम्मेदारी का निर्धारण करना समस्याग्रस्त हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि दोष डेवलपर्स का है, ऑपरेटरों का है या फिर स्वयं AI का है।
- AI प्रणालियाँ अनजाने में प्रशिक्षण डाटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आते हैं, जो हाशिये पर पड़े समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं।
- विभिन्न AI एल्गोरिदम "ब्लैक बॉक्स" के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हितधारकों के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे विश्वास और पारदर्शिता कम हो जाती है।
- AI प्रणालियों को प्राय: बड़ी मात्रा में डाटा की आवश्यकता होती है, जिससे डाटा गोपनीयता, सहमति और व्यक्तिगत जानकारी के संभावित दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

हालाँकि AI प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और सटीकता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है तथा नागरिक संतुष्टि को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त अगर AI का उचित रूप से प्रयोग किया जाए तो निष्पक्षता लाकर प्रशासन में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष: प्रशासन में ज़िम्मेदारीपूर्वक AI का उपयोग करने के लिये, नैतिक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, जिसके लिये यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानवीय मूल्यों, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाए।

प्रश्न 1. (b) "नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से ज़िम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण हैं।" मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं।

उत्तर: नैतिकता सिद्धांतों की अवसंरचना है, जो व्यक्तियों और संगठनों में नैतिक व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। नैतिकता के प्रमुख आयाम मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं, मूल्यों और मानकों को आकार देते हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से पेशेवर अभिकरणों में जहाँ परिणाम महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

नैतिकता के प्रमुख आयाम और नैतिक निर्णय लेने में उनकी भूमिका इस प्रकार है

- मानक नैतिकता नैतिक मानदंड स्थापित करती है, जो व्यक्तियों और संगठनों को उचित तथा अनुचित कार्यों के मूल्यांकन में मार्गदर्शन प्रदान करती है।
  - नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये रूपरेखा प्रदान करके, यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार देता है।
- सद् नैतिकता नैतिक स्वरूप के महत्त्व तथा सत्यनिष्ठा और साहस जैसे सद्गुणों के विकास पर ज़ोर देती है।
  - यह दृष्टिकोण पेशेवरों को अच्छी आदतें विकसित करने, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने और एक सहयोगात्मक, भरोसेमंद संगठनात्मक संस्कृति निर्माण हेतु प्रोत्साहित करता है।
- कर्त्तव्य-नैतिकता इस बात पर ज़ोर देती है कि कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से उचित या अनुचित होते हैं तथा कर्त्तव्यों और दायित्वों के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।
  - यह पेशेवरों को अधिकारों और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये मार्गदर्शन करता है तथा दबाव होने पर भी सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है।
- उद्देश्यमूलक/टेलीओलॉजिकल नैतिकता परिणामों के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करती है तथा पेशेवरों को उनके निर्णयों के व्यापक प्रभाव पर विचार करने के लिये प्रेरित करता है।
  - यह दृष्टिकोण ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जो व्यावसायिक हितों और समाज दोनों को लाभ पहुँचाता है।

निष्कर्ष: गांधी के "सेवन सिन" प्रमुख नैतिक आयामों को उजागर करते हैं: बिना काम के धन आदर्श नैतिकता पर बल देता है, विवेक के बिना आनंद सद् नैतिकता को दर्शाता है, जबकि चरित्र के बगैर ज्ञान सत्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। ये सिद्धांत व्यक्तियों और संगठनों को व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संदर्भों में ज़िम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को प्रोत्साहित करते हैं।

प्रश्न 3. महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिये गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है?

(a) "दूसरों से जो भी अच्छा है, उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरों जैसा मत बनो।"-स्वामी विवेकानंद

(b) "शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिये विश्वास और शक्ति दोनों ही आवश्यक हैं।" -सरदार पटेल

(c) "कानून के अनुसार, यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। नीतिशास्त्र के अनुसार, यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो वह दोषी है।"-इमैनुएल कांट

उत्तर: (a) स्वामी विवेकानंद का कथन, "दूसरों से जो भी अच्छा है, उसे सीखो, लेकिन उसे अपने तरीके से आत्मसात करो", विविध स्रोतों से ज्ञान को अपनाने और उसकी नकल करने के बजाय अपनी विशिष्ट पहचान में एकीकृत करने पर बल देता है।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

- **व्यक्तिगत विकास:** व्यक्तिगत स्तर पर यह उद्धरण आत्म-पहचान को प्रोत्साहित करता है। दूसरों से सीखकर तथा अपने अनुभवों के माध्यम से उस निस्यंदित ज्ञान को अपनी आवश्यकताओं एवं स्थितियों के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं।
  - **उदाहरण:** महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित करने के लिये ईसा मसीह और लियो टॉल्स्टॉय की शिक्षाओं को अपनाया, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिये महत्त्वपूर्ण था।
- **सामाजिक स्तर:** यह उद्धरण इस बात पर बल देता है कि संस्कृतियाँ दूसरों से लाभकारी तत्त्वों का चयन कर एवं उन्हें आत्मसात कर विकसित होती हैं, स्थानीय पहचान को संरक्षित करते हुए समाज को समृद्ध बनाती हैं तथा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बाह्य प्रभावों का सामंजस्य स्थापित करती हैं।
  - **उदाहरण:** भारतीय संगीत उद्योग पारंपरिक क्षेत्रीय ध्वनियों के साथ पश्चिमी प्रभावों का सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे एक विशिष्ट मिश्रण निर्मित होता है जो भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। मैकडॉनल्ड्स जैसे वैश्विक ब्रांड मैकआलू टिक्की बर्गर जैसी वस्तुओं के साथ स्थानीय स्वाद के अनुकूल होते हैं और योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के इस सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को और अधिक स्पष्ट करता है।
- **राष्ट्रीय स्तर:** यह उद्धरण इस बात पर ज़ोर देता है कि देशों को वैश्विक नवाचारों से सीखना चाहिये और उन्हें अपने विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।
  - **उदाहरण:** डिजिटल इंडिया पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच में सुधार हेतु वैश्विक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्वीकरण का उदाहरण है।

निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद का यह कथन दूसरों से सीखने और अपनी विरासत को अपनाने के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का समर्थन करता है, जिससे अधिक समृद्ध तथा प्रामाणिक जीवन की प्राप्ति होती है।

उत्तर: (b) सरदार पटेल का कथन लक्ष्य प्राप्ति में विश्वास और शक्ति के बीच के अंतर्संबंध को उजागर करता है: विश्वास दृष्टि प्रदान करता है, जबकि शक्ति उसे प्राप्त करने के लिये लचीलापन प्रदान करती है। शक्ति के बगैर विश्वास केवल आकांक्षा है; विश्वास के बगैर शक्ति में उद्देश्य नहीं होता।

मुख्य भाग

वर्तमान संदर्भ में विश्वास और शक्ति के परस्पर संबंध की प्रासंगिकता

- एक लोक सेवक के लिये आस्था एक बेहतर समाज के लिये एक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जबकि शक्ति भ्रष्टाचार के बगैर सुधारों को लागू करने के लिये समर्पण सुनिश्चित करती है। हालाँकि प्रभावी प्रगति के लिये दोनों आवश्यक हैं।
  - उदाहरण के लिये, सरदार पटेल का एकीकृत भारत का सपना कूटनीतिक सामर्थ्य के माध्यम से उभरा, जबकि नेल्सन मंडेला की आस्था और कार्यकर्त्ताओं के सामर्थ्य ने रंगभेद को समाप्त कर दिया, जिससे स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हुआ।
- "ब्लैक लाइव्स मैटर" जैसे सामाजिक आंदोलन और पर्यावरण सक्रियता यह प्रदर्शित करते हैं कि परिवर्तन लाने के लिये न्याय (आस्था) में दृढ़ विश्वास के साथ संगठनात्मक प्राधिकारों के साथ सुमेलित होना चाहिये।
- सफल उद्यमी इस परस्पर क्रिया को मूर्त रूप देते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्द्धी बाज़ारों में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिये उनके दृष्टिकोण (विश्वास) को अनुकूलनशीलता एवं रणनीतिक क्रियान्वयन (शक्ति) के साथ सुमेलित होना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, इलेक्ट्रिक वाहनों और पुन: प्रयोज्य रॉकेटों में एलन मस्क का विश्वास इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे विश्वास तथा सामर्थ्य उन्हें चुनौतियों को कम करने एवं अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।
- साझा विश्वास और प्रभावी सुधारों के माध्यम से राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम दर्शन वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देता है, जैसा कि भारत की वैक्सीन मैत्री पहल और स्वच्छ भारत अभियान तथा SDG जैसे कार्यक्रमों में देखा गया है।

निष्कर्ष: दोनों गुणों को विकसित करके हम चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं तथा महानता प्राप्त करने के लिये हमें विश्वास एवं शक्ति को सफलता के आवश्यक आधार के रूप में पहचानना होगा।

उत्तर: (c) इमैनुएल कांट का यह उद्धरण कानूनी और नीतिशास्त्रीय दोष के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। कानून उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यद्यपि नीतिशास्त्र उद्देश्यों और विचारों पर विचार करता है। एक कार्य कानूनी हो सकता है लेकिन फिर भी नैतिक रूप से गलत हो सकता है यदि उसमें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य शामिल है।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

- **विवेक की भूमिका:** विवेक सही और गलत का आंतरिक बोध है जो नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। यह नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ से अधिक दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित करता है, भले ही कानूनी दायित्व अन्यथा अनुमति देते हों। एक विवेकशील व्यक्ति जवाबदेही को बढ़ावा देता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि कार्य नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।
  - उदाहरण के लिये, एक मुखबिर अपनी अंतरात्मा के कारण नौकरी की सुरक्षा की अपेक्षा लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनैतिक कार्यों को सूचित करता है।
- **कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व:** कॉर्पोरेट कानूनी खामियों का फायदा उठाकर करों से बच सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से, यह गलत माना जा सकता है क्योंकि इनका इरादा समाज में उचित योगदान से बचना है।
- **डिजिटल युग:** घृणास्पद भाषण और ऑनलाइन ट्रोलिंग करने वाले अक्सर कानूनी सजा से बच जाते हैं, लेकिन इनके गंभीर नैतिक परिणाम होते हैं, जिससे उनके प्रभाव पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

- **कार्यस्थल पर नैतिकता:** एक नियोक्ता कानूनी रूप से सभी श्रम कानूनों का पालन कर सकता है, लेकिन नैतिक रूप से, यदि वह श्रमिकों का शोषण करता है या अनुचित कार्य वातावरण बनाता है तो वह दोषी हो सकता है।

हालाँकि कांट के दृष्टिकोण को विकासशील नैतिकता द्वारा चुनौती दी जा रही है; उदाहरण के लिये, भारत में व्यभिचार को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसे अब भी व्यापक रूप से अनैतिक माना जाता है।

इस प्रकार, कांट की अंतर्दृष्टि हमें नैतिक ज़िम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करती है जो कानूनी दायित्वों से परे है तथा व्यक्तियों से उनके विचारों के निहितार्थों पर विचार करने का आग्रह करती है।

प्रश्न 4. (a) "न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय-हत्या को रोकने के लिये बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिये।" उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिये।

उत्तर: न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणाएँ सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक मानदंडों, आधुनिकीकरण, आर्थिक परिवर्तनों से आकार लेती हैं एवं राजनीतिक परिवर्तन इन अवधारणाओं को पुन: परिभाषित कर सकते हैं। एक युग में जो न्यायपूर्ण माना जाता था, वह परिवर्तित प्रासंगिकता के अनुरूप बदल सकता है, जिससे समाज में निष्पक्ष और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिये सतत् संमीक्षा की आवश्यकता होती है।

अन्याय के निषेधन हेतु न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणाओं की सतत् संमीक्षा की आवश्यकता है

- 19वीं सदी में सती प्रथा के उन्मूलन ने एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें अनुचित प्रथाओं को अन्यायपूर्ण माना गया।
- ऐतिहासिक रूप से न्यायोचित मानी जाने वाली गृहिणी के रूप में महिलाओं की भूमिका को अब लैंगिक समानता एवं कॅरियर के अवसरों की वकालत करने वाले समकालीन विचारों द्वारा चुनौती दी जा रही है।
- एक बार स्वीकार कर लिये जाने के बाद, जाति-आधारित भेदभाव को अन्यायपूर्ण माना जाने लगा है और इस अन्याय के प्रभाव को कम करने के लिये विभिन्न प्रावधान किये गए हैं।
- वर्ष 2018 में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से बदलते सामाजिक मूल्यों का पता चलता है जोकि पूर्व में हाशिये पर रहे LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि करता है।
- वर्ष 2019 में तीन तलाक पर प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं के लिये न्याय की दिशा में एक कदम था, जो पुरानी और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देता है।

बदलते संदर्भों की सतत् संमीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि न्याय की हमारी समझ सामाजिक मूल्यों के साथ विकसित हो। यह संवीक्षा पुरातन प्रथाओं की अनुचितता को जारी रखने से रोकने में मदद करती है और सभी व्यक्तियों के लिये समान व्यवहार को बढ़ावा देती है, जिससे एक निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज का सृजन होता है।

निष्कर्ष: न्याय की बदलती प्रकृति के लिये सामाजिक संदर्भों की सतत् संमीक्षा आवश्यक है। उदाहरण के लिये, मृत्युदंड, जिसे प्राचीन काल में न्यायसंगत माना जाता था, आज अन्यायपूर्ण माना जाता है। इसी तरह, लड़कियों के लिये 18 और लड़कों के लिये 21 वर्ष की अलग-अलग विवाह आयु वर्तमान मानदंडों को दर्शाती है।

प्रश्न 4. (b) "मामले के सार को नज़रअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है।

एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नज़रअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है।" उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिये।

उत्तर: प्रशासनिक प्रक्रियाओं में रूप और सार के मध्य विभव अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने से अन्याय हो सकता है, इसलिये एक समझदार सिविल सेवक, रूप से अधिक सार को प्राथमिकता देता है, जिससे निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित होते हैं जो विधि के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

1. **नियमों पर अत्यधिक बल:** नौकरशाही प्रक्रियाओं के सख्त पालन से नागरिकों की वास्तविक ज़रूरतों की अनदेखी हो सकती है, जैसा कि उन मामलों में देखा गया है जहाँ आवेदनों को मूल मुद्दों के बजाय मामूली तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया जाता है।
2. **न्यायिक विवेक:** जो न्यायाधीश केवल विधिक औपचारिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अन्यायपूर्ण फैसले दे सकते हैं, जबकि जो न्यायाधीश व्यापक संदर्भ पर विचार करते हैं, उनके निर्णयों से न्यायसंगत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जैसे शमनकारी परिस्थितियों के आधार पर सजा को कम किया जा सकता है।
3. **सामाज के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम:** कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अक्सर तब प्रभावित होता है जब अधिकारी सामुदायिक आवश्यकताओं की अपेक्षा कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक सेवाओं की प्रदायिता विलंबित होती है या उन्हें देने से मना कर दिया जाता है।
4. **विवेकाधीन शक्तियाँ:** विवेक का उपयोग करते हुए सिविल सेवक विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे न्याय को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि घरेलू हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप से स्पष्ट होता है, जहाँ मानक प्रक्रियाएँ पीड़ितों की रक्षा करने में विफल हो सकती हैं।

सिविल सेवकों के लिये एक कठोर आचार संहिता आवश्यक है, जो अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करती है। इसके विपरीत, आचार संहिता नैतिक सिद्धांत प्रदान करती है जो विधि के मूल उद्देश्य के साथ कार्यों को संरेखित करके न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष: सिविल सेवकों में नोलन सिद्धांतों को स्थापित करके, हम उनका ध्यान विधि के शब्दों से हटाकर उसकी भावना पर केंद्रित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण सहानुभूति एवं करुणा को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि न्याय विनियमों के मूल उद्देश्य के अनुरूप हो।

प्रश्न 7. एबीसी इनकॉपोरेटेड नाम की एक तकनीकी कंपनी है जो तीसरी दुनिया में स्थित, संसार की दूसरी सबसेबड़ी कंपनी है। आप इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बहुसंख्यक शेयरधारक हैं। तेजी से हो रहे तकनीकी सुधारों ने इस परिदृश्य की धारणीयता पर पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं, नियामक प्राधिकरणों और आमजन के बीच चिंता बढ़ा दी है। आप व्यवसाय के पर्यावरणीय पदचिह्न के बारे में महत्त्वपूर्ण मुद्दों का सामना करते

हैं। 2023 में, आपके संगठन में 2019 में दर्ज स्तरों की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 48% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से आपके डाटा केंद्रों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के कारण है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तेज विस्तार से प्रेरित है। AI-संचालित सेवाओं को उनके उल्लेखनीय लाभ के बावजूद पारंपरिक ऑनलाइन गतिविधियों की तुलना में बहुत अधिक संगणनात्मक संसाधनों और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी के प्रसार से पर्यावरणीय प्रभावों पर चिंता बढ़ गई है, इसके फलस्वरूप चेतावनियाँ भी बढ़ गई हैं। AI मॉडल, विशेष रूप से व्यापक मशीन लर्निंग और डाटा प्रोसेसिंग के उपयोग किये जाने वाले, पारंपरिक कंप्यूटर कार्यों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा खपत करते हैं, जिसमें अत्यधिक तेजी से वृद्धि होती है।

यद्यपि, वर्ष 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता और लक्ष्य पहले से ही है, उत्सर्जन कम करने की चुनौती भारी लगती है क्योंकि AI का एकीकरण जारी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में पर्याप्त निवेश आवश्यक होगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धी माहौल से कठिनाई और बढ़ गई है, जहाँ बाज़ार की स्थिति और शेयरधारक के मूल्य को बनाए रखने के लिये तेजी से नवाचार आवश्यक है। नवाचार, लाभप्रदता और धारणीयता के बीच संतुलन हासिल करने के लिये, एक रणनीतिक कदम आवश्यक है जो व्यावसायिक उद्देश्यों तथा नैतिक दायित्वों, दोनों के अनुरूप हो।

(a) उपर्युक्त मामले में उत्पन्न चुनौतियों पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है?

(b) उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिये।

(c) आपकी कंपनी को तकनीकी दिग्गजों द्वारा दंडित किये जाने के लिये चिह्नित किया गया है। इसकी आवश्यकता को समझाने के लिये आप क्या तार्किक और नैतिक तर्क देंगे?

(d) एक विवेकशील व्यक्ति होने के नाते, आप AI नवाचार और पर्यावरणीय पदचिह्न के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये क्या उपाय अपनाएंगे?

उत्तर: एबीसी इनकॉरपोरेटेड के सीईओ के रूप में मेरी तात्कालिक कार्रवाई, उत्सर्जन का आकलन करने, नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों के लिये प्रतिबद्धता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ साझेदारी करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने हेतु ऊर्जा-कुशल AI प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान एवं विकास पहल स्थापित करने पर केंद्रित होगी।

(a) एबीसी इनकॉरपोरेटेड के सीईओ के रूप में, मेरी तत्काल कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- **उत्सर्जन का आकलन:** परिचालन से संबंधित प्रमुख योगदानकर्त्ताओं की पहचान करने के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 48% वृद्धि के स्रोतों का विश्लेषण करना।
- **धारणीयता से संबंधित प्रतिबद्धता:** 2030 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना एवं प्रगति में तेजी लाने के उपायों को लागू करना।
- **नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी:** डाटा केंद्रों की आवश्यकताओं को धारणीय स्रोतों में प्राप्त करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा प्रदाताओं के साथ भागीदारी करना।
- **अनुसंधान एवं विकास पहल:** कंप्यूटेशनल संसाधन उपयोग को न्यूनतम करने के लिये ऊर्जा-कुशल AI प्रौद्योगिकियों के निर्माण पर केंद्रित एक समर्पित टीम की स्थापना करना।

(b) शामिल नैतिक मुद्दे:

- **पर्यावरणीय उत्तरदायित्व:** पारिस्थितिक प्रभाव को न्यूनतम करना।
- **निगमित उत्तरदायित्व:** सामाजिक, विनियामक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारियों के साथ लाभ को संतुलित करना।
- **धारणीयता की अनदेखी:** AI नवाचार पर्यावरण को क्षति पहुँचा सकता है।
- **सामाजिक उत्तरदायित्व:** एक तकनीकी नेतृत्वकर्त्ता के रूप में सकारात्मक लोक धारणा को आकार देना।

(c) संभावित दंड को कम करने के लिये, मैं तर्क दूँगा कि:

- नेट जीरो उत्सर्जन और धारणीयता प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता, जवाबदेही को प्रदर्शित करती है।
- हम ऊर्जा-कुशल AI मॉडल विकसित करने में उद्योग का नेतृत्व कर सकते हैं और एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं।
- पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप, धारणीय प्रथाएँ अल्पकालिक जुर्माने की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती हैं।
- सहयोग को बढ़ावा देने से दंडात्मक के बिना प्रभावी धारणीयता मानकों की स्थापना की जा सकती है।
- विकासशील देशों में कंपनियों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को स्वीकार करने से निष्पक्ष मूल्यांकन संभव हो पाता है।

(d) पर्यावरणीय विचारों के साथ AI नवाचार को सुसंगत बनाने के लिये, मैं:

- कंप्टेशनल ऊर्जा की आवश्यकताओं को कम करने के लिये ऊर्जा-कुशल AI मॉडल में निवेश करने का प्रस्ताव रखूँगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण तथा ऊर्जा-कुशल प्रणालियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करूँगा।
- प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करते हुए कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों में शामिल होने का प्रस्ताव रखूँगा।
- ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों के नवप्रवर्तन के लिये अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव रखूँगा।
- ई-अपशिष्ट को न्यूनतम करने के लिये पुराने बुनियादी ढाँचे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने का प्रयास करूँगा।

निष्कर्ष: AI नवाचार को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करना एबीसी इनकॉर्पोरेटेड के लिये महत्त्वपूर्ण है। धारणीयता को प्राथमिकता देकर और हितधारकों को शामिल करके, कंपनी नैतिक दायित्वों को पूरा करते हुए अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त को सुदृढ़ कर सकती है, जिससे हरित भविष्य में योगदान दिया सकता है।

प्रश्न 6. (a) "भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किये गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।" महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिये और अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाइये।

उत्तर: भारतीय संस्कृति, जिसमें स्त्री देवताओं के प्रति श्रद्धा और ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलन शामिल हैं, ने लंबे समय से लैंगिक समानता का समर्थन किया है। भारत का संविधान भी समान अवसरों को सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप लोक सेवा में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। हालाँकि उन्हें अभी भी अपनी पेशेवर भूमिकाओं में विशिष्ट लैंगिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

लोक सेवा में महिलाओं के लिये चुनौतियाँ

- **व्यक्तिगत कारक:** परिवार की देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ प्राय: कॅरियर की उन्नति से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं।
- **संरचनात्मक कारक:** पुरुष-प्रधान संस्कृति और पक्षपातपूर्ण चयन प्रक्रिया जैसी बाधाएँ पदोन्नति के लिये पुरुष उम्मीदवारों के पक्ष में होती हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** सार्वजनिक पितृसत्ता और महिलाओं को कम सक्षम नेता तथा शारीरिक रूप से कमज़ोर मानने की रुढ़िबद्ध धारणा, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **संस्थागत कारक:** लैंगिक भेदभाव महिलाओं के कॅरियर की प्रगति को बाधित करता है तथा उन्हें निम्न-स्तरीय भूमिकाओं और पारंपरिक रूप से महिलाओं वाले क्षेत्रों तक सीमित कर देता है।

कार्यकुशलता और ईमानदारी बढ़ाने के उपाय

- मिशन कर्मयोगी जैसे लैंगिक-संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम और पहल विकसित करना, जो महिलाओं को नेतृत्व कौशल तथा नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाए तथा उनकी कार्यकुशलता एवं निष्ठा में वृद्धि करना।
  - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी के लैंगिक-संवेदनशील प्रशिक्षण को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा अपनाया जा सकता है।
- नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं के लिये कोटा निर्धारित करना तथा निर्णय लेने में दृश्यता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये वरिष्ठों के माध्यम से मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित करना।
- महिलाओं को व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों का प्रबंधन करने, कार्यकुशलता और नौकरी की संतुष्टि में सुधार करने में सहायता के लिये सब्सिडीयुक्त बाल देखभाल तथा कॅरियर ब्रेक के लिये सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष: लोक सेवा में लैंगिक चुनौतियों से निपटने के लिये सुधार और सहायक नीतियों की आवश्यकता है, जबकि प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने से शासन की दक्षता तथा ईमानदारी में सुधार होता है।

प्रश्न: 6. (b) मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिये आचरण तथा व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने में सशक्त बनाएगी? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिये)

उत्तर: वर्ष 2020 में आरंभ हुआ मिशन कर्मयोगी, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो रचनात्मकता, नवाचार और योग्यता विकास पर बल देते हुए ऑन-साइट तथा ऑनलाइन शिक्षण के मिश्रण के माध्यम से सिविल सेवकों के कौशल को बढ़ाता है।

सिविल सेवकों को सशक्त बनाना

- मिशन का iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सिविल सेवकों को अनुकूलित प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे मांग के अनुसार सीखने की सुविधा मिलती है, जिससे अनुकूलनशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- यह कार्यक्रम भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे अधिकारियों की योग्यताओं को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य आवंटन की अनुमति मिलती है।
  - सिविल सेवकों को उनकी भूमिकाओं के लिये आवश्यक विशिष्ट कौशल और ज्ञान के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है, जो एक ही नियम सभी पर लागू होने वाले दृष्टिकोण से भिन्न है।
- यह कार्यक्रम एक उन्नत ढाँचे के माध्यम से महत्त्वपूर्ण कौशल और नैतिक मानकों को विकसित करने पर केंद्रित है, जो प्रशिक्षण को कॅरियर संबंधी लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक प्रभावी तथा जवाबदेह दोनों हों।

जमीनी स्तर पर सेवा उपलब्धता को बढ़ावा देना

- मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को हाशिये पर पड़े समुदायों और महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिये सक्षम बनाता है।
- यह विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, सेवा प्रदायगी को सुव्यवस्थित करता है, और बेहतर निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह जमीनी स्तर पर एकजुट प्रयासों को सुनिश्चित करता है, जो समतामूलक सामाजिक-आर्थिक विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित है।

निष्कर्ष: मिशन कर्मयोगी नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देता है तथा जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन के लिये सेवा प्रदायगी को सुव्यवस्थित करता है।

प्रश्न 5. (a) 'आचार संहिता' और 'नैतिक संहिता' लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिये एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिये।

उत्तर: 'आचार संहिता' लोक अधिकारियों के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करती है, जिसमें कर्त्तव्य, स्वीकार्य व्यवहार और हितों के टकराव को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत, 'नैतिक संहिता' सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो नैतिक निर्णय लेने को आकार देती है। दोनों मिलकर लोक सेवा में विश्वास और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देते हैं।

- भारत में सिविल सेवकों के लिये आचार संहिता केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के माध्यम से स्थापित की गई थी, जो निर्देशात्मक एवं प्रवर्तनीय है तथा सिविल सेवाओं में आचार संहिता का होना आवश्यक है।

आचार संहिता के प्रस्तावित मॉडल में निम्नलिखित शामिल होना चाहिये

- **सत्यनिष्ठा:** सत्यनिष्ठा और नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक को नैतिक रूप से कार्य करना चाहिये।

- (सत्येंद्र दुबे (IES अधिकारी)- ऐसे सिविल सेवकों में से पहले हैं- जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया)

- **जवाबदेही:** जवाबदेही को शामिल करने से लोक सेवकों को कर्त्तव्य की भावना के साथ कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बेहतर प्रशासन और जनता का विश्वास बढ़ता है।
- **पारदर्शिता:** पारदर्शिता को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि सिविल सेवक स्पष्टता और सुगमता से कार्य करें, जिससे जनता का विश्वास में वृद्धि हो।
  - **उदाहरण:** नीति-निर्माण में समुदाय की प्रतिक्रिया को शामिल करना।
- **ईमानदारी:** यह सिद्धांत इस अपेक्षा को पुष्ट करता है कि सिविल सेवक ईमानदारी और नैतिकता के साथ आचरण करेंगे।
- **तटस्थता:** यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक अधिकारी वस्तुनिष्ठ हों और राजनीतिक संबद्धता के बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें।
  - **उदाहरण:** सेवा के दौरान राजनीतिक प्रचार से बचें।

निष्कर्ष: पीसी होता समिति (2004) ने आचार संहिता के पूरक के रूप में एक आचार संहिता लागू करने का सुझाव दिया था, जिसमें सिविल सेवाओं में इन आदर्शों को बढ़ावा देने के लिये सत्यनिष्ठा, योग्यता और उत्कृष्टता जैसे मूल मूल्यों को शामिल किया गया हो।

प्रश्न 5. (b) नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता और निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिये।

उत्तर: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करना है, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित यह दंडात्मक उपायों पर निष्पक्षता, पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक न्याय को प्राथमिकता देते हुए न्याय, समानता तथा निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।

बीएनएस में न्याय, समानता और निष्पक्षता

- बीएनएस कुछ अपराधों के लिये मध्यस्थता और सुलह को प्रोत्साहित करता है, जो संवाद के माध्यम से विवादों को सुलझाने की भारतीय परंपरा के अनुरूप है।
  - उदाहरण के लिये, छोटी-मोटी चोरी के मामलों में, संबंधित पक्षकार चोरी की गई वस्तु को वापस करने तथा पीड़ित को मुआवजा देने पर सहमत हो सकते हैं।
- बीएनएस भारतीय संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को कायम रखते हुए जाति, पंथ या लैंगिक परवाह किये बगैर सभी नागरिकों के लिये विधि की समानता सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिये, इसमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने और कानूनी कार्यवाहियों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं।
- बीएनएस ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों (जोसेफ शाइन और नवतेज सिंह जौहर मामले) के अनुरूप व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है तथा आधुनिक, अधिकार-आधारित न्याय की ओर कदम बढ़ाया है।

दंड से न्यायोन्मुख न्यायिक प्रणाली की ओर बदलाव

- बीएनएस, मानहानि जैसे छोटे अपराधों के लिये सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तथा सामाजिक पुनः एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये कारावास की बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- बीएनएस न्यायिक विलंब को कम करने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीव्र कानूनी प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है।
- वैवाहिक बलात्कार के लिये अपवाद को बरकरार रखते हुए, बीएनएस ने यौन अपराधों के प्रति अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाया है तथा विवाह के भीतर सहमति और व्यक्तिगत अधिकारों को स्वीकार किया है।

निष्कर्ष: बीएनएस दंडात्मक से न्यायोन्मुख शासन की ओर प्रगतिशील बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 2. (a) "शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिये; और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिये।" वर्तमान संदर्भ में, विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग, दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिये कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिये शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं?

उत्तर: यह उद्धरण इस बात पर ज़ोर देता है कि शांति केवल शब्दों या विश्वास से प्राप्त नहीं होती; इसे वास्तविकता में लाने के लिये ठोस कार्यों और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

- यह राष्ट्रों की नैतिक ज़िम्मेदारी को उजागर करता है जिससे कि वे शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार कार्य करें, न कि अपने स्वार्थ के लिये विश्व भर में चल रहे संघर्षों को बढ़ावा दें।

शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार

- **वैश्विक शांति की ज़िम्मेदारी:** शक्तिशाली राष्ट्रों को लाभ की अपेक्षा शांति को प्राथमिकता देनी चाहिये, तथा संघर्षों को बढ़ावा देने वाले कार्यों से बचना चाहिये, जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हथियारों की बिक्री।
  - **उदाहरण:** भारत गाजा के लिये संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम का समर्थन करता है, यह "टू स्टेटस सॉल्यूशन" का समर्थन करता है तथा नागरिकों की मृत्यु की निंदा करता है।
- **मानवाधिकारों को बढ़ावा देना:** उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी विदेश नीतियाँ मानवाधिकारों को बनाए रखें तथा दमनकारी शासनों को समर्थन देने से बचें।
  - **उदाहरण:** तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त भारत की तीव्र मानवीय सहायता का एक प्रमुख उदाहरण है।
- **कूटनीतिक समाधान:** उन्हें सैन्य हस्तक्षेप के बजाय कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिये।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते में अमेरिका और यूरोपीय संघ की भूमिका।
- **निरस्त्रीकरण का समर्थन करना और प्रसार को कम करना:** प्रमुख शक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और वैश्विक हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिये शस्त्र व्यापार संधि (ATT) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना चाहिये।

- **हथियार उद्योगों को विनियमित करना:** राष्ट्रों को जवाबदेही और वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये लाइसेंसिंग, हथियार उत्पादन की निगरानी तथा अनिवार्य बिक्री रिपोर्टिंग समेत सख्त हथियार विनियमन लागू करना चाहिये।
- देशों को हथियारों के प्रसार को रोकने और हथियार निर्माताओं के बीच ज़िम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष: एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों के शांतिपूर्ण भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। जैसे-जैसे वैश्विक परिदृश्य विकसित होता है, शांति को बढ़ावा देने में इन राष्ट्रों की प्रभावशीलता अंततः भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिये सामूहिक प्रयासों की सफलता को निर्धारित करेगी।

प्रश्न 2. (b) ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम हैं, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिये और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिये आप इसे कैसे समाप्त करेंगे?

उत्तर: विकास के नाम पर मानव लालच से प्रेरित वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का संकट गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है तथा मानव जाति समेत विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है।

- इसके लिये पृथ्वी के साथ मानवता के संबंध का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

ग्लोबल वार्मिंग से निपटना और पर्यावरण संतुलन बहाल करना

- **सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना:** बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पहल के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
  - उदाहरण: भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन।
- **संधारणीय कृषि:** कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये कुशल जल उपयोग और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
  - **उदाहरण:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
- **पर्यावरण नीतियाँ और वैश्विक सहयोग:** कठोर उत्सर्जन लक्ष्यों को बढ़ावा देना और प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
  - उदाहरण: देशों द्वारा अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन की घोषणा करना।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** अपशिष्ट को कम करने के लिये पुनर्चक्रण तथा सतत् उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** स्वच्छ भारत मिशन।
- **कार्बन मूल्य निर्धारण और हरित प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन:** उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये कैप-एंड-ट्रेड प्रणालियों का उपयोग करना तथा कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज (CSS) जैसे नवाचारों में निवेश करना।
- **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और जीवनशैली में परिवर्तन:** व्यक्तियों को ऊर्जा का उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिये सतत् प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - **उदाहरण:** इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर रुख।
- **जलवायु साक्षरता और जागरूकता:** सूचित और सक्रिय पर्यावरणीय विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये जलवायु परिवर्तन पर शिक्षा तथा जागरूकता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष: ***"पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिये नहीं।" - महात्मा गांधी***

जीवन की रक्षा और समाज एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बहाल करने का मार्ग सतत् विकास, ज़िम्मेदार ऊर्जा उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली तथा वैश्विक सहयोग की ओर व्यापक बदलाव में निहित है।

प्रश्न 8. रमण एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और हाल ही में उन्हें एक राज्य के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन विभिन्न मुद्दों और समस्याओं/चुनौतियों पर उन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी, उनमें एक अज्ञात आतंकवादी समूह द्वारा बेरोज़गार युवकों की भर्ती से संबंधित मुद्दा गंभीर चिंता का विषय था। यह पाया गया कि राज्य में बेरोज़गारी अपेक्षाकृत अधिक थी। स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के बीच बेरोज़गारी की समस्या और भी गंभीर थी। इसलिये वे कमज़ोर और आसान लक्ष्य थे।

डीआईजी रेंज और उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि वैश्विक स्तर पर एक नया आतंकवादी समूह उभरा है। इसने युवा बेरोज़गार लोगों की भर्ती के लिये बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। किसी विशिष्ट समुदाय से युवाओं को चुनने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा था। उक्त संगठन का स्पष्ट उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये उनका उपयोग करना था। यह भी पता चला कि उक्त (नया) समूह उनके राज्य में अपना जाल फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है।

राज्य सीआईडी और साइबर सेल को एक निश्चित/विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ऐसे बेरोज़गार युवाओं से सोशल मीडिया और स्थानीय सांप्रदायिक संगठनों तथा अन्य संपर्कों के माध्यम से आतंकवादी संगठन/समूह ने संपर्क किया है। समय की मांग है कि तेजी से कार्यवाही की जाए और इन तत्त्वों/योजनाओं को गंभीर रूप लेने से पहले ही रोक दिया जाए।

साइबर सेल के माध्यम से पुलिस द्वारा की गई जाँच से पता चला कि बड़ी संख्या में बेरोज़गार युवा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं। उनमें से कई औसतन प्रत्येक दिन 6-8 घंटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/इंटरनेट, आदि का उपयोग करते हुए बिता रहे थे। ये भी पता चला कि ऐसे बेरोज़गार युवा उस वैश्विक आतंकवादी समूह के खास व्यक्तियों (उनके संपर्क वाले) से प्राप्त संदेशों का समर्थन और सहानुभूति दिखा रहे थे। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि ऐसे समूहों के साथ उनका गहरा जुड़ाव है, यहाँ तक कि उनमें से कई ने अपने वॉट्सएप और फेसबुक, आदि पर राष्ट्र-विरोधी ट्वीट फॉर्वर्ड करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि वे उनकी चाल में फँस गए और अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने लगे हैं। उनके पोस्ट सरकार की पहलों, नीतियों की अति आलोचना करने वाली थी और अतिवादी मान्यताओं को मानने वाली तथा उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली थी।

उपर्युक्त स्थिति से निपटने के लिये रमण के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

आप मौजूदा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिये क्या उपाय सुझाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे समूह राज्य में घुसपैठ करने और माहौल खराब करने में सफल न हो सकें? उपर्युक्त परिदृश्य में पुलिस बल की खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली को बढ़ाने के लिये आप क्या कार्य योजना सुझाएंगे?

उत्तर: नवनियुक्त महानिदेशक के रूप में रमन के समक्ष एक वैश्विक चरमपंथी समूह द्वारा बेरोज़गार युवाओं की आतंकवाद के रूप में भर्ती को रोकना एक गंभीर चुनौती है। इस परिस्थिति में समूह को अपना प्रभाव फैलाने और राज्य के सामाजिक ढाँचे को अस्थिर करने से रोकने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

क. रमन के लिये उपलब्ध विकल्प

- **साइबर निगरानी:** शीघ्र हस्तक्षेप के लिये चरमपंथी खातों पर नज़र रखने हेतु सोशल मीडिया पर निगरानी रखना।
- **खुफिया सहयोग:** वास्तविक समय की आतंकवादी खुफिया जानकारी के लिये रॉ और आईबी जैसी एजेंसियों के साथ काम करना।
- **जन जागरूकता:** युवाओं को उग्रवाद के खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिये अभियान चलाना।
- **कट्टरपंथ से मुक्ति:** चरमपंथी आख्यानों का सामना करने के लिये धार्मिक और सामुदायिक नेताओं के साथ साझेदारी करना।
- **विधिक प्रवर्तन:** आतंकवाद विरोधी दस्तों को तैनात करना और यूएपीए के तहत त्वरित कार्रवाई करना।

ख. मौजूदा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपाय

- **साइबर इंटेलिजेंस को बढ़ावा:** ऑनलाइन आतंकवादी ट्रैकिंग के लिये उन्नत तकनीक के साथ साइबर सेल को उन्नत करना तथा डिजिटल साक्ष्य हैंडलिंग और सोशल मीडिया विश्लेषण के लिये कर्मियों को प्रशिक्षित करना।
- **सामुदायिक सहभागिता:** युवाओं की कट्टरता का सामना करने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये नेताओं तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना।
- **युवा रोज़गार:** युवाओं में उग्रवाद के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिये कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करना।
- **फर्जी खबरों को रोकना:** गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार से निपटने के लिये तथ्य-जाँच इकाइयों को मज़बूत करना।
- **एजेंसियों के साथ समन्वय:** निर्बाध सूचना-साझाकरण और एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों के लिये खुफिया एजेंसियों (NATGRID) के बीच समन्वय बढ़ाना।

ग. खुफिया जानकारी एकत्रित करने हेतु कार्य योजना

- **HUMINT नेटवर्क का विस्तार:** गतिविधियों और संभावित भर्तियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने के लिये सुभेद्य समुदायों के भीतर खुफिया अभिकर्त्ताओं की संख्या बढ़ाना।
- **प्रौद्योगिकी और डाटा एनालेसिस:** सोशल मीडिया की निगरानी, भर्ती पैटर्न और संभावित खतरों की पहचान के लिये AI तथा डाटा एनालेसिस का उपयोग करना।
- **सामुदायिक पुलिसिंग:** नागरिकों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिये प्रोत्साहित करना, जमीनी स्तर पर भागीदारी के माध्यम से शीघ्र पता लगाना।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** खुफिया जानकारी एकत्रित करने, साइबर जाँच और डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना, संसाधन-साझाकरण के लिये अंतर-एजेंसी सहयोग को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष: रमण को नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ विधिक प्रवर्तन को संतुलित करना होगा, कमज़ोर युवाओं की सुरक्षा करते हुए उनके अधिकारों का सम्मान करना होगा। समुदायों को शामिल करके और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, वह आतंकवाद का सामना कर सकते हैं तथा समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

प्रश्न 10. स्नेहा एक वरिष्ठ प्रबंधक हैं जो एक मध्यम आकार वाले शहर में एक बड़ी प्रतिष्ठित अस्पताल शृंखला के लिये काम करती हैं। उन्हें एक नए सुपर स्पेशियलिटी सेंटर का प्रभारी बनाया गया है जिसे अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ बना रहा है। भवन का पुनर्निर्माण किया गया है और वह विभिन्न उपकरणों और मशीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं। खरीद के लिये ज़िम्मेदार समिति के प्रमुख के रूप में उन्होंने चिकित्सा उपकरणों का कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठित इच्छुक विक्रेताओं से बोलियाँ आमंत्रित की हैं। उन्होंने देखा कि उनका भाई, जो इस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध आपूर्तिकर्त्ता है, ने भी अपनी रुचि व्यक्त की है। चूँकि अस्पताल निजी स्वामित्व में है, इसलिये उनके लिये केवल कम बोली लगाने वाले को चुनना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा उन्हें ज्ञात है कि उनके भाई की कंपनी कुछ वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और बड़ी आपूर्ति का एक आदेश उसे उबारने में सहायता करेगा। साथ ही उनके भाई को अनुबंध आबंटित करना, उनके खिलाफ पक्षपात का आरोप हो सकता है और उनकी छवि खराब कर सकता है। अस्पताल प्रबंधन उन पर पूरा भरोसा करता है और उनके किसी भी फैसले का समर्थन करेगा।

(a) स्नेहा को क्या करना चाहिये?

(b) वह जो करना चाहती हैं उसे कैसे उचित सिद्ध करेंगी?

(c) इस मामले में, चिकित्सा नैतिकता कैसे निहित व्यक्तिगत हित से युक्त है?

उत्तर: विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा उद्योग में, जहाँ निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा रोगी देखभाल मानकों एवं विश्वास को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, व्यक्तिगत संबंधों एवं व्यावसायिक दायित्वों के बीच संभावित संघर्ष खरीद निर्णयों के संदर्भ में नैतिक मानकों को गंभीर रूप से कमज़ोर कर सकता है।

(a) व्यावसायिक ईमानदारी और नैतिक व्यवहार स्नेहा की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये। उसे निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना चहिये:

- अपने भाई की उम्मीदवारी से उत्पन्न हितों के टकराव का हवाला देते हुए, उन्होंने खरीद समिति से त्याग-पत्र दे देना चहिये।
- अस्पताल प्रशासन को परिस्थितियों से अवगत कराने के साथ खरीद प्रक्रिया की निगरानी के लिये एक निष्पक्ष समिति गठित करने का अनुरोध करें।
- सुनिश्चित करें कि बोली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो और प्रत्येक विक्रेता को समान महत्त्व दिया जाए।

(b) स्नेहा इस बात पर ज़ोर देकर अपने कार्यों को उचित ठहरा सकती है:

- **नैतिक उत्तरदायित्व:** खरीद समिति की अध्यक्ष के रूप में उनकी पहली ज़िम्मेदारी अस्पताल और उसके मरीजों के प्रति है।
- **पारदर्शिता:** वह हितों के टकराव की घोषणा करके अस्पताल के कर्मियों और प्रबंधन का विश्वास बनाए रखती है।
- **निष्पक्षता:** स्वयं को इससे अलग करने से सभी के लिये निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
- **व्यावसायिकता:** उनके कार्य अस्पताल की प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

(c) इस मामले में अंतर्निहित चिकित्सा नैतिकता को निम्नलिखित द्वारा चुनौती दी गई है:

- **संभावित पूर्वाग्रह:** यहाँ तक कि यह सूक्ष्म रूप से, स्नेहा का व्यक्तिगत संबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
- **रोगी देखभाल में समझौता:** गुणवत्ता की अपेक्षा प्रतिष्ठा के आधार पर उपकरणों का चयन करने से चिकित्सीय सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल का स्तर प्रभावित हो सकता है।
- **पद का दुरुपयोग:** अपने परिवार के किसी सदस्य को लाभ पहुँचाने के लिये अपने अधिकार का प्रयोग करने से सत्ता का दुरुपयोग होगा।
- **विश्वास में कमी:** यदि यह स्थिति सामने आ जाए तो इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो सकता है।

निष्कर्ष: एक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा वातावरण, नैतिक सिद्धांतों का पालन करने वाली खरीद प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पारदर्शिता एवं समानता को बढ़ावा देने के माध्यम से स्नेहा द्वारा अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल के साथ-साथ जनता के विश्वास में वृद्धि कर सकता है।

प्रश्न 11. इस वर्ष असाधारण रूप से भीषण गर्मी होने के कारण, जिले को पानी की घोर कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर जिले को गंभीर पेयजल संकट से उबारने हेतु शेष जल भंडार को संरक्षित करने के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सक्रिय कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिये जागरूकता अभियान के साथ-साथ भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिये सख्त कदम उठाए गए हैं। गाँवों का दौरा करने हेतु सतर्कता दल तैनात किये गए हैं। सिंचाई के लिये गहरे बोरवेल अथवा नदी जलाशय से पानी खींचने वाले किसानों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसी कार्रवाई से किसान आक्रोश में आ जाते हैं। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलता है और शिकायत करता है कि जहाँ उन्हें अपनी फसल की सिंचाई की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं नदी के पास स्थित बड़े उद्योग अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये गहरे बोरवेल के माध्यम से भारी मात्रा में पानी खींच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनका प्रशासन किसान विरोधी और भ्रष्ट है, जिसे उद्योग द्वारा रिश्वत दी जा रही है। जिलों को, किसानों को शांत करने की ज़रूरत है क्योंकि वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर को जल संकट से निपटना भी होगा। उद्योग को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोज़गार हो जाएंगे।

(a) एक जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर के लिये उपलब्ध सभी विकल्पों पर चर्चा कीजिये।

(b) हितधारकों के परस्पर अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए कौन-सी उचित कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं?

(c) जिला कलेक्टर के लिये संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

उत्तर: भूजल उपयोग पर प्रतिबंधों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच जिला कलेक्टर (DC) पानी की गंभीर कमी से जूझ रहा है। किसान प्रशासन पर उद्योगों के प्रति पक्षपात करने का आरोप लगाते हैं, जबकि रोज़गार की चिंताओं के कारण औद्योगिक संचालन को रोका नहीं जा सकता।

(क) जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिला कलेक्टर (DC) के लिये उपलब्ध सभी विकल्प।

- **जल प्रतिबंध लागू करना:** किसानों और उद्योगों दोनों के लिये जल संरक्षण उपायों को सख्ती से लागू करना।
- **उद्योगों पर अस्थायी प्रतिबंध:** जल उपयोग पर अस्थायी सीमाएँ लागू करना और उद्योगों को कुशल जल-उपयोग प्रौद्योगिकियाँ अपनाने में सहायता करना।
- **न्यायसंगत जल वितरण:** संभवत: राशनिंग या जल-बचत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से, उचित जल वितरण के लिये किसानों और उद्योगों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाना।
- **वैकल्पिक जल स्रोत:** आस-पास के जिलों से जल परिवहन, वर्षा जल संचयन, उद्योगों में पुनर्चक्रण, या बाह्य स्रोत का उपयोग जैसे विकल्पों का पता लगाना।

(ख) हितधारकों के पारस्परिक रूप से सुसंगत हितों को ध्यान में रखते हुए क्या उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है?

- **समतामूलक जल वितरण:** कृषि और उद्योगों के लिये जल राशनिंग को लागू करना, जल-कुशल प्रौद्योगिकियों तथा सीमित सिंचाई को प्रोत्साहित करना।
- **जल संरक्षण को बढ़ावा देना:** किसानों को ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करना तथा उद्योगों को अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- **जन जागरूकता:** सामूहिक ज़िम्मेदारी को उजागर करने और किसानों की निराशा को कम करने के लिये जल संरक्षण अभियानों का विस्तार करना।
- **शिकायत निवारण:** संचार को बढ़ावा देने और विवादों के निपटान के लिये किसानों तथा उद्योगों के लिये एक बहु-हितधारक मंच की स्थापना करना।

(ग) जिला कलेक्टर के लिये संभावित प्रशासनिक और नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- **समता बनाम दक्षता:** कलेक्टर को आर्थिक उत्पादकता से समझौता किये बिना किसानों और उद्योगों के बीच उचित जल वितरण को संतुलित करना चाहिये। किसी एक का पक्ष लेने से अकुशलता या पक्षपात की आशंका हो सकती है।
- **किसानों के हित बनाम औद्योगिक हित:** किसानों और उद्योगों दोनों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में चुनौती है, क्योंकि किसी एक का पक्ष लेने से दूसरे समूह में अशांति पैदा हो सकती है।

- **पारदर्शिता बनाम भ्रष्टाचार:** किसानों की पक्षपात और भ्रष्टाचार संबंधी चिंताओं का समाधान करते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित करना कलेक्टर के लिये एक प्रमुख नैतिक दुविधा है।
- **सार्वजनिक विश्वास बनाम दीर्घकालिक स्थिरता:** कलेक्टर को भविष्य में संकटों को रोकने के लिये स्थायी जल प्रबंधन के साथ तत्काल सार्वजनिक मांगों को संतुलित करना चाहिये। अल्पकालिक लाभ से दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित नहीं होनी चाहिये।

निष्कर्ष: इस मुद्दे का समाधान करने तथा जनता के विश्वास और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिये, जिला कलेक्टर को जल संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की गारंटी देनी चाहिये, हितधारकों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा जल-बचत प्रौद्योगिकियों को लागू करना चाहिये।

प्रश्न 12. डॉ. श्रीनिवासन एक प्रतिष्ठित जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी में कार्यरत एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। यह कंपनी फार्मास्युटिकल में अपने अत्याधुनिक शोध के लिये जानी जाती है। डॉ. श्रीनिवासन किसी नई दवा पर काम करने वाली एक शोध टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक नए वाइरस (विषाणु) से तेजी से फैलने वाले संक्रमित रोग का इलाज करना है। यह बीमारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है और देश में इसके मामलों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है। डॉ. श्रीनिवासन की टीम पर इस दवा के ट्रायल में तेजी लाने का बहुत दबाव है क्योंकि इसके लिये बाज़ार में काफी मांग है और कंपनी बाज़ार में पहला कदम रखने का फायदा उठाना चाहती है। टीम मीटिंग के दौरान टीम के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने दवा के क्लिनिकल (नैदानिक) परीक्षणों में तेजी लाने और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिये कुछ शॉर्टकट सुझाए। इनमें कुछ नकारात्मक परिणामों को बाहर करने के लिये डाटा में हेरफेर करना और चुनिंदा रूप में सकारात्मक परिणामों की रिपोर्ट करना, सूचित सहमति की प्रक्रिया को छोड़ देना तथा स्वयं का घटक विकसित करने के बजाए, प्रतिद्वंद्वी कंपनी द्वारा पहले से पेटेंट किये गए यौगिकों का उपयोग करना शामिल हैं। डॉ. श्रीनिवासन ऐसे शॉर्टकट लेने में सहज नहीं हैं, साथ ही उन्हें यह भी पता चला है कि इन तरीकों का उपयोग किये बिना लक्ष्यों को पूरा करना असंभव है।

(a) ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?

(b) इसमें शामिल नैतिक प्रश्नों के प्रकाश में अपने विकल्पों और परिणामों का परीक्षण कीजिये।

(c) ऐसे परिदृश्य में, डाटा नैतिकता और औषधि नैतिकता किस प्रकार बड़े पैमाने पर मानवता को बचा सकती हैं?

उत्तर: डॉ. श्रीनिवासन को नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी शोध टीम तेजी से फैल रही वायरल रोग के लिये दवा परीक्षणों में तेजी लाने के लिये अनैतिक प्रथाओं का सुझाव दे रही है। चुनौती यह है कि त्वरित सफलता के लिये पेशेवर सत्यनिष्ठा और बाज़ार के दबाव के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

हितधारक

- **डॉ. श्रीनिवासन (प्रमुख शोधकर्त्ता):** वैज्ञानिक अखंडता पर ध्यान केंद्रित; अनुसंधान में शॉर्टकट के विकल्प।
- **अनुसंधान दल:** समय-सीमा को पूरा करने के दबाव के कारण अनैतिक व्यवहार के सुझाव दिये गए।
- **जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी:** वित्तीय लाभ और बाज़ार लाभ का लक्ष्य।
- **मरीज और आम जनता:** सुरक्षित और प्रभावी उपचार की तलाश में।

(a) डॉ. श्रीनिवासन के रूप में मैं नैदानिक परीक्षणों में नैतिक मानकों और पारदर्शिता को प्राथमिकता दूँगा। हालाँकि दबाव में वैज्ञानिक अखंडता से समझौता करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इसके बजाय मैं समय-सीमा को पूरा करने के लिये कानूनी विकल्पों की खोज पर ध्यान केंद्रित करूँगा, जैसे कि संसाधनों में वृद्धि या बाहरी संस्थानों के साथ सहयोग करना आदि।

(b) **विकल्प 1:** डाटा में हेरफेर करना और सूचित सहमति की अनदेखी करना

- **नैतिक मुद्दा:** वैज्ञानिक वैधता से समझौता, रोगी के विश्वास और सार्वजनिक सुरक्षा का उल्लंघन।
- **परिणाम:** हानिकारक औषधि के जारी होने से मुकदमे और सार्वजनिक अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इससे प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और वित्तीय लाभ में वृद्धि हो सकती है।

विकल्प 2: प्रतिद्वंद्वी के पेटेंट यौगिकों का उपयोग करना

- **नैतिक मुद्दा:** बौद्धिक संपदा का उल्लंघन, नैतिक और कानूनी मानकों का उल्लंघन।
- **परिणाम:** इससे कानूनी कार्रवाई का जोखिम रहता है और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है, जिससे औषधि की प्रगति रुक सकती है; हालाँकि इससे उपचार तक त्वरित पहुँच भी संभव हो सकती है और प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ में सुधार हो सकता है।

विकल्प 3: नैतिक दिशा-निर्देशों का पालन करना

- नैतिक मुद्दा: डाटा अखंडता और रोगी सुरक्षा को बनाए रखना।
- परिणाम: नैतिक दिशा-निर्देशों के अनुपालन से औषधि के विकास में विलंब हो सकता है और कठोर परीक्षण के कारण लागत बढ़ सकती है, जिससे बाज़ार से प्राप्त होने वाले अवसरों से वंचित हो सकते हैं।
- हालाँकि नीति आयोग के नैतिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिभागियों की सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास के लिये नैतिक अनुसंधान महत्त्वपूर्ण है, जिससे यह रोगी की सुरक्षा तथा औषधियों के विकास में दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिये आवश्यक हो जाता है।

(c) डाटा नैतिकता सुनिश्चित करती है कि शोध पारदर्शी, पुनरुत्पादनीय और भरोसेमंद हो। औषधि की नैतिकता कठोर परीक्षण और सूचित सहमति के माध्यम से रोगी के अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष: नैतिक मानकों को दबावपूर्वक भी बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। यह दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है, वैज्ञानिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है और औषधि उद्योग की सामाजिक ज़िम्मेदारी को बनाए रखता है।

प्रश्न 9. पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से, केंद्र और राज्य सरकारों की बहुआयामी रणनीति के चलते देश के प्रभावित राज्यों में नक्सली समस्या का काफी हद तक निराकरण हुआ है। हालाँकि कुछ राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ नक्सली समस्या अभी भी मुख्य रूप से विदेशी देशों की दखलअंदाजी के कारण बनी हुई है। रोहित पिछले एक साल से किसी जिले में एसपी (स्पेशल ऑपरेशन) के पद पर तैनात हैं, जो अभी भी नक्सली समस्या से प्रभावित है। जिला प्रशासन ने लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिये हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों में कई विकासमूलक कार्य अपनाए हैं। पिछले कुछ समय से, रोहित ने नक्सली कैडर की गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिये एक उत्कृष्ट खुफिया नेटवर्क स्थापित किया है। जनता में विश्वास जगाने और नक्सलियों पर नैतिक प्रभुत्व जताने के लिये पुलिस द्वारा कई जगह घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रोहित स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें अपने खुफिया सूत्र के माध्यम से संदेश मिला कि लगभग दस कट्टर नक्सली अत्याधुनिक हथियारों के साथ विशेष गाँव में छिपे हुए थे। बिना कोई समय गँवाए, रोहित ने अपनी टीम के साथ उस खास गाँव में पहुँच कर पूर्ण सुरक्षा का घेरा बनाया तथा व्यवस्थित तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान, उनकी टीम सभी नक्सलियों पर स्वचालित हथियारों के साथ काबू पाने में कामयाब रही। हालाँकि, इस बीच पाँच सौ से अधिक आदिवासी महिलाओं ने गाँव को घेर लिया और लक्ष्य घर की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रही थीं और उपद्रवियों की तत्काल रिहाई की मांग कर रही थीं क्योंकि वे उनके संरक्षक तथा उद्धारक हैं। जमीनी हालात बहुत गंभीर होते जा रहे थे क्योंकि आदिवासी महिलाएँ अत्यंत उत्तेजित और आक्रामक थीं। रोहित ने अपने उच्च अधिकारी, राज्य के आईजी (स्पेशल ऑपरेशन्स) से रेडियो सेट और मोबाइल फोन से संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन कमज़ोर कनेक्टिविटी के कारण वैसा कर पाने में वे असफल रहे। रोहित की बड़ी दुविधा थी कि पकड़े गए नक्सलियों में दो न केवल चोटी के कट्टर उग्रपंथी थे, जिनके सिर पर दस लाख रुपए का इनाम था, बल्कि वे हाल ही में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किये गए हमले में भी शामिल थे। हालाँकि, अगर नक्सलियों को नहीं छोड़ा गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती थी। यह इसलिये कि आदिवासी महिलाएँ आक्रामक रूप से उनकी ओर बढ़ रही थीं। उस स्थिति में, हालात को नियंत्रित करने के लिये रोहित को गोलीबारी का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे नागरिकों की बेशकीमती जान जा सकती है एवं स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी।

(a) इस स्थिति से निपटने के लिये रोहित के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

(b) रोहित को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

(c) आपके अनुसार रोहित के लिये कौन-सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों?

(d) मौजूदा स्थिति में, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिये।

उत्तर: कट्टर नक्सलियों की गिरफ्तारी से नाराज आदिवासी महिलाओं का एक समूह हिंसक होने की धमकी देता है, जो नक्सलवाद से पीड़ित जिले के एसपी रोहित के लिये एक गंभीर खतरा है। सार्वजनिक सुरक्षा, सामुदायिक संबंधों और कानूनी प्रवर्तन हेतु, उसे अपनी प्रतिक्रिया में रणनीतिक रूप से कार्य करना चाहिये।

(a) रोहित के पास उपलब्ध विकल्प:

- रोहित अपने खुफिया नेटवर्क का उपयोग नक्सलियों के अपराधों और समुदाय के लिये उनके खतरे को समझाने के लिये कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को शांत करना है।
- रोहित निचले स्तर के उग्रवादियों को रिहा कर सकते हैं, जबकि शीर्ष स्तर के उग्रवादियों को अस्थायी समझौते के लिये हिरासत में रख सकते हैं।
- यदि वार्ता विफल हो जाती है, तब वह तनाव को बढ़ने से रोकने के लिये सावधानीपूर्वक गैर-घातक तरीकों का उपयोग कर सकता है।
- वह स्थिति को शांत करने के लिये ऑपरेशन रोक सकते थे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से वैकल्पिक संवाद स्थापित कर सकते थे।

(b) रोहित के सामने नैतिक दुविधाएँ:

- सार्वजनिक विश्वास बनाम कानून प्रवर्तन: हिंसक टकराव सरकार के विकास प्रयासों में जनता के विश्वास को कमज़ोर कर सकता है।
- अल्पकालिक शांति बनाम दीर्घकालिक न्याय: नक्सलियों को रिहा करने से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक न्याय खतरे में पड़ सकता है।
- महिलाओं का विरोध बनाम सार्वजनिक सुरक्षा: महिलाओं की उपस्थिति नैतिक दुविधा को जटिल बनाती है, क्योंकि बल का प्रयोग कमज़ोर समूह के विरुद्ध सत्ता के दुरुपयोग के रूप में माना जा सकता है।

(c) रोहित के लिये सबसे उपयुक्त विकल्प:

- रोहित को बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिये, अपने खुफिया नेटवर्क का प्रयोग करके आदिवासी महिलाओं से संपर्क करना चाहिये, साथ ही गैर-घातक भीड़ नियंत्रण उपायों को अपनाना चाहिये। इससे तनाव कम होगा, विश्वास बढ़ेगा और हिंसा से बचा जा सकेगा, शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा मिलेगा तथा साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि विद्रोही हिरासत में रहें, जिससे समुदाय के प्रति सम्मान प्रदर्शित होगा।

(d) महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने में अतिरिक्त एहतियाती उपाय:

- महिला प्रदर्शनकारियों से सहानुभूतिपूर्वक निपटने के लिये अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। पुलिस को ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिये जो स्थिति को भड़का सकती हैं या बढ़ा सकती हैं।
- भीड़ में महिलाओं के साथ बातचीत करने के लिये महिला अधिकारियों को तैनात करने, जिससे तनाव कम करने और विश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- स्थिति को शांत करने के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, स्थानीय नेताओं को मध्यस्थता के माध्यम से भीड़ को शांत करने में शामिल होना चाहिये।

निष्कर्ष: रोहित को कानून प्रवर्तन और जनता के विश्वास के बीच संतुलन बनाना होगा। बातचीत और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता देकर, वह हिंसा को रोक सकता है तथा स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे प्रभावी पुलिसिंग एवं स्थायी शांति सुनिश्चित हो सके। ■■■